BBNL

एक्सेस एक्रॉस इंडिया
Access Across India

5वीं वार्षिक रिपोर्ट
(2016-17)

5th Annual Report
(2016-17)

भारत ब्रॉडबैन्ड नेटवर्क लिमिटेड
BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

श्री संजय सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
Sh. Sanjay Singh
Chairman-Cum-Managing Director
DIN 07484614

श्री शशी रंजन कुमार
सरकारी निदेशक
Sh. Shashi Ranjan Kumar
Government Director
DIN 01911656

श्री महमूद अहमद
सरकारी निदेशक
Sh. Mahmood Ahmed
Government Director
DIN 07694375

श्री मनोज आनंद
निदेशक (वित्त)
Sh. Manoj Anand
Director (Finance)
DIN 07583289

श्री एन.के. जोशी
निदेशक (प्रचालन)
Sh. N.K. Joshi
Director (Operation)
DIN 03250336

श्री ए.के. सक्सैना
निदेशक (योजना)
Sh. A.K. Saxena
Director (Planning)
DIN 08007046

श्री आई. एस. शास्त्री
सरकारी निदेशक
Sh. I. S. Sastry
Government Director
(From 25.02.2012 to 16.12.2016)
DIN 00236807

श्री बी. के. मित्तल
निदेशक (प्रचालन एवं योजना)
Sh. B. K. Mittal
Director (Operation and Planning)
(From 29.07.2015 to 31.10.2017)
DIN 07251326

श्रीमती अरूणधती पांडा
निदेशक (वित्त)
Ms. Arundati Panda
Director (Finance)
(From 26.07.2012 to 25.07.2016)
DIN 05355640

पंजीकृत कार्यालय / Registered Office

कमरा सं. 306, तृतीय तल, सी–डॉट परिसर, मांडी गाँव रोड, महरौली, नई दिल्ली–110030

Room No. 306, 3rd Floor, C-DOT Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli, New Delhi-110030

कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख / Company Secretary & Head Legal

श्री ए.सी. उपाध्याय / Sh. A. C. Upadhyay

सांविधिक लेखापरीक्षक / Statutory Auditors

मै. रावला एंड कंपनी, सनदी लेखाकार

M/s Rawla & Company , Chartered Accountants

सचिवीय लेखाकार / Secretarial Auditor

मै. जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवीय

M/s J. K. Gupta & Associates, Company Secretaries

बैंकर / Banker

केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया / Canara Bank, State Bank of India

विषय–वस्तु

1.	अध्यक्ष का भाषण	1
2.	पांचवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस (सदस्यों के लिए सूचना)	4
3.	सदस्यों के लिए निर्देशकों की रिपोर्ट	9
4.	कारपोरेट अभिशासन के संबंध में कम्पनी की रिपोर्ट	28
5.	कारपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन संबंधी प्रमाण–पत्र	35
6.	प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	36
7.	आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा	39
8.	सीईओ–सीएमडी / सीएफओ – निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाण–पत्र / घोषणा	40
9.	सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	41
10.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	43
11.	तुलन–पत्र	47
12.	लाभ एवं हानि विवरण	48
13.	वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां	49
14.	नगद प्रवाह विवरण	67
15.	लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	69
16.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	71

CONTENTS

1.	Chairperson's Speech	73
2.	5th Annual General Meeting Notice (Notice to the Members)	76
3.	Board's Report to the Members	81
4.	Company's Report on Corporate Governance	100
5.	Certificate on Compliance of Corporate Governance Norms	107
6.	Management Discussion and Analysis Report	108
7.	Declaration Regarding Compliance with Code of Conduct	111
8.	Certification/declaration of financial statements by the CEO-CMD/CFO - Director (F)	112
9.	Secretarial Audit Report	113
10.	Independent Auditor's Report	115
11.	Balance Sheet	119
12.	Statement of Profit and Loss	120
13.	Notes forming part of the Financial Statements	121
14.	Cash Flow Statements	139
15.	Management's Reply to the Comments of the Statutory Auditors	141
16.	Comments of Comptroller and Auditor General of India	143

अस्वीकरण: हिन्दी संस्करण की व्याख्या की कठिनाई के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of difficulty in the Interpretation of Hindi Version, English Version will prevail.

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कंपनी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क के निदेशक मंडल की ओर से 5वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर हमारे साथ आने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट पहले ही आपके पास है।

1. प्रगतिः–

1.1 भारतनेट चरण–। (अद्यतन प्रगति)

बीबीएनएल भारतनेट परियोजना का निष्पादन कर रहा है जो देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर बैंडविथ और डार्क फाइबर दोनों के प्रावधान के लिए ब्लॉक मुख्यालयों तक जोड़ने का प्रमुख कार्यक्रम है। यह नेटवर्क प्रत्येक ग्राम पंचायत में वायर्ड मीडिया (ओएफसी) से 1 जीबीपीएस बैंडविथ प्रदान करने और वॉयरलैस मीडिया (रेडियो) से न्यूनतम 100 एमबीपीएस बैंडविथ जिसे 1 जीबीपीएस तक बढ़ाया जा सकता है, प्रदान करने में सक्षम है। भारतनेट द्वारा डिजिटल कनेक्टिविटी के प्रसार का विस्तार करने की आशा है जिसमें ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाएं पैदा करने की क्षमता है। ब्रॉडबैंड और इंटरनेट तथा ई–सेवाओं के प्रावधान का तीव्र, पारदर्शी और लागत प्रभावी अभिशासन के अतिरिक्त जीडीपी वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव है।

यह परियोजना 2011 में अनुमोदित की गई थी परंतु परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य सर्वेक्षण किए जाने के पश्चात और तीन कार्यान्वयन सीपीएसयू द्वारा प्रायोगिक कार्य किए जाने के पश्चात 2014 के दूसरे भाग में आरंभ हुआ चूंकि इतनी बड़े स्तर की परियोजना के लिए उपकरण की प्रापण की प्रक्रिया में विलंब हो रहा था इसलिए सीपीएसयू के माध्यम से मई, 2016 में विकेंद्रीकृत प्रापण की प्रक्रिया और विकेंद्रीकृत निर्णय–निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ की गई। निम्नलिखित की स्थापना करते हुए परियोजना के कार्यान्वयन की गति में तेजी आई–

i) सचिव, डीओटी के अंतर्गत अधिकार प्राप्त समिति।

ii) प्रशासक, यूएसओएफ के अंतर्गत अनुवीक्षण समिति की प्रत्येक पखवाड़े में बैठक।

iii) राज्य स्तरीय मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), बीएसएनएल के अंतर्गत राज्य समिति।

ये समितियां अंतर–एजेंसी संबंधी मुद्दों और कार्यान्वयन की गति में बाधा पहुंचाने वाले मुद्दों को हल करने में और साथ ही परियोजना की निगरानी में उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

चरण–1 की प्रगति में समर्पित टीमों के गठन और विकेंद्रीकरण के माध्यम से प्रापण की प्रक्रिया में तेजी लाने और मुद्दों को हल करने से पिछले दो वर्षों में तेजी आई है। वर्तमान में चरण–1 में लिए गए 1,25,000 ग्राम पंचायतों (25,000 ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त कार्य सहित) में से 1,13,469 ग्राम पंचायतों में डक्ट/पाइप पहले ही बिछा दी गयी हैं, 1,08,237 ग्राम पंचायतों में ओएफसी बिछाया गया है (25,0197 किलोमीटर), 1,00,364 ग्राम पंचायतों में उपकरण स्थापित किए गए हैं, 96,039 ग्राम पंचायतों में सेवा तैयार है ओर 59,124 ग्राम पंचायतों में सेवा खोल दी गई है।

कार्यान्वयन के दौरान यह पाया गया था कि चरण–1 के अंतर्गत इंटरकनेक्ट के फाइबर प्वाइंट (एफपीओआई) और ब्लॉक के बीच मौजूदा फाइबर (अर्थात लॉसी फाइबर) की अपर्याप्त गुणवत्ता एंड–टू–एंड कनेक्टिविटी को प्रभावित कर रही थी। यह नोट किया जाता है कि ओएफसी बिछाने तथा जीपोन उपकरण की उपलब्धता के बावजूद जीपी परियोजना में प्रयुक्त किए जा रहे मौजूदा फाइबर की अपर्याप्त गुणवत्ता के कारण ये सेवा के लिए तैयार नहीं किए जा सके। इन फाइबर को बदला जाना मंत्रिमंडल के आरंभिक अनुमोदन का भाग नहीं था परंतु अप्रैल, 2016 में दूरसंचार आयोग की अग्रिम योजना और अनुमोदन तथा बाद में 19.07.2017 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के साथ ऐसे अपर्याप्त गुणवत्ता वाले 50,000 किलोमीटर फाइबर को बदले जाने का कार्य किया जा रहा है। इससे सर्विस तैयारी की गति और ब्लॉक से ग्राम पंचायतों तक एंड–टू–एंड कनेक्टिविटी में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप 1,03,768 ग्राम पंचायतों को अब एंड–टू–एंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई है तथा 96,039 ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार है।

इसके अतिरिक्त परियोजना का कार्यान्वयन केवल 3 सीपीएसयू नामतः बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल के माध्यम से किया गया था और ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी केवल अंडरग्राउंड ओएफसी बिछाकर प्रदान की गई थी जो एक बाध्यकारी कारक बना। कार्यान्वयन के दौरान यह देखा गया कि सभी जीपी को अंडरग्राउंड ओएफसी द्वारा जोड़ा नहीं जा सका और सेवा स्थापित करना परियोजना का भाग नहीं था।

1.2 भारतनेट परियोजना चरण–2 (मंत्रिमंडल का अनुमोदन और उसकी प्रगति)

बीबीएनएल चरण–1 में पहुंच में खामियों को दूर करने के लिए निरंतर कार्य करता रहा है, कार्यान्वयन की संशोधित नीति के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन जुलाई, 2017 में लिया गया। कार्यान्वयन के उद्देश्य से सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए भारतनेट परियोजना चरण–1 (1 लाख जीपी) और चरण–2 (1.5 लाख जीपी) में बांटी गई थीं।

भारतनेट चरण–2 के लिए संशोधित कार्यान्वयन नीति की मुख्य विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं:

(क) ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक सीधे ओ.एफ. केबल बिछाना।

(ख) चरण–1 के अनुसार अंडरग्राउंड ओएफसी के अतिरिक्त ऐरियल ओ.एफ. केबल, रेडियो लिंक तथा सेटेलाइट कनेक्टिविटी का उपयोग करना।

(ग) मार्च, 2019 तक समूची 2,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए परियोजना पूर्ण करना।

(घ) सेवाओं की त्वरित डिलिवरी के लिए वाई–फाई अथवा अन्य समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम मील तक कनेक्टिविटी का प्रावधान और समूची 2,50,000 ग्राम पंचायतों का ओएंडएम अब कर लिया गया है।

(ड) सीपीएसयू के अतिरिक्त चरण–1 के अनुसार राज्यों, निजी क्षेत्र के माध्यम से कार्यान्वयन।

(च) राज्यों द्वारा अपने स्वयं के कोष से क्षैतिज कनेक्टिविटी।

संशोधित नीति में अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू परियोजना के कार्यान्वयन में सीपीएसयू के साथ राज्यों और निजी क्षेत्र की भागीदारी है। राज्यों के सेवाओं की स्थापना में अति महत्वपूर्ण भागीदार होने के नाते उन्हें चरण–2 के कार्यान्वयन में शामिल किया गया है। राज्यों की भागीदारी के साथ कार्यान्वयन अधिक तेजी से और सुकर तरीके से किए जाने की संभावना है। इस दिशा में कार्रवाई की गई थी जैसे कि विभिन्न राज्य सरकारों के साथ परामर्श, उन्हें इलैक्ट्रिसिटी पोल के सर्वेक्षण हेतु निधियां प्रदान करना जहां ऐरियल केबल प्रदान की जा सकती हैं और ऐसी अन्य गतिविधियां। चूंकि मौजूदा इलैक्ट्रिसिटी पोल पर ऐरियल ओएफसी चरण–2 में ओएफसी बिछाने के लिए विचार किया जा रहा है इसलिए सर्वेक्षण तथा कुछ राज्यों के लिए ऐरियल ओएफसी बिछाने हेतु विद्युत पोल की जीआईएस मैपिंग के लिए अग्रिम निधि प्रदान की गई है।

राज्यों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों के प्रस्तावों के लिए सितम्बर, 2017 और दिसम्बर, 2017 में दूरसंचार आयोग द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। बीबीएनएल ने राज्यों के साथ तकनीकी, वाणिज्यक और वित्तीय मुद्दों को तेजी से हल करने के लिए कार्य किया जोकि इस प्रकृति की परियोजनाओं में आम होते हैं। सभी भागीदारों अर्थात यूएसओएफ, डीओटी, राज्य तथा बीबीएनएल की समय पर की गई कार्रवाई के कारण क्रमशः कम समय में दूरसंचार आयोग का अनुमोदन प्राप्त हुआ। मंत्रिमंडल द्वारा राज्य डीपीआर के अनुमोदन हेतु प्रदान की गई पांच माह की सीमा के प्रतिकूल दूरसंचार आयोग द्वारा अधिकांश राज्यों के लिए डेढ़ माह में चार स्तरीय जांच के पश्चात राज्य स्तरीय डीपीआर हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया।

राज्य–मॉडल के कार्यान्वयन के लिए चुर्तपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का कार्य 13 नवम्बर, 2017 को आरंभ हुआ जिसमें माननीय संचार (स्वतंत्र प्रभार) और रेलवे राज्य मंत्री तथा अन्य केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तदंतर 09.12.2017 को झारखंड तथा महाराष्ट्र राज्यों के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर दिसम्बर, 2017 के अंत में हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

निजी क्षेत्र संचालित मॉडल के अंतर्गत दूरसंचार आयोग के अनुमोदन के आधार पर 15.12.2017 को निजी क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत बिहार और पंजाब राज्यों के लिए प्रस्तावों का अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया है।

सीपीएसयू संचालित मॉडल के लिए बीएसएनएल को असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम राज्यों में नामांकन आधार पर दूरसंचार आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों जिनमें ऐरियल ओएफसी विद्युत पोल पर बिछाया जाना है, पीजीसीआईएल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। सीपीएसयू संचालित मॉडल के लिए बीएसएनएल और पीजीसीआईएल के साथ विचार–विमर्श अंतिम चरण में है। सीपीएसयू के साथ 1 दिसम्बर, 2017 और 9 दिसम्बर, 2017 को दो कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

चरण–2 के अंतर्गत विशेष जोर सेवाओं की स्थापना पर है। मंत्रिमंडल ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के लिए अंतिम मील तक कनेक्टिविटी के लिए मॉडल को अनुमोदित किया है। अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए आयोजना कार्य पूरा हो गया है और इस उद्देश्य के लिए आरएफपी जल्द लाए जाने की आशा है। राज्य ग्राम पंचायतों के स्तर पर सरकारी संस्थाओं को नेटवर्क से जोड़कर, एफटीटीएच कनेक्शन लेते हुए, जीपी में वाई–फाई हॉटस्पॉट स्थापित करके भारतनेट के लिए स्वॉन नेटवर्क जोड़कर इस नेटवर्क का उपयोग करने के लिए सटीक कदम उठा रहे हैं। टी.एस.पी. तथा अन्य सेवा प्रदाताओं ने भी सेवाओं के प्रावधान के लिए भारतनैट का उपयोग करने के लिए रूचि दिखाई है तथा टीएसपी ने बैंडविथ का प्रयोग करने के लिए अग्रिम भुगतान भी किया गया है। बीबीएनएल द्वारा विशेष टैरिफ भी तैयार और तैनात किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 42,068 करोड़ रूपए की कुल अनुमानित लागत (जीएसटी, चूंगी और स्थानीय कर को छोड़कर) अनुमोदित की है जिसमें चरण–1 के लिए 11,148 करोड़ रूपए और चरण–2 तथा यूएसओएफ द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली अन्य गतिविधियों के लिए 30,920 करोड़ रुपए शामिल हैं।

1.3 नेटवर्क का रख–रखाव

ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के विस्तार के कारण इंक्रीमेंटल फाइबर का रख–रखाव एक चुनौती है। यह महत्वपूर्ण है कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक समर्पित एजेंसी आवंटित की जाए। चरण–1 में जीपी के लिए बीएसएनएल को ओएंडएम की जिम्मेदारी दी गई है जहां बीएसएनएल ने इंक्रीमेंटल फाइबर बिछाया है। इस आशय के करार पर 4 अक्टूबर, 2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं। बीबीएनएल नेटवर्क के ओएंडएम के लिए अन्य तंत्रों को भी पता लगा रहा है।

चरण–2 में नेटवर्क के प्रबंधन और आपरेशन और रख–रखाव का कार्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परियोजना का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी को परियोजना के जीवन चक्र हेतु प्रबंधन, आपरेशन और रख–रखाव की जिम्मेदारी देने में वरीयता दी जाएगी।

1.4 नेटवर्क का उपयोग

भारतनेट की सेवा स्थापना और उपयोग का पहलू संशोधित कार्यान्वयन नीति का प्रमुख मुद्दा है। वाई–फाई अथवा अन्य व्यापक आधारित प्रौद्योगिकी के आधार पर अंतिम मील कनेक्टिविटी मॉडल की प्रत्येक जीपी हेतु मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस उद्देश्य के लिए आरएफपी का प्रस्ताव किया जा रहा है और शीघ्र ही इसे जारी किया जाएगा।

इस नेटवर्क के मुख्य उपभोक्ता टेलीकॉम सेवा प्रदाता, आईएसपी, एमएसओ, एलसीओ इत्यादि हैं जो ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की स्थापना तथा मोबाइल नेटवर्क के विस्तार हेतु भारतनेट का उपयोग कर सकते हैं। बीबीएनएल ने 13.11.2017 को विज्ञान भवन में भारतनेट के उपयोग के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। चार राष्ट्रीय स्तर के टीएसपी ने भारतनेट के बैंडविथ और डार्क फाइबर प्रावधान के लिए इकट्ठे 17.86 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की।

इस नेटवर्क के अन्य मुख्य उपभोक्ता राज्य सरकारें हैं जो विभिन्न नागरिक केंद्रीत सेवाओं के लिए नेटवर्क का उपयोग कर सकती हैं जैसे कि ई–स्वास्थ्य, ई–शिक्षा, ई–चिकित्सा इत्यादि। भारतनेट राज्यों की ग्रामीण क्षेत्रों में उनके सभी नागरिकों तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने और डिजिटल अंतर को पाटने में सहायक होगा। कई राज्य (राज्य संचालित मोड के अंतर्गत चरण–2 में कार्यान्वयन करने वाले राज्यों सहित) ने राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतनेट के उपयोग की रणनीति दर्शायी।

1.5 भारतनेट के निधियन के लिए यूएसओएफ के साथ करार

भारतनेट के लिए विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) के रूप में बीबीएनएल ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ), दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार के अंतर्गत यूएसओएफ ने बीबीएनएल के पहले 5 वर्षों के लिए समूचे कैपेक्स और नेट औपेक्स (अर्थात राजस्व से निवल औपेक्स) हेतु निधियां प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रबंध को 2020 तक बढ़ाया गया है।

2. वित्तीय निष्पादन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने 1,06,32,86,043 रूपए का कुल राजस्व दर्ज किया है, (जिसमें 1,06,00,61,543 रूपए अर्थात यूएसओएफ पर संचालन व्यय के लिए दावे पर मुख्यतः अन्य आय शामिल है) और 22,84,80,486 रूपए के स्तर का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2015–16 में कंपनी ने पश्चात अवधि मदों और कर से पहले 8,43,11,888 रूपए का घाटा उठाया था।

3. मानव संसाधन की भूमिका

कंपनी के लिए सरकार द्वारा तय किए गए चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिभावान व्यक्तियों और मानव संसाधन द्वारा सक्रिय भूमिका निभानी अपेक्षित है। अपने कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीबीएनएल प्रतिनियुक्ति आधार पर डीओटी, यूएसओएफ, बीएसएनएल और एमटीएनएल से वरिष्ठ प्रबंधन को नियुक्त करते रहे है। बीबीएनएल ने युवा स्नातक इंजीनियरों और वित्तीय व्यावसायिकों की भर्ती करने के भी प्रयास किए हैं। राज्यों के मॉडल के निष्पादन हेतु सरकार/पीएसयू के सेवानिवृत्त अधिकारियों को भर्ती करने के अतिरिक्त बीबीएनएल लघु अवधि रिक्तियों को भरने के लिए हाल ही में चार वरिष्ठ परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है (सेवानिवृत्त एचएजी और डीओटी के उससे ऊपर के अधिकारी)।

4. कारपोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी यथा–निर्धारित दिशा–निर्देशों का ईष्टतम स्तर तक अनुपालन किया है।

5. दृष्टिकोण

भारतनेट 2018 तक गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर अत्यधिक मापनीय नेटवर्क अवसंरचना की राष्ट्रीग महत्व की परियोजना होगी जो सभी संस्थाओं के लिए मांग क्षमता पर और सभी घरों के लिए 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी जिससे राज्यों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सकेगा।

6. आभार

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से मैं निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए हमारे बहुमूल्य शेयरधारकों के रूप में आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह हमें हमारे कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और आपके लिए तथा साथ ही राष्ट्र के लिए निरंतर मूल्य सृजित करने में हमें प्रेरित करता है। मैं संचार मंत्रालय और दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन और निरंतर सहायता के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं यूएसओएफ, भागीदार सीपीएसयू, सी–डॉट, एनआईसी, सीएंडएजी, लेखापरीक्षकों और बैंकरों का हृदय से दिये गये सहयोग और समर्थन के लिए गहन आभार व्यक्त करता हूं।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद,

संजय सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
डीआईएन–07484614

दिनांकः 27.12.2017
स्थानः नई दिल्ली

सीआईएन : यू64100डीएल2012जीओआई232070

सदस्यों के लिए सूचना

कंपनी की निम्नलिखित कार्यों के लिए बुधवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को 16:00 बजे, समिति कक्ष, दूसरा तल, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 में आयोजित होने वाली पांचवी (5वीं) वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना दी जाती है:–

सामान्य कार्य

मद संख्या 1

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी के तुलन–पत्र को शामिल करते हुए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा उस पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना।

मद संख्या 2

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में संशोधन करना और कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 3

निम्नलिखित संकल्प को संशोधनों के साथ अथवा उसके बगैर, यदि कोई हो, **सामान्य संकल्प** के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि श्री एन.के. जोशी (डीआईएन–03250336) जिन्हें दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अंतर्गत अपर निदेशक एवं निदेशक (प्रचालन)–पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो अगली आम वार्षिक बैठक समाप्त होने तक पद धारित करते हैं, उन्हें कंपनी के निदेशक एवं निदेशक (प्रचालन)–पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मद संख्या 4

निम्नलिखित संकल्प को संशोधनों के साथ अथवा उसके बगैर, यदि कोई हो, **सामान्य संकल्प** के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि श्री ए.के. सक्सेना (डीआईएन–08007046) जिन्हें दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अंतर्गत अपर निदेशक एवं निदेशक (योजना) – पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और और जो अगली आम वार्षिक बैठक समाप्त होने तक पद धारित करते हैं, उन्हें कंपनी के निदेशक एवं निदेशक (योजना) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

ए.सी. उपाध्याय
सीएस एवं विधि प्रमुख
एफसीएस–4324

दिनांक: 20.12.2017
स्थान: नई दिल्ली

सेवा में,

1. बीबीएनएल के सभी सदस्य
2. सांविधिक लेखापरीक्षक
3. सचिवालय लेखापरीक्षक
4. बीबीएनएल के सभी निदेशक

संलग्नक:

1. **प्रबंधन विचार–विमर्श तथा विश्लेषण और निगम अभिशासन रिपोर्ट सहित निदेशक की रिपोर्ट**
2. **वित्तीय विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निदेशक की रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट–परिशिष्ट के संलग्नक सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और उस पर प्रबंधन के उत्तर**
3. **निदेशक की रिपोर्ट के संलग्नक–सीएंडएजी की टिप्पणियां**

टिप्पणी:

1. **बैठक में भाग लेने और मतदान करने का पात्र कोई सदस्य उसके बजाय बैठक में भाग लेने और मतदान करने (चुनाव की स्थिति में) के लिए किसी अन्य व्यक्ति, जो अनिवार्य रूप से कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, को प्रोक्सी के रूप में नियुक्त करने का पात्र होगा। प्रभावी होने के लिए प्रोक्सी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले जमा करवाई जानी चाहिए।**
2. ऐसे कॉरपोरेट सदस्य जो अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजना चाहते है उनसे बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड के संकल्प की एक समुचित रूप से प्रमाणित प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है।
3. नोटिस में निर्धारित विशेष कार्य के संबंध में, जहां भी लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 102(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न है।
4. संलग्न नोटिस तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी में संदर्भित दस्तावेज वार्षिक आम बैठक की तारीख तक शनिवार और रविवार (सार्वजनिक अवकाश सहित) को छोड़कर सभी कार्य दिवसों को सामान्य कार्य घंटों (9:30 प्रातः से 06:00 सांय तक) के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले होंगे।
5. नियुक्ति/पुनः नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के संक्षिप्त प्रोफाइल संलग्न है तथा नोटिस का भाग है।
6. सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें 22.12.2017 से 27.12.2017 (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) बंद रहेंगे।
7. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनके द्वारा धारित शेयर का रजिस्टर और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अंतर्गत तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए अनुबंध अथवा करार रजिस्टर वार्षिक आम बैठक के स्थान पर सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।
8. कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अथवा पुनः नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाती है और उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। सदस्य बोर्ड को कार्य की मात्रा में वृद्धि पर विचार करने के पश्चात् वर्ष 2017–18 के लिए लेखापरीक्षकों का समुचित पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत कर सकते हैं।
9. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार एक दूसरे से संबद्ध नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक टिप्पणी

मद संख्या 3

श्री एन.के. जोशी, अपर निदेशक एवं निदेशक (प्रचालन)–पूर्णकालीन निदेशक की नियुक्ति

श्री एन.के. जोशी की भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के बोर्ड में 15 नवम्बर, 2017 से अपर निदेशक एवं निदेशक (प्रचालन)–पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई थी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 के अनुसार वे कंपनी की आगामी वार्षिक आम सभा समाप्त होने तक पद धारण करेंगे।

श्री एन.के. जोशी ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में इंजीनियरिंग डिग्री पूर्ण करने के पश्चात 1985 में भारतीय दूरसंचार सेवा में कार्य ग्रहण किया। उन्होंने भारत में विशेषकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों में कार्य ग्रहण किया है। उन्हें कुवैत में टीसीआईएल की परियोजना के प्रमुख के रूप में तैनात किया गया था। निदेशक (प्रचालन), बीबीएनएल के रूप में कार्य ग्रहण करने के पूर्व उन्होंने डीओटी मुख्यालयों में डीडीजी, (एसयू) और ईडी, एमटीएनएल, दिल्ली का पद धारित किया। इन्हें महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारतीय टेलीफोन उद्योग एवं मिलिनियम टेलिकॉम लिमिटेड में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

उनका केंद्र सरकार और विभिन्न पीएसयू में विविध अग्रणी भूमिकाओं में 32 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

उनके पास कंपनी में इक्विटी शेयर शून्य है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में श्री एन.के. जोशी को छोड़कर कंपनी का कोई भी प्रोमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी किसी भी प्रकार से प्रस्तावित संकल्प से संबद्ध अथवा हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल श्री एन.के. जोशी की पृष्ठभूमि और अनुभव–पूर्णकालिक निदेशक को देखते हुए यह मानते है कि उन्हें कंपनी के निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्त करना कंपनी के हित में होगा। बोर्ड संकल्प को आपके अनुमोदन की सिफारिश करते है।

मद संख्या 4:

श्री ए.के. सक्सेना, अपर निदेशक एवं निदेशक (योजना)–पूर्णकालीन निदेशक की नियुक्ति

श्री ए.के. सक्सेना जिन्हें भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के बोर्ड में दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अंतर्गत अपर निदेशक एवं निदेशक (योजना)–पूर्णकालीन निदेशक, के रूप में नियुक्त किया गया था और और जो अगली आम वार्षिक बैठक समाप्त होने तक पद धारित करते हैं।

श्री ए.के. सक्सेना, 1981 बैच के आईटीएस अधिकारी हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में दूरसंचार विभाग में कार्य ग्रहण किया था। उन्होंने अपना कैरियर पूर्वोत्तर कार्य बल में पहली तैनाती के साथ आरंभ किया था। तब से उन्होनें उत्तर प्रदेश (पश्चिमी), दूरसंचार इंजीनियिरिंग केंद्र, नई दिल्ली, एमटीएनएल मुम्बई और बीबीएनएल में कार्य किया है। श्री ए.के. सक्सेना ने एमटीएनएल मुम्बई में मार्केटिंग, एचआर एवं प्रशासन तथा मोबाइल सर्विस इत्यादि जैसे विभिनन पदों पर महाप्रबंधक तथा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड राज्य प्रमुख महाराष्ट्र के रूप में कार्य किया है। अगस्त, 2017 माह में उन्हें दूरसंचार विभाग में वरिष्ठ डीडीजी के रूप में एचएजी ग्रेड में पदोन्नत किया गया।

इसके अतिरिक्त, श्री ए.के. सक्सेना सीजीएम, बीबीएनएल का कार्यभार जारी रखते है।

उनके पास कंपनी में इक्विटी शेयर शून्य है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में श्री ए.के. सक्सेना को छोड़कर कंपनी का कोई भी प्रोमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी किसी भी प्रकार से प्रस्तावित संकल्प से संबद्ध अथवा हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल श्री सक्सेना की पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए यह मानते है कि उन्हें कंपनी के निदेशक (योजना)–पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करना कंपनी के हित में होगा। बोर्ड संकल्प को आपके अनुमोदन के लिए सिफारिश करते है।

वार्षिक आम बैठक में नियुक्त किए जा रहे निदेशकों का संक्षिप्त वृत्त–चित्र

पांचवीं वार्षिक आम बैठक में पुनः चयनित होने के इच्छुक निदेशकः

1.

नाम	श्री निर्मल कुमार जोशी
डीआईएन	03250336
जन्म तिथि	06.10.1959
नियुक्ति की तारीख	15.11.2017
योग्यता	आईटीएस एवं बी.टेक
विशिष्ट संचालन क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री एन.के. जोशी ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बंग्लौर से इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार में इंजीनियरिंग डिग्री पूर्ण करने के पश्चात 1985 में भारतीय दूरसंचार सेवा में कार्य ग्रहण

	किया। उन्होंने भारत में विशेषकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों में कार्य ग्रहण किया है। उन्हें कुवैत में टीसीआईएल की परियोजना के प्रमुख के रूप में तैनात किया गया था। निदेशक (प्रचालन), बीबीएनएल के रूप में कार्य ग्रहण करने के पूर्व उन्होंने डीओटी मुख्यालयों में डीडीजी, (एसयू) और ईडी, एमटीएनएल, दिल्ली का पद धारित किया। इन्हें महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारतीय टेलीफोन उद्योग एवं मिलिनियम टेलिकॉम लिमिटेड में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था।
31.03.2017 के अनुसार अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद (अंशकालीन)	शून्य
31.03.2017 के अनुसार अन्य कपनियों में सदस्यता/समितियों की अध्यक्षता	शून्य
धारित शेयरों की संख्या	शून्य

2.

नाम	श्री ए.के. सक्सेना
डीआईएन	08007046
जन्म तिथि	11.09.1958
नियुक्ति की तारीख	15.11.2017
योग्यता	आईटीएस एवं बी.टेक
विशिष्ट संचालन क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री ए.के. सक्सेना, 1981 बैच के आईटीएस अधिकारी हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में दूरसंचार विभाग में कार्य ग्रहण किया था। उन्होंने अपना कैरियर पूर्वोत्तर कार्य बल में पहली तैनाती के साथ आरंभ किया था। तब से उन्होनें उत्तर प्रदेश (पश्चिमी), दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र, नई दिल्ली, एमटीएनएल मुम्बई और बीबीएनएल में कार्य किया है। श्री ए.के. सक्सेना ने एमटीएनएल मुम्बई में मार्केटिंग, एचआर एवं प्रशासन तथा मोबाइल सर्विस इत्यादि जैसे विभिन्न पदों पर महाप्रबंधक तथा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड राज्य प्रमुख महाराष्ट्र के रूप में कार्य किया है। अगस्त, 2017 माह में उन्हें दूरसंचार विभाग में वरिष्ठ डीडीजी के रूप में एचएजी ग्रेड में पदोन्नत किया गया।
31.03.2017 के अनुसार अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद (अंशकालीन)	शून्य
31.03.2017 के अनुसार अन्य कपनियों में सदस्यता/समितियों की अध्यक्षता	शून्य
धारित शेयरों की संख्या	शून्य

उपस्थिति स्लिप

मैं समिति कक्ष, दूसरा तल, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 में बुधवार 27 दिसम्बर, 2017 को 16:00 बजे आयोजित कंपनी की पांचवीं (5वीं) वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

शेयर धारक का नाम _____

_____

प्रोक्सी का नाम _____

_____

(यदि शेयरधारक के स्थान पर प्रोक्सी भाग लेता है तो भरा जाए)

लेजर फोलियो संख्या _____

धारित शेयरों की संख्या _____

शेयरधारक/प्रोक्सी के हस्ताक्षर _____

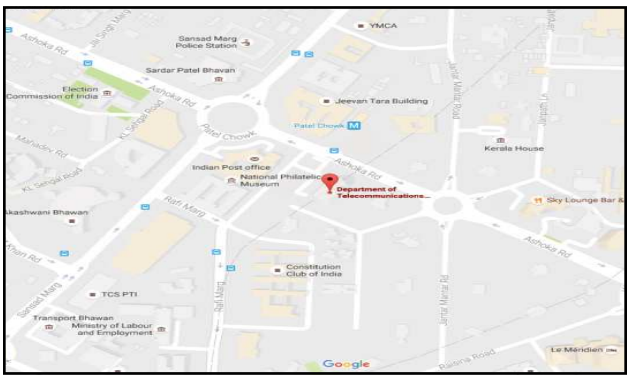

फॉर्म संख्या एमजीटी–11 – प्रोक्सी फॉर्म

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में,

सीआईएन : **यू64100डीएल2012जीओआई232070**

कंपनी का नाम : **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय : **कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैम्पस, मान्डी गांव रोड, महरौली, नई दिल्ली–1100 30**

सदस्य (यों) का नाम: _____

पंजीकृत पता: _____

ई–मेल आईडी: _____ **फोलियो संख्या / ग्राहक आईडी:** _____ **डीपी आईडी:** _____

मैं / हम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के ..... इक्विटी शेयर का सदस्य, निम्निलिखित को

1. नाम: .....
   पता: .....
   ई–मेल आईडी: .....
   हस्ताक्षर: ....., अथवा उसके न होने पर

2. नाम: .....
   पता: .....
   ई–मेल आईडी: .....
   हस्ताक्षर: ....., अथवा उसके न होने पर

3. नाम: .....
   पता: .....
   ई–मेल आईडी: .....
   हस्ताक्षर: ....., अथवा उसके न होने पर

बुधवार दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को 16:00 बजे समिति कक्ष, दूसरे तल, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 में आयोजित होने वाली कंपनी की पांचवी आम बैठक तथा निम्नानुसार बैठक के संचालन के नोटिस में निर्धारित संकल्पों के संबंध में किसी स्थगन में मेरे लिए और मेरी तरफ से मेरे / हमारे प्रोक्सी के रूप में भाग लेने तथा मतदान करने (मतदान की स्थिति में) के लिए नियुक्त करता हूं:

क्र.सं.	संकल्प
	सामान्य कार्य
1.	दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी के तुलन–पत्र को शामिल करते हुए लेखापरीक्षित लेखों और उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना।
2.	कंपनी के निदेशक बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में संशोधन करना और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में संशोधन करना और उन्हें निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत करना।
	विशेष कार्य
3.	श्री एन.के. जोशी की पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्ति
4.	श्री ए.के. सक्सेना की पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्ति

2017 के ..... की ..... तारीख को हस्ताक्षरित

रसीदी टिकट लगाए

अंशधारक के हस्ताक्षर

प्रोक्सी धारक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: प्रभावी होने के लिए प्रोक्सी का यह फॉर्म पूरी तरह से भरकर बैठक आरंभ होने के न्यूनतम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना चाहिए।

सदस्यों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

निदेशक मंडल की ओर से दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ उस पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की समीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरा सौभाग्य है।

1. वित्तीय परिणाम

विवरण	राशि (भारतीय रुपए में)	
	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व	32,24,500	41,33,354
अन्य आय	1,06,00,61,543	12,89,45,157
कुल राजस्व	**1,06,32,86,043**	**13,30,78,511**
कर्मचारियों की पारिश्रमिक तथा भत्ता	4,64,86,754	2,42,42,488
वित्तीय लागत	43,07,166	29,20,761
ह्रास तथा परिशोधन व्यय	50,01,242	5,70,12,102
प्रशासनिक, संचालन तथा अन्य व्यय	72,29,72,554	8,55,43,903
कुल व्यय	**77,87,67,716**	**16,97,19,254**
पूर्व अवधि मद व कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**28,45,18,327**	**(3,66,40,743)**
पूर्व अवधि मदें	**(34,31,885)**	**(1,99,56,412)**
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**28,10,86,442**	**(5,65,97,155)**
कर व्ययः		
चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय	7,91,15,040	-
पूर्व अवधि से संबंधित चालू कर व्यय	-	16,40,967
डेफर्ड कर	(2,65,09,084)	2,60,73,766
कर पश्चात लाभ/(हानि)	**22,84,80,486**	**(8,43,11,888)**
प्रति शेयर अर्जनः		
मूल	3.81	(1.41)
सरलीकृत	3.81	(1.41)
सामान्य आरक्षित में हस्तांतरित	**5,00,00,000**	**-**

2. निष्पादन झलकियां और सिंहावलोकन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कुल 1,06,32,86,043 रुपए का राजस्व (जिसमें 1,06,00,61,543 अर्थात् अन्य आय मुख्यत यूएसओएफ पर संचालन व्यय हेतु दावे के लिए है) और कर पश्चात लाभ 22,84,80,486 रुपए है। पिछले वित्तीय वर्ष 2015–16 में कंपनी को कर पश्चात 8,43,11,888 रुपए का घाटा हुआ था।

3. लाभांश

कंपनी ने वित्त वर्ष के लिए लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है क्योंकि कम्पनी अभी बन रही है और वाणिज्यिक प्रचालन अभी शुरू होना है।

4. आरक्षितों में हस्तांतरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षित खाते में 5,00,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है।

5. मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

कंपनी के लिए सरकार द्वारा तय किए गए चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिभावान व्यक्तियों और मानव संसाधन को एक सक्रिय भूमिका निभानी अपेक्षित है। अपने कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीबीएनएल प्रतिनियुक्ति आधार पर डीओटी, यूएसओएफ, बीएसएनएल और एमटीएनएल से वरिष्ठ प्रबंधन को लेती रही है। बीबीएनएल ने युवा स्नातक इंजीनियरों और वित्तीय व्यावसायिकों की भर्ती करने के भी प्रयास किए हैं। सरकार/पीएसयू के सेवानिवृत्त अधिकारियों को भर्ती करने के अतिरिक्त बीबीएनएल लघु अवधि रिक्तियों को भरने के लिए हाल ही में चार वरिष्ठ परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है (सेवानिवृत्त एचएजी और डीओटी के उससे ऊपर के अधिकारी)।

प्रशिक्षण

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न वर्गों कार्यकारियों के लिए अवसर प्रदान करने हेतु कदम उठाए गए थे। आपकी कंपनी ने सभी स्तरों पर कार्यकारियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। परियोजना के कम समय को देखते हुए और लचीले संगठनात्मक ढांचे के कारण प्रवेश के पश्चात् नौकरी प्रशिक्षण पर सीधे भर्ती के लिए अवसर सृजित किए गए हैं।

6. कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन

कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में शून्य सहनशीलता हैं और उसने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण से संबंधित नीति अपनाई है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बीबीएनएल में सीजीएम (योजना एवं समन्वय) सीजीएम (लेखा) और सहायक प्रबंधक (लेखा), एक्जीक्यूटिव ट्रैनिंग (एचआर) और उपाध्यक्ष, वाईडब्ल्यूसीए की एक आंतरिक समिति का कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों को देखने हेतु गठन किया गया है।

7. वेबसाइट पर रखे गए दस्तावेज (www.bbnl.nic.in)

अधिनियम के अनुसरण में वेबसाइट पर निम्नलिखित दस्तावेज डाले गए है:

(i) आचार संहिता (बीबीएनएल के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए व्यापार आचार संहिता और नीति);

(ii) सिटीजन चार्टर;

(iii) बीबीएनएल प्रापण पुस्तिका;

(iv) स्वतंत्र बाह्य मॉनीटरों का विवरण (आईईएमएस);

(v) एजीएम की सूचना के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट;

(vi) विसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र;

(vii) उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति।

8. अब तक हुई प्रगति

8.1 भारतनेट चरण–1 (अद्यतन प्रगति)

बीबीएनएल भारतनेट परियोजना का निष्पादन कर रहा है जोकि गैर–भेदभाव के आधार पर बैंडविथ और डार्क फाइबर दोनों के प्रावधान हेतु ब्लॉक मुख्यालयों के लिए देश में लगभग सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए प्रमुख कार्यक्रम है। यह नेटवर्क प्रत्येक ग्राम पंचायत में वायर्ड मीडिया (ओएफसी) से 1 जीबीपीएस बैंडविथ प्रदान करने और वॉयरलैस मीडिया (रेडियो) से न्यूनतम 100 एमबीपीएस बैंडविथ जिसे 1 जीबीपीएस तक बढ़ाया जा सकता है, प्रदान करने में सक्षम है। भारतनेट की डिजिटल कनेक्टिविटी का प्रसार किए जाने की आशा है जिसमें ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रोजगार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संभावनाएं पैदा करने की क्षमता है। ब्रॉडबैंड और इंटरनेट तथा ई–सेवाओं के प्रावधान का तेज, पारदर्शी और लागत प्रभावी अभिशासन के अतिरिक्त जीडीपी वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव है।

यह परियोजना 2011 में अनुमोदित की गई थी परंतु परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य सर्वेक्षण किए जाने के पश्चात और तीन कार्यान्वयन सीपीएसयू द्वारा प्रायोगिक कार्य किए जाने के पश्चात 2014 के दूसरे मध्य भाग में आरंभ हुआ चूंकि इतनी बड़े स्तर की परियोजना के लिए उपकरण की प्रापण की प्रक्रिया विलंब उत्पन्न कर रही थी इसलिए सीपीएसयू के माध्यम से विकेंद्रीकृत प्रापण की प्रक्रिया और विकेंद्रीकृत निर्णय –निर्धारण की प्रक्रिया मई, 2016 में आरंभ की गई। निम्न की स्थापना करते हुए परियोजना के कार्यान्वयन की गति में तेजी आई–

i) सचिव, डीओटी के अंतर्गत अधिकार प्राप्त समिति।

ii) प्रशासक, यूएसओएफ के अंतर्गत अनुवीक्षण समिति की प्रत्येक तिमाही में बैठक।

iii) राज्य स्तरीय मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य महा प्रबंधक (सीजीएम), बीएसएनएल के अंतर्गत राज्य समिति।

ये समितियां अंतर–एजेंसी संबंधी मुद्दों और कार्यान्वयन की गति में बाधा पहुंचाने वाले मुद्दों को हल करने में और साथ ही परियोजना की निगरानी में उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

चरण–1 की प्रगति में समर्पित टीमों के गठन और विकेंद्रीकरण के माध्यम से प्रापण की प्रक्रिया में तेजी लाने और मुद्दों को हल करने से पिछले दो वर्षों में तेजी आई है। वर्तमान में चरण–1 में लिए गए 1,25,000 ग्राम पंचायतों में से (25,000 ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त कार्य सहित), 1,13,469 ग्राम पंचायतों में डक्ट/पाइप पहले ही बिछा दिया गया है, 1,08,237 ग्राम पंचायतों में ओएफसी बिछाया गया है (25,0197 किलोमीटर), 1,00,364 ग्राम पंचायतों में उपकरण स्थापित किए गए हैं, 96,039 ग्राम पंचायतों में सेवा तैयार है ओर 59,124 ग्राम पंचायतों में सेवा खोल दी गई है।

कार्यान्वयन के दौरान यह पाया गया था कि चरण–1 के अंतर्गत इंटरकनेक्ट के फाइबर प्वाइंट (एफपीओआई) और ब्लॉक के बीच मौजूदा फाइबर (अर्थात लॉसी फाइबर) की अपर्याप्त गुणवत्ता एंडटूएंड कनेक्टिविटी को प्रभावित कर रही थी। यह नोट किया जाता है कि ओएफसी बिछाने तथा जीपोन उपकरण के उपलब्धता के बावजूद कई जीपी परियोजना में प्रयुक्त किए जा रहे मौजूदा फाइबर की अपर्याप्त गुणवत्ता के कारण सेवा के लिए तैयार नहीं किए जा सके। इन फाइबर को बदला जाना मंत्रिमंडल के आरंभिक अनुमोदन का भाग नहीं था परंतु अप्रैल, 2016 में दूरसंचार आयोग की अग्रिम योजना और अनुमोदन तथा बाद में 19.07.2017 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के साथ ऐसे अपर्याप्त गुणवत्ता वाले 50,000 किलोमीटर फाइबर को बदले जाने का कार्य किया जा रहा है। इससे सर्विस तैयारी की गति और ब्लॉक से ग्राम पंचायतों तक एंडटूएंड कनेक्टिविटी में वृद्धि हुई है इसके परिणामस्वरूप 1,03,768 ग्राम पंचायतों को अब एंडटूएंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई है तथा 96,039 ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार है।

इसके अतिरिक्त परियोजना का कार्यान्वयन केवल 3 सीपीएसयू नामतः बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल के माध्यम से किया गया था और ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी केवल अंडरग्राउंड ओएफसी बिछाकर प्रदान की गई थी जो एक बाध्यकारी कारक बना। कार्यान्वयन के दौरान यह देखा गया कि सभी जीपी को अंडरग्राउंड ओएफसी द्वारा जोड़ा नहीं जा सका और सेवा स्थापित करना परियोजना का भाग नहीं था।

8.2 भारतनेट परियोजना चरण–2 (मंत्रिमंडल का अनुमोदन और उसकी प्रगति)

बीबीएनएल चरण–1 में पहुंच में खामियों को दूर करने के लिए निरंतर कार्य करता रहा है, कार्यान्वयन की संशोधित नीति के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन जुलाई, 2017 में लिया गया। कार्यान्वयन के उद्देश्य

से सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए भारतनेट परियोजना चरण–1 (1 लाख जीपी) और चरण–2 (1.5 लाख जीपी) में बांटी गई थीं।

भारत नेट चरण–2 के लिए संशोधित कार्यान्वयन नीति की मुख्य विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं:

(क) ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक सीधे केबल बिछाना।

(ख) चरण–1 के अनुसार अंडरग्राउंड ओएफसी के अतिरिक्त ऐरियल ऑफ केबल, रेडियो लिंक तथा सेटेलाइट कनेक्टिविटी का उपयोग करना।

(ग) मार्च, 2019 तक समूची 2,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए परियोजना पूर्ण करना।

(घ) सेवाओं की त्वरित डिलिवरी के लिए वाई–फाई अथवा अन्य समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम मील तक कनेक्टिविटी का प्रावधान और समूची 2,50,000 ग्राम पंचायतों का ओएंडएम अब कर लिया गया है।

(ड) सीपीएसयू के अतिरिक्त चरण–1 के अनुसार राज्यों, निजी क्षेत्र के माध्यम से कार्यान्वयन।

(च) राज्यों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से क्षैतिज कनेक्टिविटी।

संशोधित नीति में अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू परियोजना के कार्यान्वयन में सीपीएसयू के साथ राज्यों और निजी क्षेत्र की भागीदारी है। राज्यों के सेवाओं की स्थापना में अति महत्वपूर्ण भागीदार होने के नाते उन्हें चरण–2 में कार्यान्वयन में शामिल किया गया है। राज्यों की भागीदारी के साथ कार्यान्वयन अधिक तेजी से और सुकर तरीके से किए जाने की संभावना है। इस दिशा में कार्रवाई की गई थी जैसे कि विभिन्न राज्य सरकारों के साथ परामर्श, उन्हें इलैक्ट्रिसिटी पोल के सर्वेक्षण हेतु निधियां प्रदान करना जहां ऐरियल केबल प्रदान की जा सकती हैं और ऐसी अन्य गतिविधियां। चूंकि मौजूदा इलैक्ट्रिसिटी पोल पर ऐरियल ओएफसी चरण–2 में ओएफसी बिछाने के लिए विचार किया जा रहा है इसलिए सर्वेक्षण तथा कुछ राज्यों के लिए ऐरियल ओएफसी बिछाने हेतु विद्युत पोल की जीआईएस मैपिंग के लिए अग्रिम निधि प्रदान की गई है।

राज्यों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों के लिए सितम्बर, 2017 और दिसम्बर, 2017 में दूरसंचार आयोग द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। बीबीएनएल ने राज्यों के साथ तकनीकी, वाणिज्यक और वित्तीय मुद्दों को तेजी से हल करने के लिए कार्य किया जोकि इस प्रकृति की परियोजनाओं में आम होते हैं। सभी भागीदारों अर्थात यूएसओएफ, डीओटी, राज्य तथा बीबीएनएल की समय पर की गई कार्रवाई के कारण क्रमशः कम समय में दूरसंचार आयोग का अनुमोदन प्राप्त हुआ। मंत्रिमंडल द्वारा राज्य डीपीआर के अनुमोदन हेतु प्रदान की गई पांच माह की सीमा के विरुद्ध दूरसंचार आयोग द्वारा अधिकांश राज्यों के लिए डेढ़ माह में चार स्तरीय जांच के पश्चात राज्य स्तरीय डीपीआर हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया।

राज्य–मॉडल के कार्यान्वयन के लिए चुर्तपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का कार्य 13 नवम्बर, 2017 को आरंभ हुआ जिसमें माननीय संचार (स्वतंत्र प्रभार) और रेलवे राज्य मंत्री तथा अन्य केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तदंतर 09.12.2017 को झारखंड तथा महाराष्ट्र राज्यों के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर दिसम्बर, 2017 के अंत में हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

निजी क्षेत्र संचालित मॉडल के अंतर्गत दूरसंचार आयोग के अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत बिहार और पंजाब राज्यों के लिए प्रस्तावों का अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया है।

सीपीएसयू संचालित मॉडल के लिए बीएसएनएल को असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम राज्यों में नामांकन आधार पर दूरसंचार आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों जिनमें ऐरियल ओएफसी विद्युत पोल पर बिछाया जाना है, पीजीसीआईएल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। सीपीएसयू संचालित मॉडल के लिए बीएसएनएल और पीजीसीआईएल के साथ विचार–विमर्श अंतिम चरण में है। सीपीएसयू के साथ 1 दिसम्बर 2017 और 9 दिसम्बर, 2017 को दो कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

चरण–2 के अंतर्गत विशेष जोर सेवाओं की स्थापना पर है। मंत्रिमंडल ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के लिए अंतिम मील तक कनेक्टिविटी के लिए मॉडल को अनुमोदित किया है। अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए आयोजना कार्य पूरा हो गया है और इस उद्देश्य के लिए आरएफपी लाए जाने की आशा है। राज्य ग्राम पंचायतों के स्तर पर सरकारी संस्थाओं को नेटवर्क से जोड़कर, एफटीटीएच कनेक्शन लेते हुए, जीपी में वाई–फाई हॉटस्पॉट स्थापित करके भारतनेट के लिए स्वॉन नेटवर्क जोड़कर इस नेटवर्क का उपयोग करने के लिए सटीक कदम उठा रहे हैं। टीएसपी को बैंडविथ का प्रयोग करने के लिए अग्रिम भुगतान भी किया गया है। बीबीएनएल द्वारा विशेष टैरिफ भी तैयार और तैनात किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 42,068 करोड़ रूपए की कुल अनुमानित लागत (जीएसटी, चूंगी और स्थानीय कर को छोड़कर) अनुमोदित की है जिसमें चरण–1 के लिए 11,148 करोड़ रूपए और चरण–2 तथा यूएसओएफ द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली अन्य गतिविधियों के लिए 30,920 करोड़ रुपए शामिल हैं।

8.3 नेटवर्क का रख–रखाव

ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के विस्तार के कारण इंक्रीमेंटल फाइबर का रख–रखाव एक चुनौती है। यह महत्वपूर्ण है कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक समर्पित एजेंसी आवंटित की जाए।

चरण–1 में जीपी के लिए बीएसएनएल को ओएंडएम की जिम्मेदारी दी गई है जबकि बीएसएनएल ने इंक्रीमेंटल फाइबर बिछा दी गई है। इस आश्य के करार पर 4 अक्टूबर, 2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं। बीबीएनएल नेटवर्क के ओएंडएम के लिए अन्य तंत्रों को भी पता लगा रहा है।

चरण–2 में नेटवर्क के प्रबंधन और आपरेशन और रख–रखाव का कार्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परियोजना का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी को परियोजना के जीवन चक्र हेतु प्रबंधन, आपरेशन और रख–रखाव की जिम्मेदारी देने में वरीयता दी जाएगी।

8.4 नेटवर्क का उपयोग

भारत नेट की सेवा स्थापना और उपयोग का पहलू संशोधित कार्यान्वयन नीति का प्रमुख मुद्दा है। वाई–फाई अथवा अन्य ब्रॉड आधारित प्रौद्योगिकी के आधार पर अंतिम मील कनेक्टिविटी मॉडल की प्रत्येक जीपी हेतु मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस उद्देश्य के लिए आरएफपी का प्रस्ताव किया जा रहा है और शीघ्र ही इसे जारी किया जाएगा।

इस नेटवर्क के मुख्य उपभोक्ता टेलीकॉम सेवा प्रदाता, आईएसपी, एमएसओ, एलसीओ इत्यादि हैं जो ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की स्थापना तथा मोबाइल नेटवर्क के विस्तार हेतु भारतनेट का उपयोग कर सकते हैं। बीबीएनएल ने 13.11.2017 को विज्ञान भवन में भारतनेट के उपयोग के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। चार राष्ट्रीय स्तर के टीएसपी को भारतनेट के बैंडविथ और डार्क फाइबर प्रावधान के लिए इकट्ठे 17.86 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

इस नेटवर्क के अन्य मुख्य उपभोक्ता राज्य सरकारें हैं जो विभिन्न नागरिक केंद्रीत सेवाओं के लिए नेटवर्क का उपयोग कर सकती हैं जैसे कि ई–स्वास्थ्य, ई–शिक्षा, ई–चिकित्सा इत्यादि। भारतनेट राज्यों की ग्रामीण क्षेत्रों में उनके सभी नागरिकों तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने और डिजिटल अंतर को पाटने में सहायक होगा। कई राज्य (राज्य संचालित मोड के अंतर्गत चरण–2 में कार्यान्वयन करने वाले राज्यों सहित) ने राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतनेट के उपयोग की रणनीति दर्शायी।

8.5 भारतनेट के निधियन के लिए यूएसओएफ के साथ करार

भारतनेट के लिए विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) के रूप में बीबीएनएल ने यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ), दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार के अंतर्गत यूएसओएफ ने बीबीएनएल के पहले 5 वर्षों के लिए समूचे कैपेक्स और नेट औपेक्स (अर्थात राजस्व से निवल औपेक्स) हेतु निधियां प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रबंध को 2020 तक बढ़ाया गया है।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट, प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण तथा अन्य सूचना

कारपोरेट अभिशासन रिपोर्टः

आपकी कंपनी सभी प्रतिभागियों के हितों की सुरक्षा में सभी स्तरों पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट अभिशासन के उच्च मानकों को बनाए रखने हेतु वचनबद्ध है। कंपनी, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करती है। बीबीएनएल ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का इष्टतम संभावित सीमा तक क्रियान्वयन किया है।

शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए कंपनी सचिव के एक प्रमाण–पत्र के साथ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी एक रिपोर्ट जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, इस रिपोर्ट के अनुबंध–ख के साथ संलग्न है।

प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्टः

डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों के खंड 7.5 के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संचालन और निष्पादन के संबंध में "प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट" **अनुबंध–ग** में संलग्न है।

10. निदेशक उत्तरदायित्व प्राक्कथन

अधिनियम की धारा 134(5) तथा प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक इस बात की पुष्टि करते है कि:

i) वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक लेखे तैयार करने में सभी लागू लेखन मानकों को वस्तुस्थिति से विचलन से संबंधित समुचित व्याख्या के साथ अपनाया गया है;

ii) उन्होंने ऐसी लेखन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत् रूप से अपनाया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो वित्तीय वर्ष को समाप्त अवधि के अनुसार कंपनी के मामलों और वित्तीय वर्ष को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाते का सही और समुचित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए समुचित एवं विवेकपूर्ण हैं;

iii) उन्होंने उनकी जानकारी और योग्यता के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखन रिकॉर्ड रखने के लिए समुचित एवं पर्याप्त देखभाल की है। उन्होंने यह पुष्टि की है कि उनके पास कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने एवं उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त प्रणाली एवं नियंत्रण मौजूद है;

iv) उन्होंने जारी हितों के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए है;

v) उन्होंने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं; और

vi) उन्होंने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

11. सांविधिक लेखापरीक्षक

मै. रावला एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की है।

12. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन के उत्तर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के साथ उन पर प्रबंधन के उत्तर निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

13. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा मैसर्स जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएटस, कंपनी सचिव, नई दिल्ली द्वारा की गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षा **अनुबंध–च** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. कंपनी सचिवों द्वारा उनकी रिपोर्ट में योग्यताओं, निहितार्थों अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों अथवा अस्वीकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(च) के अंतर्गत व्याख्या अथवा टिप्पणियां:

सचिवालयी लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्टों में निम्नलिखित योग्यताएं, निहितार्थ अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां थी और उन पर प्रबंधन का उत्तर नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा पैरा संख्या	सचिवालयी लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
(i)(1)	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में हम यह सूचित करना चाहते हैं कि वर्ष के दौरान बोर्ड तथा उसकी उप–समितियों की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं चूंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।	कंपनी ने कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पहले ही दूरसंचार विभाग / सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है।

अतिरिक्त, **अनुबंध–क** पर सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सचिवालयी लेखापरीक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की है:–

लेखापरीक्षा पैरा संख्या	सचिवालयी लेखापरीक्षक की टिप्पणियां
अनुबंध–क – क्रम संख्या 3	हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए मैसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर (सनदी लेखाकार) की आतंरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है, अतः हमने नमूना आधार पर सांविधिक/विधायी अनुपालनों की सटीकता की जांच की है। उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यताएं/टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का भाग है।
अनुबंध–क – क्रम संख्या 4	हमने समीक्षा अवधि के लिए मैसर्स रावला एंड कंपनी (सनदी लेखाकार) की सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है अतः हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की सटीकता की जांच नहीं की है। उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यताएं/टिप्पियां इस रिपोर्ट का भाग हैं।

उपर्युक्त के संबंध में प्रबंधन का समेकित उत्तर पहले ही वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रबंधकों के उत्तर के खंड में दिया गया है।

15. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकीय समावेषण तथा शोध एवं विकास पर व्यय

कंपनी अधिनियम की धारा 134(3)(ड) के प्रावधानों तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित अनसुरण में ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क) ऊर्जा संरक्षण

क) ऊर्जा के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम अथवा प्रभाव:

कंपनी ने नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र/कार्यालय में एलईडी ट्यूब लाइट/बल्बों को स्थापित कर दिया है।

ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

ग्राम पंचायतों में ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधन के रूप में सौर ऊर्जा पहले ही स्थापित कर दी गई है।

ग) ऊर्जा संरक्षण उपकरण के संबंध में पूंजीगत निवेश:

कंपनी ने कार्यालय भवन में ऊर्जा संरक्षण उपकरण लगाए है।

ख) प्रौद्योगिकीय समावेषण, उन्हें अपनाना और नवाचार

क) प्रौद्योगिकीय समावेषण, उन्हें अपनाने और नवाचार के लिए उठाए गए संक्षेप में कदमः

जीपोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक प्रमुख योजना चलाई गई हैं। इस प्रमुख योजना के लिए जीपोन के लिए निविदा में अधिगम शामिल किया गया है जिसे अंतिम रूप दिया गया है।

ख) उपर्युक्त प्रयासों, उदाहरण उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन इत्यादि के परिणामस्वरूप पहुंचे लाभ

जीपोन में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

ग) आयाती प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के आरंभ से शुरू करते हुए विगत पांच वर्षों के दौरान आयातित) निम्नलिखित सूचना दी जा सकती हैः

(क) आयातित प्रौद्योगिकी : शून्य

(ख) आयात का वर्ष : शून्य

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से समावेशित की गई है : शून्य

(घ) यदि पूरी तरह से समावेशित नहीं की गई है तो वे क्षेत्र जहां ऐसा नहीं हुआ है, इसके कारण तथा भविष्य की योजनाएं : शून्य

(ग) आरएंडडी पर व्यय (रूपए में)

क्र.सं.	विवरण	2016–17	2015–16
1.	पूंजी	शून्य	शून्य
2.	आवर्ती	शून्य	शून्य
3.	कुल	शून्य	शून्य
4.	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में कुल आरएंडडी व्यय	शून्य	शून्य

16. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

क्र. सं.	विदेशी मुद्रा आय/व्यय	राशि भारतीय रुपए में	
		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	विदेशी मुद्रा आय	शून्य	शून्य
2.	विदेश यात्रा पर भुगतान पर हुआ व्यय	1,45,516	4,26,924
3.	अन्य	4,49,394	5,78,089
4.	सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य (अर्जन आधार पर)	शून्य	शून्य
5.	विदेशी मुद्रा वापसी, यदि कोई हो,	शून्य	शून्य

17. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

आपकी कंपनी ने अब तक वाणिज्यक संचालन आरंभ नहीं किया है। हालांकि कंपनी अब कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्राधिकार/मापदंड के अंतर्गत शामिल है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लेख किया गया है। यद्यपि सीएसआर गतिविधियां संचालित नहीं की गई हैं परंतु कंपनी ने बोर्ड की एक सीएसआर उप–समिति गठित कर ली है और वह शीघ्र ही सीएसआर के अंतर्गत समुचित गतिविधियां संचालित करेगा।

18. लोगों से जमा

कंपनी ने लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार लोगों से मूल अथवा जमा पर ब्याज के लिए कोई राशि तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार बकाया नहीं थी।

19. निदेशक बोर्ड

19.1 31.03.2017 के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निम्न तिथि से कार्यग्रहण की अवधि
1.	श्री संजय सिंह@	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	18.03.2016 से
2.	श्री शशि रंजन कुमार	सरकारी नामिती निदेशक	06.11.2015 से
3.	श्री महमूद अहमद	सरकारी नामिती निदेशक	16.12.2016 से
4.	श्री बी.के. मित्तल*	निदेशक (प्रचालन)	29.07.2015 से
5.	श्री बी.के. मित्तल**	निदेशक (योजना)	01.01.2016 से
6.	श्री मनोज आनंद***	निदेशक (वित्त)	29.07.2016 से

@दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसरण में श्री संजय सिंह प्रशासक(यूएसओएफ), डीओटी को कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था।

*दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसार श्री बी.के. मित्तल, सहालकार, डीओटी को कंपनी के निदेशक (प्रचालन) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था।

**दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसार श्री बी.के. मित्तल, सहालकार, डीओटी को कंपनी के निदेशक (योजना) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था।

***दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसार श्री मनोज आनन्द, सीजीएम (कराधान), बीबीएनएल को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था।

19.2 निम्नलिखित व्यक्तियों को वर्ष के दौरान/पिछली एजीएम की तारीख से समीक्षाधीन तारीख तक निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नियुक्त किया गया था:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री महमूद अहमद	सरकारी नामिती निदेशक	16.12.2016
2.	श्री मनोज आनंद	निदेशक (वित्त)	29.07.2016
3.	श्री एन.के. जोशी	निदेशक (प्रचालन)	15.11.2017
4.	श्री ए.के सक्सेना	निदेशक (योजना)	15.11.2017

19.3 निम्नलिखित व्यक्ति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान/पिछली एजीएम से आज तक की तारीख तक निदेशक/केएमपी नहीं रहे

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पद छोड़ने की तारीख
1.	श्रीमती अरूणधती पांडा	निदेशक (वित्त)	26.07.2012	25.07.2016
2.	श्री आईएस शास्त्री	सरकारी नामिति निदेशक	25.02.2012	16.12.2016
3.	श्री बी.के. मित्तल	निदेशक (प्रचालन)	29.07.2015	31.10.2017
4.	श्री बी.के. मित्तल	निदेशक (योजना)	01.01.2016	31.10.2017

19.4 निम्नलिखित व्यक्तियों को समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार केएमपी के रूप में पदनामित किया गया था:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री संजय सिंह	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	18.03.2016
2.	श्री बी.के. मित्तल	निदेशक (प्रचालन)	29.07.2015
3.	श्री मनोज आनंद	निदेशक (वित्त)	29.07.2016
4.	श्री ए.सी. उपाध्याय	कंपनी सचिव और विधि प्रमुख	01.04.2014

19.5 बोर्ड की बैठकें

बोर्ड के सदस्यों की बोर्ड बैठक में उपस्थिति तथा अन्य विवरण कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी के निदेशक बोर्ड की निम्न तारीखों को बारह (12) बैठकें हुई:

53वीं बोर्ड बैठक 12.04.2016	54वीं बोर्ड बैठक 30.05.2016	55वीं बोर्ड बैठक 09.06.2016	56वीं बोर्ड बैठक 28.06.2016
57वीं बोर्ड बैठक 08.07.2016	58वीं बोर्ड बैठक 21.07.2016	59वीं बोर्ड बैठक 28.07.2016	60वीं बोर्ड बैठक 05.08.2016
61वीं बोर्ड बैठक 23.08.2016	62वीं बोर्ड बैठक 05.10.2016	63वीं बोर्ड बैठक 15.11.2016	64वीं बोर्ड बैठक 28.01.2017

20. लेखापरीक्षा समिति

आरंभ में बोर्ड द्वारा 22.04.2013 को लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है जिसमें दो सरकारी नामिती निदेशक तथा एक संचालन निदेशक शामिल हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव है। वर्ष के दौरान 6 (छः) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया है।

16वीं लेखापरीक्षा समिति 12.04.2016	17वीं लेखापरीक्षा समिति 21.07.2016	18वीं लेखापरीक्षा समिति 23.08.2016
19वीं लेखापरीक्षा समिति 05.10.2016	20वीं लेखापरीक्षा समिति 15.11.2016	21वीं लेखापरीक्षा समिति 09.03.2017

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी)/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है, जो लंबित है। जैसे ही डीओटी/सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बीबीएनएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दी जाएगी, लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

31.03.2017 तक निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा 31.03.2017 तक बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री शशि रंजन कुमार	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	6
2.	श्री आई.एस. शास्त्री*	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	5
3.	श्री बी.के. मित्तल**	सदस्य	निदेशक (प्रचालन)	6
4.	श्री महमूद अहमद***	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	1

*श्री आईएस शास्त्री ने दिनांक 16.12.2016 को सरकारी नामिती निदेशक के पद से त्याग–पत्र दे दिया।

**डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री बी.के. मित्तल, सलाहकार, डीओटी को निदेशक (प्रचालन) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया गया था। इसके अतिरिक्त, श्री बी.के. मित्तल को दिनांक 01.01.2016 से निदेशक (योजना) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

***डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री महमूद अहमद को दिनांक 16.12.2016 से सरकारी नामिती निदेशक का प्रभार सौंपा गया है।

लेखापरीक्षा समिति का कार्यकाल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के अभिशासन दिशा–निर्देशों के संबंध में 14 मई, 2010 के निर्देशों के अनुसार हैं। कार्यों की सूची में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल है:

- **लेखापरीक्षकों के साथ आवधिक रूप से निम्न के बारे में विचार–विमर्श करना:**
  - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अनुपालन और उसकी सक्षमता
  - लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहिति लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र
  - बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा
- **निम्नलिखित कार्य करना:**
  - कंपनी की वित्तीय सूचना के प्रकटन के लिए प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं
  - प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले विशेषकर निदेशक की जिम्मेदारी विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मामलों के संदर्भ में, परिवर्तन, यदि कोई हो, लेखा नीतियों, प्रमुख लेखन प्रविष्टियों, महत्वपूर्ण समायोजनों और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्य मतों के संदर्भ में समीक्षा करना।
  - बाह्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की सिफारिश करना, लेखापरीक्षा फीस का निर्धारण करना और किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान के अनुमोदन प्रदान करना।
  - लेखापरीक्षा समिति की सेवा शर्तों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

20.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत विसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र

कंपनी में समिति के माध्यम से एक स्थापित विसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र है और यह निदेशकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा व्यक्त सही चिंताओं की देखभाल करता है। कंपनी में उन कर्मचारियों और निदेशकों को प्रताड़ित करने के विरूद्ध समुचित रक्षोपाय किए हैं जो ऐसी चिंताएं व्यक्त करते हैं। कंपनी ने सह–कर्मचारियों तथा कंपनी के हितों के संबंध में मामले सूचित करने के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच भी प्रदान की है।

कर्मचारियों को कंपनी की आचार संहिता के विरूद्ध गैर–नीतिगत व्यवहार, वास्तविक अथवा संभावित, धोखाधड़ी अथवा उल्लंघन की घटनाएं प्रबंधन को सूचित करने का अवसर प्रदान करने की नीति तैयार की गई है। वर्ष के दौरान, ऐसी कोई घटना सूचित नहीं की गई।

21. नामित एवं पारिश्रमिक समिति:

आरंभ में बोर्ड में वर्ष 2013 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया था। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष को एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। तथापि, स्वतंत्र निदेशक की तैनाती अभी तक नहीं की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के तहत यथा अपेक्षित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में पुनर्गठन नहीं किया जा सका। समिति का दूरसंचार विभाग द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठन किया जाएगा। एक सीपीएसयू होने के नाते निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं और पारिश्रमिक के मापदंड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते है और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 05.06.2015 की अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान की है। समिति का कार्यक्षेत्र डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन दिशा–निर्देशों में दी गई परिभाषा के अनुसार सीमित है।

वर्ष के दौरान 27.06.2016 को पारश्रमिक समिति की 1 (एक) पांचवीं बैठक आयोजित की गई थी। निदेशक बोर्ड की पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की वर्तमान संरचना और श्रेणी तथा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	'	स्वतंत्र निदेशक	गैर–अधिकारिक/अधिकारिक अंशकालीन निदेशक	.
2.	'	स्वतंत्र निदेशक	गैर–अधिकारिक/अधिकारिक अंशकालीन निदेशक	.
3.	श्री शशि रंजन कुमार	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	1
4.	श्री आई.एस. शास्त्री**	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	1
5.	श्री महमूद अहमद***	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	लागू नहीं

*स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है।

**श्री आई.एस. शास्त्री ने 16.12.2016 को सरकारी नामिती निदेशक के पद से त्याग–पत्र दे दिया है।

***डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री महमूद अहमद को दिनांक 16.12.2016 से सरकारी नामिती निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है।

22. कार्यकारी समिति

वर्ष के दौरान कार्यकारी समिति की 13 (तेरह) बैठकें आयोजित की गईं

26वीं कार्यकारी समिति 02.05.2016	27वीं कार्यकारी समिति 09.07.2016	28वीं कार्यकारी समिति 03.08.2016	29वीं कार्यकारी समिति 27.08.2016
30वीं कार्यकारी समिति 06.09.2016	31वीं कार्यकारी समिति 28.09.2016	32वीं कार्यकारी समिति 20.10.2016	33वीं कार्यकारी समिति 30.11.2016
34वीं कार्यकारी समिति 10.12.2016	35वीं कार्यकारी समिति 16.12.2016	36वीं कार्यकारी समिति 06.02.2017	37वीं कार्यकारी समिति 15.02.2017
38वीं कार्यकारी समिति 15.03.2017			

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री संजय सिंह	अध्यक्ष	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	13
2.	श्री बी.के. मित्तल@	सदस्य	निदेशक (प्रचालन) एवं (योजना)	13
3.	श्रीमती अरूणधती पांडा@@	सदस्य	निदेशक (वित्त)	2
4.	श्री मनोज आनन्द@@@	सदस्य	निदेशक (वित्त)	11

@डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री बी.के. मिततल को निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (योजना) का पद भार सौंपा गया था।

@@ श्रीमती अरूणधती पांडा का बीबीएनएल में आरंभिक/अंतरिम निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यकाल 25.07.2016 को समाप्त हो गया, इसलिए उन्होंने 25.07.2016 (अपराह्न) से कंपनी के निदेशक (वित्त) के कार्यभार से त्यागपत्र दे दिया।

@@@डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री मनोज आनन्द, सीजीएम (कराधान), बीबीएनएल को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। श्री मनोज आनन्द ने 29.07.2016 को कार्यभार ग्रहण किया।

23. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और क्रियान्वयन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ढ) के अंतर्गत सूचना

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 15.11.2016 को एक बैठक (चौथी) का आयोजन किया गया था। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा 31.03.2017 तक बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री आई.एस. शास्त्री*	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	1
2.	श्री बी.के. मित्तल**	सदस्य	निदेशक (प्रचालन) एवं (योजना)	1
3.	श्री महमूद अहमद ***	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	लागू नहीं

* श्री आईएस शास्त्री ने 16.12.2016 को सरकारी नामिति निदेशक के पद से त्याग पद दिया।

**डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री बी. के. मित्तल को निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (योजना) का पद भार सौंपा गया।

** डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री महमूद अहमद को सरकारी नामिति निदेशक का 16.12.2016 को पद भार सौंपा गया।

24. कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत सूचना

बीबीएनएल के एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और संगत नियम कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्रित अधिसूचना को देखते हुए लागू नहीं होंगे। संचालन निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और उपबंधों का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। बीबीएनएल के कंपनी सचिव, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति के वेतन और शर्तें कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है।

25. बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के निष्पादन तथा उसकी समिति तथा व्यैक्तियों के निष्पादन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(त) के अंतर्गत प्रक्कथन

बीबीएनएल के एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(त) के प्रावधानों और संगत नियम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्रित अधिसूचना को देखते हुए लागू नहीं होंगे।

26. संबद्ध पक्ष लेनदेन

संबद्ध पक्षों के साथ कोई करार अथवा प्रबंध नहीं था जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तत्वाधान में आता।

27. फॉर्म संख्या एमजीटी 9 वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट के लिए फॉर्म संख्या एमजीटी 9 में कंपनी की वार्षिक रिटर्न का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसरण में रिपोर्ट **अनुबंध–क** में दी गई है।

28. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा किए गए निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक कंपनी द्वारा कोई ऋण गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया और इस प्रकार उक्त प्रावधान लागू नहीं है।

29. अनारक्षित ऋण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई अनारक्षित ऋण नहीं है।

30. वित्तीय वर्ष के अंत जिससे वित्तीय विवरण संबद्ध है और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले वास्तविक परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हो:

वित्तीय वर्ष के अंत जिससे वित्तीय विवरण संबद्ध है और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई वास्तविक परिवर्तन और वचनबद्धताएं नहीं है।

31. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए समूचे संगठन में व्यापक तंत्र गठित किया है। नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में सहायता और सुलभता प्रदान करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत सूचना तक पहुंच और प्रथम अपील दायर करने की प्रक्रिया व्यक्त करते हुए बीबीएनएल की वेबसाइट पर विस्तृत दिशा–निर्देश डाले गए हैं।

सूचना की विभिन्न श्रेणियों का प्रसार करते हुए अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुरूप बीबीएनएल की वेबसाइट पर स्वतः प्रकटन किया गया है ताकि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से इस अधिनियम का उपयोग करने की न्यूनतम आवश्यकता हो।

32. राजभाषा (आधिकारिक भाषा)

आपकी कंपनी राजभाषा के प्रसार और संवर्धन के सटीक प्रयास करती है। राजभाषा नीति/अधिनियम/नियमों/भारत सरकार के आदेशों के अनुसरण में सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक उपयोग के लिए प्रयास जारी हैं। वर्ष के दौरान इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं अर्थात् कंपनी ने लेखन और बोलचाल में सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए दिनोंदिन आधिकारिक पत्राचार में हिंदी के प्रयोग में वृद्धि करने हेतु हिंदी कार्यशालाओं और हिंदी दिवस का आयोजन किया। कंपनी ने www.bbnl.nic.in पर अपनी वेबसाइट हिन्दी में भी आरंभ की है।

33. सतर्कता

सीवीओ की तैनाती के साथ कंपनी में सितम्बर, 2015 में सतर्कता इकाई की पहले ही स्थापना कर दी गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान सीवीसी के निदेशानुसार रोकथाम रूपी सतर्कता सहित विभिन्न सतर्कता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया गया। 2.00 लाख रूपए और उससे अधिक के अनुमानित मूल्य की निविदाएं टीसीआईएल के ई–पोर्टल का प्रयोग करते हुए आमंत्रित की जा रही है। सभी सतर्कता संबंधी शिकायतों की जांच की गई और समय से इनका निपटान किया गया। सीवीसी के निदेशानुसार 31.10.2016 से 05.11.2016 तक बीबीएनएल में सफलतापर्वूक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 मनाया गया।

34. शेयरधारकों के लिए सूचना

कंपनी के वित्तीय विवरण और संबद्ध विस्तृत सूचना कंपनी के हितधारकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसी कोई सूचना की मांग करने वाला कोई भी हितधारक किसी भी समय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्य घंटों के दौरान इसका निरीक्षण कर सकता है।

35. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्त होने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(थ) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(viii) के अंतर्गत सूचना

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय सूचना और नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में संचालन सक्षमता, संसाधनों के संरक्षण, सटीकता और तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विनियमों और प्रक्रियाओं के साथ इसकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा अनुपालन सहित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की सक्षमता और प्रभाविता की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित होती है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श किया जाता है और उनकी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षी की जाती है जो कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की सक्षमता और प्रभावशीलता की भी समीक्षा करती है।

36. निदेशकों द्वारा सांविधिक प्रकटनः

आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है।

आपकी निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित आवश्यक प्रकटन किया है।

37. कारपोरेट अभिशासन के संबंध में दिशा–निर्देशों के अनुपालन के आधार पर ग्रेडिंग

वर्ष 2015–16 और 2016–17 में डीपीई ने वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के लिए कारपोरेट अभिशासन के संबंध में दिशा–निर्देशों के अनुपालन के आधार पर सीपीएसई की ग्रेडिंग को अंतिम रूप दिया है, बीबीएनएल को ''उत्कृष्ट'' आंका गया है।

38. स्वच्छ भारत अभियान

राष्ट्रवार स्वच्छ भारत अभियान के भाग के रूप में आपकी कंपनी ने वर्ष भर विभिन्न अवसरों पर स्वच्छ भारत पखवाड़े का आयोजन किया। आपकी कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश भर में और उसके आस–पास कार्यालय परिसरों में आयोजित विभिन्न सफाई कार्यक्रमों में भाग लेते हुए भारत सरकार के इस अभियान में अत्यधिक उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दर्शायी।

39. आभार

निदेशक बोर्ड भारत सरकार, विशेषकर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर, बीएसएनएल, पीजीसीआईएल, रेलटेल, सी–डॉट, टीसीआईएल और सभी अन्य भागीदारों तथा विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सहयोग का हृदय से आभारी है।

निदेशक बोर्ड सीएंडएजी तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों सचिवीय लेखापरीक्षकों तथा बैंकों से प्राप्त मूल्यवान सहयोग का धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल इस अवसर पर प्रत्येक कर्मचारी का मूल्यवान सहयोग परिश्रम तथा समर्पण के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड को विश्वास है कि कर्मचारियों के सतत् एवं समर्पित प्रयासों से आपकी कंपनी नई चुनौतियों का सामना तथा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी।

40. अनुशेषः निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैः

40.1 कंपनी की "वार्षिक रिटर्न का उद्धरण" **अनुबंध–क** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

40.2. "कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट" **अनुबंध–ख** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

40.3 "प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट" **अनुबंध–ग** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

40.4 "निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए आचार संहिता" **अनुबंध–घ** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

40.5 "कंपनी के मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रमाण–पत्र/घोषणा" **अनुबंध–ङ** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

40.6 कंपनी की "सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट" **अनुबंध–च** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
कृते तथा की ओर से निदेशक बोर्ड

संजय सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07484614

दिनांकः 20.12.2017
स्थानः नई दिल्ली

अनुबंध–क

फॉर्म संख्या एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

वित्तीय वर्ष 31.03.2017 को समाप्त होने की स्थिति के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरणः

i.	सीआईएन	यू64100डीएल2012जीओआई232070
ii.	पंजीकरण की तारीख	25 फरवरी, 2012
iii.	कंपनी का नाम	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	श्रेणी – शेयर द्वारा कंपनी लिमिटेड उपश्रेणी – केंद्र सरकार की कंपनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैम्पस, मांडी गांव रोड, महरोली, नई दिल्ली–110030
vi.	क्या यह सूचीबद्ध कंपनी है हां/ना	नहीं
vii.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क विवरण	कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड 305, नई दिल्ली हाउस, तीसरी मंजिल, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001

II. कंपनी की प्रमुख व्यापार गतिविधि

कंपनी के कुल टर्नओवर के 10 प्रतिशत अथवा अधिक की सभी व्यापार गतिविधियां निम्न होंगीः–

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की स्थापना, प्रबंधन और ऑपरेशन का कार्य करना जिसकी ग्राम पंचायतों को मौजूदा तथा भविष्य के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करके सभी ग्राम पंचायतों को त्वरित गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की भारत सरकार द्वारा परिकल्पना की गई है।	9984222	100%

III. धारित, सब्सिडरी तथा एसोसिएट कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सब्सिडरी/एसोशिएट	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू खंड
1	.....	.....	..... शून्य	.....	.....

IV) शेयरहोल्डिंग पद्धति (कुल इक्विटी का इक्विटी शेयर पूंजी विवरण कुल प्रतिशत)

i) *श्रेणी–वार शेयरहोल्डिंग*

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान : परिवर्तन प्रतिशत में
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) व्यक्ति / एचयूएफ									
ख) केंद्र सरकार	शून्य	6,00,00,000	6,00,00,000	99.999995		6,00,00,000	6,00,00,000	99.999995	शून्य
ग) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम	शून्य	03	03	0.000005		03	03	0.000005	शून्य
ड) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (क) (1)	शून्य	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	शून्य
2) विदेशी									
क) एनआरआई–व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (क)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रोमोटोर के कुल शेयर (क)=(क) (1)+(क)(2)	शून्य	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	शून्य
ख) सार्वजनिक शेयर होल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान : परिवर्तन प्रतिशत में
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) वैंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोग (ख) (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2) संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) लाख रुपए तक आंशिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii)लाख रुपए से अधिक आंशिक शेयरपूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरहोल्डर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ख) (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल सार्वजनिक शेयर (ख) = (ख) (1)+(ख)(2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	**शून्य**

ii) *प्रोमोटरों की शेयरहोल्डिंग*

क्र. सं.	अंशधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयर			वर्ष के अन्त में शेयर			वर्ष के दौरान धारित शेयर में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में वचनबद्ध शेयरों / भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में वचनबद्ध शेयरों / भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से श्री अमित यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन), डीओटी	5,99,99,994	99.999985	शून्य	5,99,99,994	99.999985	शून्य	शून्य
2	श्री आर.एम. चतुर्वेदी, उप महानिदेशक (सीएस), डीओटी	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
3	श्री अश्विन सालवान, डीडीजी (बीबी), यूएसओएफ, डीओटी	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
4	श्री रूपेंद्र कुमार, निदेशक (यूएसओएफ), डीओटी	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
5	श्री राजीव कुमार, डीडीजी (बीएंडपीएफ), डीओटी	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
6	श्री आर.एम. अग्रवाल, डीडीजी (एसयू), डीओटी	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
7	श्री पवन गुप्ता, निदेशक (पीएसयू–1), डीओटी	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
8	मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
9	मैसर्स पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
10	मैसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
	कुल	**6,00,00,003**	**100**	**शून्य**	**6,00,00,003**	**100**	**शून्य**	**शून्य**

टिप्पणी: क्रम संख्या 1 से 7 शेयर दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति की ओर से धारित है।

iii) *प्रमोटरों / शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें)*

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	6,00,00,003	100%	6,00,00,003	100%
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयरों में तिथि वार वृद्धि / कमी, वृद्धि / कमी के कारण बताएं (उदाहरण आबंटन / हस्तांतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी इत्यादि)	.....	....कोई परिवर्तन नहीं....	.....	.....
3	वर्ष के अंत में	6,00,00,003	100%	6,00,00,003	100%

(iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयर पद्धति (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से इतर):

क्र. सं.	सर्वोच्च 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयरों में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण बताएं (उदाहरण आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्कीकरण की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हों)	शून्य	शून्य	शून्य	श्ज़ॅन्य

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के शेयर

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयरों में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण बताएं (उदाहरण आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. ऋण

भुगतान के बकाया ब्याज/अर्जित परंतु देय नहीं सहित कंपनी का ऋण

	जमा को छोड़कर आरक्षित ऋण	अनारक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण i) प्रधान राशि ii) ब्याज देय परंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण में परिवर्तन – जमा – कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋण i) प्रधान राशि ii) ब्याज देय परंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VII. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिकः

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		श्री संजय सिंह, सीएमडी	श्री बी.के. मित्तल, निदेशक (प्र.)	श्रीमती अरूणधती पांडा, निदेशक (वित्त)	श्री मनोज आनन्द, निदेशक (वित्त)	
1.	सकल वेतन (क) आयकर, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	शून्य	शून्य	15,59,257	15,50,072	31,09,329
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत पूर्व अपेक्षित का मूल्य	शून्य	शून्य	4,56,936	4,67,627	9,24,563
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के लिए लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टॉक विक्लप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन					
	– लाभ के प्रतिशत के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	– अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें					
कुल (क)		शून्य	शून्य	20,16,193	20,17,699	40,33,892
अधिनियम के अनुसार सीमा		सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं				

ख. निदेशकों का पारिश्रमिकः

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
		.....	.....	.....	.....	
1	स्वतंत्र निदेशक • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	नहीं वर्ष के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था	नहीं वर्ष के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था	नहीं वर्ष के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था	नहीं वर्ष के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था	नहीं
कुल (1)		**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (2)		**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
कुल (ख)=(1+2)		**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा		**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से इतर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिकः

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	श्री ए.सी. उपाध्याय, कंपनी सचिव एवं प्रमुख विधि	सीएफओ के रूप में श्री मनोज आनन्द, निदेशक (वित्त) को पदनामित किया गया है	कुल
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत पूर्व अपेक्षित का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के लिए लाभ	शून्य	17,02,414 3,07,018 -	15,50,072 4,67,627 -	32,52,486 7,74,645 -
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन –लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल			**20,09,432**	**20,17,699**	**40,27,131**

VIII. दंड/सजा/अपराध कम्पाउंडिंग

श्रेणी	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दंड/सजा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकरण/आरडी/एनसीएलएटी/न्यायालय,	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण प्रदान करें)
क. कंपनी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशक					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. अन्य अधिकारी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनुबंध–ख

कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में कंपनी की रिपोर्ट

1. कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देशों के संबंध में कंपनी के दर्शन पर एक संक्षिप्त विवरण

कंपनी के लक्ष्य/दृष्टिकोण में भागीदारों के मूल्य में वृद्धि करना शामिल है। कारपोरेट अभिशासन में मूल्यों के प्रति ठोस वचनबद्धता और शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम बनाने के लिए सतत आधार पर व्यापार के संचालन की मजबूत बचनबद्धता के साथ कंपनी के प्रशासन का अभिशासन करने वाले नियमों, विनियमों और नीतियों के नैतिक ढांचे पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य शेयरधारकों, निवेशकों, उपभोक्ताओं, वेंडरों, विनियामकों और बड़े स्तर पर समुदाय तथा सरकार को शामिल करते हुए प्रत्येक भागीदारी के हित की सुरक्षा करना है। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, डीपीई द्वारा 14 मई, 2010 के पत्र सं. 18 (8)/2005–जीएम द्वारा दिशा–निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए हैं जो सभी सीपीएसई के लिए आवश्यक अनुपालन का अध्यादेश देते हैं। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि केवल कॉरपोरेट अभिशासन अपने सभी हितधारकों के लिए सतत आधार पर मूल्य सृजित करेगा। कॉरपोरेट अभिशासन मुख्यतः पारदर्शिता, वास्तविक तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, बोर्ड की स्वतंत्रता और सभी भागीदारों के लिए निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है।

समय–समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के दिशा–निर्देशों के अनुपालन के कदम उठाए जा रहे हैं।

2. निदेशक बोर्डः बोर्ड की संरचना

बीबीएनएल के पीएसयू होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2017 तक बीबीएनएल के बोर्ड में पांच सदस्य हैं, जिनमें से तीन कार्यरत निदेशक (अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित) हैं, दो भारत सरकार के नीमिती हैं। इस समय कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। कंपनी ने कारपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है।

2.1 आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या, तिथि जब आयोजित की गईः

बोर्ड के सदस्यों की बोर्ड बैठक में उपस्थिति तथा अन्य विवरण कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी निदेशक मंडल की बारह (12) बैठकें आयोजित की गई हैः

53वीं बोर्ड बैठक 12.04.2016	54वीं बोर्ड बैठक 30.05.2016	55वीं बोर्ड बैठक 09.06.2016	56वीं बोर्ड बैठक 28.06.2016
57वीं बोर्ड बैठक 08.07.2016	58वीं बोर्ड बैठक 21.07.2016	59वीं बोर्ड बैठक 28.07.2016	60वीं बोर्ड बैठक 05.08.2016
61वीं बोर्ड बैठक 23.08.2016	62वीं बोर्ड बैठक 05.10.2016	63वीं बोर्ड बैठक 15.11.2016	64वीं बोर्ड बैठक 28.01.2017

2.2 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति और अन्य निदेशकों एवं समिति सदस्यता, अध्यक्षता की संख्या निम्नानुसार हैः

निदेशक का नाम	श्रेणी	2016–17 के दौरान बोर्ड की बैठक में उपस्थिति	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	निदेशक की अन्य कंपनियों में संख्या	समितियों की संख्या (बीबीएनएल) सहित)	
					सदस्य	अध्यक्ष
श्री संजय सिंह	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	12	हां	_	_	1
श्री शशि रंजन कुमार	सरकारी नामिती निदेशक	11	हां	1	_	2
श्री आई.एस. शास्त्री@	सरकारी नामिती निदेशक	11	हां	_	2	1
श्री महमूद अहमद@@	सरकारी नामिती निदेशक	1	लागू नहीं	_	2	1
श्रीमती अरूणधती पांडा@@@	निदेशक (वित्त)	6	लागू नहीं	_	1	_
श्री बी.के. मित्तल	निदेशक (प्रचालन) एवं (योजना)	12	हां	–	2	–
श्री मनोज आनंद	निदेशक (वित्त)	5	हां	–	1	–

@आईएस शास्त्री ने 16.12.2016 को सरकारी नामिती निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया।

@@दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसरण में श्री महमूद अहमद को 16.12.2016 से सरकारी नामिति निदेशक का कार्यभार सौंपा गया।

@@@श्रीमती अरूणधती पांडा का बीबीएनएल में आरंभिक/अंतरिम निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यकाल 25.07.2016 को समाप्त हो गया, इसलिए उन्होंने दिनांक 25.07.2016 (अपराह्न) से कंपनी के निदेशक (वित्त) के प्रभार से त्याग–पत्र दे दिया।

टिप्पणी:

1. बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 (दस) समितियों से अधिक का सदस्य नहीं है अथवा सभी कंपनियों में पांच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है जिनमें वह निदेशक है। सभी निदेशकों ने अन्य कंपनियों में धारित निदेशक/समिति के पदों के संबंध में अपेक्षित प्रकटन किया है। निदेशकों का संक्षिप्त वृत्त–चित्र इस रिपोर्ट की क्रम सं. 2.4 में दिया गया है।
2. सभी बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित था।
3. बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल 3 माह से अधिक नहीं था।

2.3 निदेशकों की आयु–सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालीन संचालन निदेशकों की आयु सीमा 60 (साठ) वर्ष है। सामान्यतः अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालीन संचालन निदेशकों की नियुक्ति कार्य ग्रहण करने की तारीख से 5 (पांच) वर्षों के लिए अथवा पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा भारत सरकार से आगे अनुदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है। अंशकालीन अधिकारिक निदेशक (सरकारी नामिती) बोर्ड से मंत्रालय के अधिकारी का पद छोड़ने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है।

2.4 मौजूदा निदेशकों और वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए नए निदेशकों का संक्षिप्त वृत चित्र

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	विशिष्ट संचालन क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति	उन कंपनियों के नाम जिनमें व्यक्ति ने निदेशक और बोर्ड की समितियों के सदस्य के पद धारित किए हों
1.	श्री संजय सिंह	अध्यक्ष–सह–प्रबंध	18.03.2016	नीचे दिया गया है	शून्य
2.	श्री शशि रंजन कुमार	सरकारी नामिती निदेशक	06.11.2015	नीचे दिया गया है	टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लि.
3.	श्री महमूद अहमद	सरकारी नामिती निदेशक	16.12.2016	नीचे दिया गया है	शून्य
4.	श्री बी. के. मित्तल	निदेशक (प्रचालन) एवं (योजना)	29.07.2015 01.01.2016	नीचे दिया गया है	शून्य
5.	श्री मनोज आनंद	निदेशक (वित्त)	29.07.2016	नीचे दिया गया है	शून्य

संक्षिप्त प्रोफाइल:–

1. श्री संजय सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1987 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। वे प्रधान सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार के पद पर आसीन थे। वर्तमान में, श्री सिंह, प्रशासक (यूएसओएफ) दूरसंचार विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 18.03.2016 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बीबीएनएल का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया है।
2. श्री शशि रंजन कुमार वर्ष 1989 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से स्नातक हुए। संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में भारतीय रेलवे में काम करने के पश्चात् उन्होंने वर्ष 1992 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की। उन्होंने उप–प्रभागीय अधिकारी, जिलाधीश एवं कलेक्टर इत्यादि जैसे विभिन्न प्रशासनिक पदों पर त्रिपुरा राज्य में कार्य किया। उन्होंने झारखंड राज्य में भी कार्य किया जहां वे गुमला जिले के उपायुक्त और निगम आयुक्त, रांची नगर निगम थे। उन्होंने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में 2006–2011 की अवधि के दौरान

निदेशक पद पर कार्य किया। वे त्रिपुरा सरकार में सचिव, ऊर्जा विभाग, योजना विभाग इत्यादि भी थे। वर्तमान में वे दूसंचार विभाग, संचार मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

3. श्री महमूद अहमद आईपी एंड टीएएफएस के 1993 बैच से संबद्ध हैं। हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पूर्ण करने के पश्चात 1992 की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से उनका चयन हुआ था। उन्होंने अप्रैल, 2015 से संयुक्त प्रशासक (वित्त), यूएसओएफ का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले उन्होंने 2010 से 2015 तक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2005 से 2010 तक इस्पात एवं खनन विभाग, उड़ीसा सरकार में भी कार्य किया। दो दशकों से अधिक के कैरियर में उनका दूरसंचार विभाग तथा अन्यत्र विभिन्न क्षमताओं में गहन और विविध क्षेत्रों का अनुभव है।

4. श्री बी.के. मित्तल ने 29 जुलाई, 2015 को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के निदेशक (प्रचालन) का कार्यभार ग्रहण किया। वे दूरसंचार के क्षेत्र में 34 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ दूरसंचार उद्योग अग्रणी व्यक्ति है। श्री मित्तल 1979 बैच के एक भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी है। वे आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग स्नातक है। श्री मित्तल निदेशक (योजना) का अतिरिक्त प्रभार भी धारण कर रहे हैं।

5. श्री मनोज आनंद ने दिनांक 29 जुलाई, 2016 को निदेशक (वित्त), भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के रूप में कार्य ग्रहण किया। श्री आनंद आईसीएआई एवं आईसीएसआई के सदस्य है। बीबीएनएल में उनके कार्य ग्रहण करने से पहले उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में एमटीएनएल, बीएसएनएल और डीओटी में कार्य किया है। वे भारतीय पीएंडटी लेखा एवं वित्तीय सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी हैं। उनके पास विशेषकर बजटिंग, कॉस्टिंग, टैरिफ, प्रोजेक्ट्स इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में लगभग 27 से अधिक वर्षों का गहन एवं विविध क्षेत्रों का अनुभव है।

2.5 निदेशक बोर्ड के समक्ष रखी गई सूचना

निदेशक बोर्ड को कंपनी के भीतर सूचना तक संपूर्ण पहुंच प्राप्त है जिसमें वार्षिक राजस्व और पूंजीगत बजट, कंपनी के वित्तीय परिणाम दर्शाने वाले आवधिक लेखा विवरण, कंपनी की वित्तीय योजनाएं, लेखापरीक्षा समितियों सहित विभिन्न समितियों की बैठकों के कार्यवृत, वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट इत्यादि, लागू कानूनों के अनुपालन संबंधी आवधिक रिपोर्ट तथा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित पदों के संबंध में निदेशकों द्वारा हित संबंधी प्रकटन और अन्य वास्तविक महत्वपूर्ण सूचना तक पहुंच प्राप्त है।

2.6 बोर्ड की बैठक आयोजित करने के पश्चात् प्रक्रिया

कंपनी का सचिव शासन प्रक्रिया के भाग के रूप में आवश्यक अनुमोदनों और प्रभागों और क्षेत्रों के प्रमुखों को प्रदत्त अनुमोदन/प्राधिकरण के साथ बोर्ड के परिणाम का प्रसार करता है और ऐसा बैठक–पश्चात् अनुपालन तंत्र मौजूद है जिसके द्वारा बोर्ड/समितियों द्वारा इस प्रकार प्रदत्त अनुमोदन के संबंध में कृत कार्रवाई/लंबित कार्रवाई के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा और रिपोर्टिंग की जाती है।

2.7 निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

एक सरकरी कंपनी होने के नाते निम्नलिखित पूर्णकालीन संचालनरत निदेशकों और प्रमुख अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का दिनांक 31.03.2017 के अनुसार पारिश्रमिक का निर्णय लागू अनुसार भारत सरकार/बोर्ड द्वारा लिया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जानी अभी बाकी है।

राशि रुपए में

क्र. सं.	नाम	पदनाम	आयकर, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परक्यूसिट का मूल्य	कुल
1.	श्री संजय सिंह	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
2.	श्री शशि रंजन कुमार	सरकारी नामिती निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री आई.एस. शास्त्री	सरकारी नामिती निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
4.	श्रीमती अरूणधती पांडा*	निदेशक (वित्त)	15,59,257	4,56,936	20,16,193
5.	श्री बी.के. मित्तल	निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (योजना)	शून्य	शून्य	शून्य
6.	श्री मनोज आनन्द**	निदेशक (वित्त)	15,50,072	4,67,627	20,17,699
7.	श्री ए.सी. उपाध्याय	सी. एस. एवं विधि प्रमुख	17,02,414	3,07,018	20,09,432

*श्रीमती अरूणधती पांडा का बीबीएनएल में आरंभिक/अंतरिम निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यकाल 25.07.2016 को समाप्त हो गया, इसलिए उन्होंने दिनांक 25.07.2016 (अपराह्न) से कंपनी के निदेशक (वित्त) के प्रभार से त्याग–पत्र दे दिया।

** दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसार श्री मनोज आनन्द, सीजीएम (कराधान), बीबीएनएल को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। श्री मनोज आनन्द ने 29.07.2016 को कार्यभार ग्रहण किया।

2.8 वर्ष 2016–17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को सिटिंग फीस का भुगतान

वर्ष 2016–17 के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है। कंपनी ने दूरसंचार विभाग को कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के बारे में सूचित किया है।

2.9 अंशकालीन अधिकारिक निदेशकों/सरकारी नामिती निदेशकों को सिटिंग फीस का भुगतानः

अंशकालीन अधिकारिक निदेशकों/सरकारी नामिती निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

3. बोर्ड की समितियां

कंपनी में निम्नलिखित चार (4) बोर्ड स्तरीय समितियां हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. जोखिम प्रबंधन समिति
4. कार्यकारी समिति

4. लेखापरीक्षा समिति

4.1 शर्तों का संक्षिप्त विवरण

लेखापरीक्षा समिति की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में 14 मई, 2010 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

4.2 लेखापरीक्षा समिति का कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा समिति प्रबंधन, सांविधिक तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों और निदेशक बोर्ड के बीच सेतु का कार्य करती है। इसके कार्यों की सूची में अन्य बातों के साथ–साथ निम्न शामिल है:

- **लेखापरीक्षकों के साथ आवधिक रूप से निम्न के बारे में विचार–विमर्श करनाः**
  - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अनुपालन और उसकी सक्षमता
  - लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहिति लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र
  - बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा
- **निम्नलिखित कार्य करनाः**
  - कंपनी की वित्तीय सूचना के प्रकटन के लिए प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
  - प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले विशेषकर निदेशक की जिम्मेदारी विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मामलों के संदर्भ में, परिवर्तन, यदि कोई हो, लेखा नीतियों, प्रमुख लेखन प्रविष्टियों, महत्वपूर्ण समायोजनों और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्य मतों के संदर्भ में समीक्षा करना।
  - लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की सिफारिश करना, लेखापरीक्षा फीस का निर्धारण करना और किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान के अनुमोदन प्रदान करना।
  - लेखापरीक्षा समिति की सेवा शर्तों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।
  - सीईओ/सीएफओ विवरण तथा प्रबंधन विचार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट की समीक्षा करना।

4.3 सदस्यों और अध्यक्ष की संरचना, संघटन

लेखापरीक्षा समिति जिसका बोर्ड द्वारा 22.04.2013 को गठन किया गया है जिसमें दो सरकारी नामिति निदेशक और एक कार्यशील निदेशक हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होता है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 6 (छः) बैठकें आयोजित की गई थीं।

16वीं लेखा परीक्षा समिति 12.04.2016	17वीं लेखा परीक्षा समिति 21.07.2016	18वीं लेखा परीक्षा समिति 23.08.2016
19वीं लेखा परीक्षा समिति 05.10.2016	20वीं लेखा परीक्षा समिति 15.11.2016	21वीं लेखा परीक्षा समिति 09.03.2017

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है जो लंबित है। जैसे ही मंत्रालय/सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बीबीएनएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दी जाती है तो तत्काल लेखापरीक्षा समिति का पुर्नगठन कर दिया जाएगा। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा बैठक में उपस्थिति 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार नीचे दी गई है:–

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री शशि रंजन कुमार	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	6
2.	श्री आई.एस. शास्त्री*	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	5
3.	श्री बी.के. मित्तल**	सदस्य	निदेशक (प्रचालन)	6
4.	श्री महमूद अहमद***	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	1

* आईएस शास्त्री ने 16.12.2016 को सरकारी नामिती निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया।

**डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री बी.के. मित्तल, सलाहकार, डीओटी को निदेशक (प्रचालन) का अतिरिक्त भार सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त श्री बी.के. मित्तल को 01.01.2016 से निदेशक (योजना) का अतिरिक्त भार सौंपा गया था!

***दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसरण में श्री महमूद अहमद को 16.12.2016 से सरकारी नामिति निदेशक का कार्यभार सौंपा गया।

5. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आरंभ में बोर्ड में वर्ष 2013 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया था। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष को एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। तथापि, स्वतंत्र निदेशक की तैनाती अभी तक नहीं की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के तहत यथा अपेक्षित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में पुनर्गठन नहीं किया जा सका। समिति का दूरसंचार विभाग द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठन किया जाएगा। एक सीपीएसयू होने के नाते निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं और पारिश्रमिक के मापदंड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते है और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 05.06.2015 की अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान की है। समिति का कार्यक्षेत्र डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन दिशा–निर्देशों में दी गई परिभाषा के अनुसार सीमित है।

वर्ष के दौरान 01 (एक) बैठक (पांचवीं) दिनांक 27.06.2016 को आयोजित की गई थी। निदेशक बोर्ड की पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की वर्तमान संरचना और श्रेणी तथा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	*	स्वतंत्र निदेशक	गैर–अधिकारिक/अधिकारिक अंशकालीन निदेशक	–
2.	*	स्वतंत्र निदेशक	गैर–अधिकारिक/अधिकारिक अंशकालीन निदेशक	–
3.	श्री शशि रंजन कुमार	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	1
4.	श्री आई.एस. शास्त्री**	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	1
5.	श्री महमूद अहमद***	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	लागू नहीं

*स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है।

*श्री आईएस शास्त्री ने दिनांक 16.12.2016 को सरकारी नामिती निदेशक के पद से त्याग–पत्र दे दिया।

**डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री महमूद अहमद को दिनांक 16.12.2016 से कंपनी के सरकारी नामिती निदेशक का कार्यभार सौंपा गया।

6. जोखिम प्रबंधन समिति

आपकी कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 15.11.2016 को एक बैठक (चौथी) का आयोजन किया गया था। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा 31.03.2017 तक बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री महमूद अहमद*	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	लागू नहीं
2.	श्री आई.एस. शास्त्री**	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	1
3.	श्री बी.के. मित्तल ***	सदस्य	निदेशक (प्रचालन)	1
4.	श्री बी.के. मित्तल ***	सदस्य	निदेशक (योजना)	1

*डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री महमूद अहमद को दिनांक 16.12.2016 से कंपनी के सरकारी नामिती निदेशक का कार्यभार सौंपा गया।

**श्री आईएस शास्त्री ने दिनांक 16.12.2016 को सरकारी नामिती निदेशक के पद से त्याग–पत्र दे दिया।

***डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री बी.के. मित्तल को निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (योजना) का पद भार सौंपा गया था।

7. कार्यकारी समिति

वर्ष के दौरान, कार्यकारी समिति की 13 (तेरह) बैठकें आयोजित की गई।

26वीं कार्यकारी समिति 02.05.2016	27वीं कार्यकारी समिति 09.07.2016	28वीं कार्यकारी समिति 03.08.2016	29वीं कार्यकारी समिति 27.08.2016
30वीं कार्यकारी समिति 06.09.2016	31वीं कार्यकारी समिति 28.09.2016	32वीं कार्यकारी समिति 20.10.2016	33वीं कार्यकारी समिति 30.11.2016
34वीं कार्यकारी समिति 10.12.2016	35वीं कार्यकारी समिति 16.12.2016	36वीं कार्यकारी समिति 06.02.2017	37वीं कार्यकारी समिति 15.02.2017
38वीं कार्यकारी समिति 15.03.2017			

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री संजय सिंह	अध्यक्ष	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	13
2.	श्री बी.के. मित्तल@	सदस्य	निदेशक (योजना एवं प्रचालन)	13
3.	श्रीमती अरूणधती पांडा@@	सदस्य	निदेशक (वित्त)	2
4.	श्री मनोज आनन्द@@@	सदस्य	निदेशक (वित्त)	11

@डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री बी.के. मित्तल को निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (योजना) का पद भार सौंपा गया था।

@@ श्रीमती अरूणधती पांडा का बीबीएनएल में आरंभिक/अंतरिम निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यकाल 25.07.2016 को समाप्त हो गया, इसलिए उन्होंने 25.07.2016 (अपराह्न) से कंपनी के निदेशक (वित्त) के कार्यभार से त्यागपत्र दे दिया।

@@@डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री मनोज आनन्द, सीजीएम (कराधान), बीबीएनएल को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। श्री मनोज आनन्द ने 29.07.2016 को कार्यभार ग्रहण किया।

8. सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में निम्नलिखित सनदी लेखाकार फर्मों की नियुक्ति की है:

रावला एंड कंपनी
फर्म पंजीकरण संख्या 001661एन
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली

वर्ष 2016–17 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को 4,62,500/– रुपए (चार लाख बासठ हजार पांच सौ) का भुगतान किया गया था।

9. वार्षिक आम बैठक (एजीएम):

कंपनी की पिछली 3 वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:–

एजीएम की संख्या	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
चौथी वार्षिक आम बैठक	01.04.2015 से 31.03.2016	29.11.2016	16:00 बजे	कॉन्फ्रेंस हाल, 13वां तल, संचार भवन, नई दिल्ली–110001	शून्य
तीसरी वार्षिक आम बैठक	01.04.2014 से 31.03.2015	28.09.2015	16:00 बजे	कॉन्फ्रेंस हाल, 13वां तल, संचार भवन, नई दिल्ली–110001	शून्य
दूसरी वार्षिक आम बैठक	01.04.2013 से 31.03.2014	30.09.2014	11:30 बजे	कॉन्फ्रेंस हाल, 13वां तल, संचार भवन, नई दिल्ली–110001	हां (एमओए तथा एओए में संशोधन हेतु दो विशेष संकल्प पारित किए गए)

10. प्रकटन

(i) वास्तविक रूप से सम्बन्धित पार्टी संबंधित लेन–देन का प्रकटन:

कंपनी ने निदेशकों अथवा वरिष्ठ प्रबंधन अथवा उनके संबंधियों के साथ 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ऐसा कोई वास्तविक वित्तीय अथवा वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है। कम्पनी के हित के विरुद्ध हो।

वर्ष 2016–17 के लिए लेखों का भाग बनने वाले पार्टी लेनदेन से संबंधित लेखन मानक 18 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटन किए गए हैं।

(ii) यह पुनः पुष्टि की जाती है कि किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई दंड, आदेश नहीं लगाया गया है।

(iii) अन्य बातों के साथ–साथ एक विसल ब्लोअर तंत्र की एक उत्साही मापदंड के रूप में स्थापना करते हुए सीजी मानदंडों के अनुपालन के समावेशन के लिए डीपीई के समझौता ज्ञापन कार्यबल के अधिदेश के परिणामस्वरूप कंपनी ने विसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र स्थापित किया है जिसका बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया था।

(iv) कंपनी दूरसंचार विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्व ारा समय–समय पर जारी राष्ट्रपतिय निर्देशों और अन्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करती रही है।

(v) वर्ष के दौरान, पुस्तकों तथा लेखों में ऐसे किसी व्यय को डेबिट नहीं किया गया है जो बिजनेस व्यय के उद्देश्य के लिए न किए गए हों और व्यक्तिगत स्वरूप के किसी भी व्यय को निदेशक बोर्ड तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किया गया हो।

(vi) लेखे कार्रवाई का प्रकटन: कंपनी वित्तीय विवरण तैयार करने में भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुसरण करती है। कंपनी ने किसी भी लेखा मानक में निर्धारित मानक से भिन्न व्यवहार नहीं अपनाया है।

(vii) लेखा पुस्तकों/अन्य व्यय में लिए गए व्यय की मदों तथा प्रशासनिक एवं अन्य वित्तीय व्यय के ब्यौरे वित्तीय विवरण तथा लेखा टिप्पणियों में दिए गए हैं।

(viii) वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष का भाषण भी उन शेयरधारकों को वितरित किया जाता है जो कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेते है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

(ix) प्रबधन का विचार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट 2016–17 का भाग है।

(x) डीपीआई दिशा–निर्देशों के अनुसरण में कंपनी की 'व्यापार आचार संहिता और बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन की नीति' बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है और बीबीएनएल द्वारा इसका कार्यान्वयन किया गया है। उक्त कोड़ को संबद्ध पक्षों को परिचालित किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया है। कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करता है। इस संबंध में कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की घोषणा रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

11. संचार के माध्यम

वार्षिक वित्तीय विवरण, नई विज्ञप्ति, निविदा तथा कैरियर संभावनाएं इत्यादि कंपनी के वेबसाइट में डाली जाती हैं।

सूचना को कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाना:– कंपनी की वेबसाइट www.bbnl.nic.in एक उपभोक्ता सुकर साइट है जिसमें सभी नवीनतम घटनाक्रम शामिल हैं।

अन्य बातों के साथ–साथ लेखापरीक्षित लेखे, निदेशक की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा इन पर प्रबंधन का उत्तर भारत के सीएंडएजी की टिप्पणियां और समीक्षा को शामिल करते हुए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों और पात्र व्यक्तियों को, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लेख किया गया है, को परिचालित की जाती है तथा इसे संसद के सदनों के पटल पर भी रखा जाता हैं।

12. सदस्य बोर्ड का प्रशिक्षण

नए निदेशकों को कंपनी के दृष्टिकोण नीति, वित्तीय मामलों, बिजनेस ऑपरेशन, जोखिम मामलों सहित प्रमुख मूल्यों के संबंध में उन्मुखीकरण और इंडक्शन प्रदान किया जाता है। सामान्य प्रक्रिया पुस्तिका ब्राउजर्स, वार्षिक रिपोर्ट, प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, कंपनी का संगम ज्ञापन, कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशा–निर्देश इत्यादि प्रदान करना है।

13. निदेशकों द्वारा शेयरहोल्डिंग और स्टॉक विकल्पः

लगभग सौ प्रतिशत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते 99.99 प्रतिशत शेयर संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है। निदेशकों को किसी योग्यता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी ने अपने निदेशकों/कर्मचारियों के लिए कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए हैं।

14. कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन संबंधी प्रमाण–पत्र

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए लागू कॉरपोरेट अभिशासन दिशा–निर्देश जारी किए हैं जिन्हें मई, 2010 से अनिवार्य बनाया गया है।

सामान्यतः, कंपनी ने बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता को छोड़कर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों में यथानिर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन मानदंडों की शर्तों का अनुपालन किया है। कंपनी ने इस मामले को नियुक्ति प्राधिकरण अर्थात् भारत सरकार के साथ उठाया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में मैसर्स सुरेश कुमार एंड एसोशिएट्स, कंपनी सचिव से एक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग हैं।

कॉरपोरेट अभिशासन मानदंडों के अनुपालन संबंधी प्रमाण–पत्र

सेवा में,

सदस्य,

मैसर्स भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड,
कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैंपस,
मांडी गांव रोड, महरोली,
नई दिल्ली–110030

हमने दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा यथा उल्लिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन मानदंडों के संबंध में दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित अनुसार मैसर्स भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में संगत पुस्तकों, रिकॉर्ड और विवरणों की जांच की है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है। हमारी रिपोर्ट/प्रमाण–पत्र न तो लेखापरीक्षा और न ही वह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारे विचार से तथा हमारी सूचना के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार हम यह प्रमाणित करते है कि कंपनी ने बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, जो डीपीई के दिशा–निर्देशों में यथा अपेक्षित बोर्ड की कुल संख्या के आधे से कम थी, को छोड़कर डीपीई के दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन के मानदंडों की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह भी उल्लेख करते है कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही प्रभाविता की सक्षमता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते सुरेश कुमार एंड एसोशिएट्स
कंपनी सेक्रेटरी

Suresh Kumar

सुरेश कुमार
एम सं. 7840
सीपी सं. 8789

दिनांकः 30.11.2017
स्थानः नई दिल्ली

अनुबंध–ग

प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

i) उद्योग अवसंरचना और विकास

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार को एक प्रमुख आर्थिक वृद्धि का साधन माना जाता है। विश्व भर में और भारत में किए गए कई अध्ययनों से ब्रॉडबैंड सघनता और ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार के बीच में मजबूत संबंध देखा गया है। ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए प्राथमिक संचार माध्यम है। चाहे यह 4जी डाटा सेवाएं, केबल टीवी सेवाएं हों अथवा ई–स्वास्थ्य, ई–शिक्षा इत्यादि हो, असीमित बैंडविथ ले जाने की अपनी क्षमता के जरिए ऑप्टिकल फाइबर डिजीटल सिग्नल के प्रवाह के लिए अत्यधिक व्यवहार्य माध्यम प्रदान करता है।

उद्योग जगत से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण यह सुझाते है कि ऑप्टिकल फाइबर जिला तथा ब्लॉक स्तर तक पहुंच गया है। ब्लॉक स्तर पर यह मुख्यतः सीपीएसयू है और मुख्यतः इसकी सबसे बड़ी उपस्थिति है, जबकि अधिकांश निजी ईकाइयां जिला स्तर पर उपस्थित है। ग्रामीण क्षेत्र अधिकांशतः ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से वंचित है। निजी संचालकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार मामलों के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं ले जाने में शायद ही कोई निवेश किया गया है।

देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजीटल डिवाइड को पाटने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक था। इस संदर्भ में एनओएफएन (अब भारतनेट) की अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सृजित करने तथा उनकी सेवाओं को ग्रामीण उपभोक्ताओं तक विस्तार करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में सेवा प्रदाताओं को योग्य बनाने हेतु देश में 2,50,000 ग्राम पंचायतों तक छूट गए ओएफसी नेटवर्क प्रदान करने हेतु स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। नेटवर्क तक सभी सेवा प्रदाताओं के लिए गैर भेदकारी पहुंच परियोजना का एक प्रमुख घटक है।

ii) एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

बीबीएनएल का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण नीचे दिया गया है:

दृढ़ता:

- मजबूत वचनबद्धता तथा सरकार से निधियन।
- सरकारी पूल से अत्यधिक अनुभवी और तकनीकी रूप से सक्षम श्रमिकों की उपलब्धता।
- ओएफसी नेटवर्क बिछाने के लिए सुस्थापित प्रक्रियाओं और विनिर्देशनों की उपलब्धता।
- निःशुल्क आरओडब्ल्यू तथा ग्राम पंचायतों की अवसंरचना के रूप में राज्य सरकारों का मजबूत सहयोग।
- चरण–II के कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी

कमजोरियां:

- पॉवर, चोरी और कनेक्टिविटी जैसी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से नेटवर्क के प्रदर्शन पर प्रभाव।
- कुछ क्षेत्रों में मौजूदा खराब फाइबर नेटवर्क एसएलए पर प्रभाव डाल सकता है।
- बहु–एजेंसी क्रियान्वयन मॉडल से विशेषकर उस भूगोल के संबंध में सहयोग संबंधी मुद्दे उठ सकते हैं जिन्हें एनओएफएन के अंतर्गत शामिल किया जाना है।
- वृहत भूगोलीय प्रसार और बहु एजेंसियों के साथ समन्वय के कारण ओएंडएम चुनौतियां।
- बीबीएनएल के एक नए संगठन होने के नाते संगठनात्मक स्थापना अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं की गई है।
- लौसी फाइबर

संभावनाएं

- अल्प ब्रॉडबैंड सघनता अर्थात् रोकी न जाने वाली मांग।
- डाटा और वीडियों की बढ़ती हुई मांग से उच्च बैंडविथ की मांग में अत्यधिक वृद्धि होगी।
- डिजीटल इंडिया पहल के कारण जी2सी और बी2सी सेवाओं के लिए अधिक मांग संभावित।
- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार संभावनाएं बी2सी और बी2बी सेवाओं के प्रसार का पक्ष लेंगी।
- ब्रॉडबैंड के सेवा डिलीवरी हेतु मूल अवंसरचना के रूप में सरकार का दृष्टिकोण।

खतरे

- ग्रामीण पर्यावरण प्रणाली समग्र नहीं है जिसमें अल्प अपटेक हो सकता है जिसके कारण परियोजना की व्यवहार्यता में प्रभाव पड़ सकता है।
- जिले से ब्लॉक क्षेत्र तक वहनीय बैंडविथ का उपलब्ध अंतर।
- डिजीटल साक्षरता, वहनीय उपकरणों और स्थानीय भाषा में पर्याप्त विषय–वस्तु का अभाव।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प क्रय शक्ति अनिश्चित मांग के कारण राजस्व पर दबाव बना सकती है।

iii) क्षेत्र–वार अथवा उत्पाद–वार प्रदर्शन

बीबीएनएल केवल एक बाजार क्षेत्र में कार्य कर रही है अर्थात अपने नेटवर्क से बैंडविथ और डार्क फाइबर प्रदान करना। बीबीएनएल द्वारा भारतनेट परियोजना के अंतर्गत बाजार को किए जाने वाले प्रस्ताव गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर सेवा प्रदाताओं को प्रदान किए जाने वाली होलसेल बैंडविथ की परियोजना है। बैंडविथ बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित की जा रही हैं। बीबीएनएल लीज पर विभिन्न सेवा प्रदाताओं एवं भागीदारों के लिए बिछायी जा रही इंक्रीमेंटल केबल पर भारतनेट फाइबर भी प्रदान कर रही है। इस फाइबर का सेवा प्रदाताओं द्वारा

अपने नेटवर्क में कनेक्टिविटी अंतराल को भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल की व्यापक पहुंच को देखते हुए और बीएसएनएल के बीबीएनएल नेटवर्क की ओएंडएम एजेंसी होने के नाते बीएसएनएल के साथ राजस्व शेयरिंग करार (आरएसए) किया गया है जिसमें बीएसएनएल भारतनेट का प्रयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भारतनेट की सेवाओं का विपणन करेगी और अर्जित राजस्व को बीएसएनएल तथा बीबीएनएल के बीच बांटा जाएगा।

बीबीएनएल एलसीओ, एमएसओ इत्यादि की आवश्यकताओं को समझने के लिए अपने विपणन कार्यों को मजबूत बना रही है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर रही है।

iv) परिदृश्य

क) वर्तमान में कंपनी परियोजना निष्पादन पद्धति के अधीन है। परियोजना के लिए कार्य क्षेत्र को भारतनेट के पहले चरण में अतिरिक्त कार्य क्षेत्र द्वारा 1,00,000 ग्राम पंचायतों से बढ़ाकर 1,25,000 ग्राम पंचायत किया गया है। चरण–II में अंडरग्राउंड ओएफसी, एरियल ओएफसी, मौजूदा और नए टॉवर का प्रयोग करते हुए रेडियो मीडिया और साथ ही सैटेलाइट मीडिया के ईष्टतम मिश्रण की भारतनेट के दूसरे चरण में 1,25,000 ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए परिकल्पना की गई है। रिंग वास्तुकला के कार्यान्वयन द्वारा नेटवर्क की भविष्य का निर्धारण सरकार के अनुमोदन से चरण–II पूरा होने के पश्चात किया जाएगा। सरकारी संस्थाओं में क्षैतिज कनेक्टिविटी राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की निधियों द्वारा प्रदान की जानी अपेक्षित है।

ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाई–फाई में हॉट–स्पॉट प्रदान किया जाएगा और सेवा प्रदाताओं द्वारा अन्य गांव में कनेक्टिविटी विस्तार योग्य होगी। इसका निधियन यूएसओएफ द्वारा व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) के माध्यम से किया जाएगा।

ग) बीएसएनएल बीबीएनएल के साथ राजस्व शेयरिंग करार के अंतर्गत बाजार ब्राडबैंड सेवाओं और डार्क फाइबर के लिए भारतनेट की अवसंरचना का उपयोग करेगा।

v) जोखिम और चिंताएं

जोखिम प्रबंधन कंपनी की व्यापार नीति का एक समेकित भाग है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का उद्यम जोखिम प्रबंधन अवसंरचना द्वारा अभिशासन किया जाता है। जोखिम प्रबंधन परिदृश्य ढांचे में बोर्ड की समितियां वरिष्ठ प्रबंधन समितियां शामिल है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति ("आरएमसी") जोखिम नीतियों के अनुपालन की समीक्षा करती है, जोखिम वहनीयता सीमाओं की निगरानी करती है, विशिष्ट मुद्दों से संबंधित जोखिम प्रदर्शन की समीक्षा तथा विश्लेषण करती है और संगठन में जोखिम का परिदृश्य प्रदान करती है। आरएमसी कंपनी में एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति का समावेशन करने के लिए एक स्वस्थ तथा स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन संचालन का पोषण करती है। बीबीएनएल के बोर्ड द्वारा इन मुद्दों को हल करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति ने बीबीएनएल के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति ढांचा तैयार किया है।

vi) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय सूचना देने और नियमों और विनियमों के अनुपालन में संचालन सक्षमता, संसाधनों के संरक्षण, सटीकता और तीव्रता के लिए तैयार की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की सहायता इसकी प्रणाली तथा प्रक्रिया और विनियमों तथा प्रक्रिया के साथ अनुपालन सहित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की सटीकता और सक्षमता की समीक्षा के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर प्रबंधन में विचार–विमर्श किया जाता है और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है जो कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की सटीकता तथा प्रभाविता की भी समीक्षा करती है।

vii) संचालनात्मक प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर विचार–विमर्श

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए है:–

विवरण	राशि (भारतीय रुपए में)	
	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व	32,24,500	41,33,354
अन्य आय	1,06,00,61,543	12,89,45,157
कुल राजस्व	**1,06,32,86,043**	**13,30,78,511**
कर्मचारियों की पारिश्रमिक तथा भत्ते	4,64,86,754	2,42,42,488
वित्तीय लागत	43,07,166	29,20,761
अवमूल्यों तथा परिशोधन व्यय	50,01,242	5,70,12,102
प्रशासनिक, संचालन तथा अन्य व्यय	72,29,72,554	8,55,43,903
कुल व्यय	**77,87,67,716**	**16,97,19,254**
पूर्व अवधि मद और कर से पूर्व लाभ/(हानि)	28,45,18,327	(3,66,40,743)
पूर्व अवधि मदें	(34,31,885)	(1,99,56,412)
कर से पूर्व लाभ/(हानि) कर	28,10,86,442	(5,65,97,155)
कर व्यय:		
चालू वर्ष के लिए कर व्यय	7,91,15,040	-
पूर्व अवधि से संबंधित चालू कर व्यय	-	16,40,967
डेफर्ड कर	(2,65,09,084)	2,60,73,766
कर पश्चात लाभ/(हानि)	**22,84,80,486**	**(8,43,11,888)**
प्रति शेयर अर्जन:		
मूल	3.81	(1.41)
सरलीकृत	3.81	(1.41)
सामान्य आरक्षित में हस्तांतरित	**5,00,00,000**	**-**

viii) नियुक्त व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध में वास्तविक विकास

आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी को संगठित तथा समुचित रूप से स्थापित किया गया है। निर्देशी सिद्धांत संगठन को इच्छुक बनाए रखना है। संगठन तीन शाखाओं में बना है – वित्त, योजना तथा प्रचालन। संशोधित संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन की पुनर्संरचना और पुनः–इंजीनियरिंग प्रक्रिया के लिए आईआईएम, अहमदाबाद का चयन किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में विलंब हुआ है परंतु इसके शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। बीबीएनएल का संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार है:

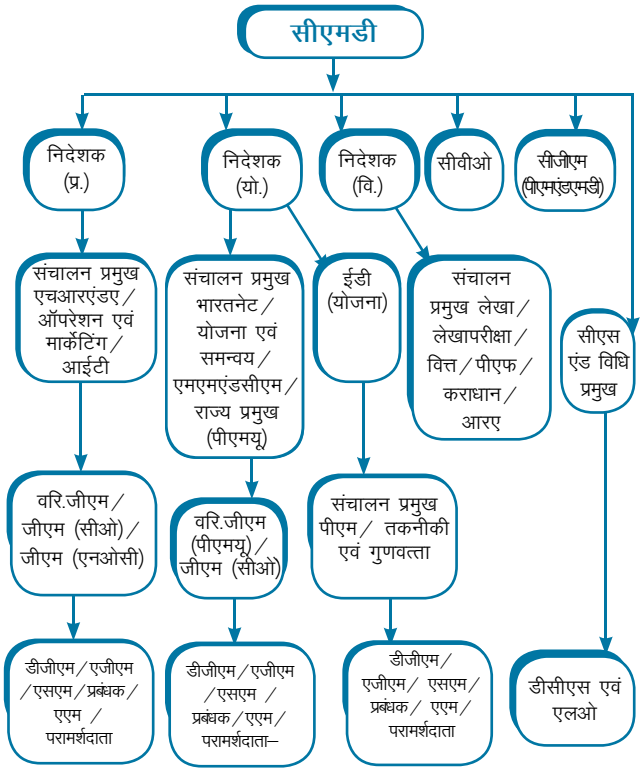

बीबीएनएल एक नया संगठन है और यह आवश्यकता अनुसार बढ़ रहा है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कर्मचारियों की संख्या थी।

स्तर	कार्यरत (कुल)	एससी/एसटी	ओबीसी	सामान्य	महिलाएं	एससी/एसटी	ओबीसी	सामान्य
स्तर–1	85	12	0	73	2	0	0	2
स्तर–2	31	3	7	21	7	2	0	5
कुल	**116**	**15**	**7**	**94**	**9**	**2**	**0**	**7**

ix) पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण

बीबीएनएल पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करता है।

x) उपलब्धियां

भारतनेट एक गहन एवं जटिल परियोजना है। दूरसंचार आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यान्वयन नीति के अनुसार मार्च, 2017 तक 1,00,000 ग्राम पंचायतों को रोशन करने का लक्ष्य था। तथापि, कुछ अपरिहार्य कारणों जिनमें जीपोन उपकरण की आपूर्ति में चूक शामिल है, के कारण लक्ष्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं किए जा सके। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रापण प्रक्रिया के माध्यम से 25000 ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त कार्य किया गया था। परियोजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए 2016 में कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि विकेंद्रीकृत संसाधन प्रापण, विकेंद्रीकृत निर्णय–निर्धारण और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से निगरानी इत्यादि।

चरण–I की उपलब्धियां: वर्तमान में चरण–1 की प्रगति में समर्पित टीमों के गठन और विकेंद्रीकरण के माध्यम से प्रापण की प्रक्रिया में तेजी लाने और मुद्दों को हल करने से पिछले दो वर्षों में तेजी आई है। वर्तमान में चरण–1 में लिए गए 1,25,000 ग्राम पंचायतों (25,000 ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त कार्य सहित) में से 1,13,469 ग्राम पंचायतों में डक्ट/पाइप पहले ही बिछा दी गयी हैं, 1,08,237 ग्राम पंचायतों में ओएफसी बिछाया गया है (25,0197 किलोमीटर), 1,00,364 ग्राम पंचायतों में उपकरण स्थापित किए गए हैं, 96,039 ग्राम पंचायतों में सेवा तैयार है ओर 59,124 ग्राम पंचायतों में सेवा खोल दी गई है। केरल, कर्नाटक, चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी की चरण–I का पूर्णता कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

निगरानी: इस परियोजना की भारत सरकार में उच्चतम स्तर पर निरंतर निगरानी की जाती है। संचार (स्वतंत्र प्रभार) और रेलवे राज्य मंत्री ने कई अवसरों पर परियोजना की समीक्षा की है। संचार लेखा नियंत्रक, डीओटी की एक इकाई को भारतनेट की मॉनीटरिंग प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया है। बीबीएनएल ने परियोजना के निष्पादन में शामिल विभिन्न गतिविधियों को अत्याआधुनिक मॉनीटरिंग के लिए एक मोबाइल एप तैयार की है। बीबीएनएल और बीएसएनएल की राज्य स्तरीय समितियां, प्रशासक यूएसओएफ की अध्यक्षता में अनुवीक्षण समिति, सचिव (दूरसंचार) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चति करने के लिए पिछले वर्ष में बैठकें हुईं।

भारतनेट चरण–II: चरण–I की कमियों को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19.07.2017 को एक संशोधित कार्यान्वयन नीति अनुमोदित की गई। बीबीएनएल ने इस पर अन्थक रूप से कार्य किया और अनुमोदन की तारीख से लगभग ड़ेढ माह में 7 राज्यों के डीपीआर का मूल्यांकन किया। 4 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और दो राज्यों को आरंभिक निधियां प्रदान की गई है। राज्यों के लिए 15.12.2017 को बीबीएनएल निविदा जारी की गई है। 10 राज्यों में सीपीएसयू संचालित मॉडल के कार्यान्वयन के लिए बीएसएनएल और पीजीसीआईएल के साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं और इन प्रबंधों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की आशा है।

निधियन प्रबंधन: यूएसओएफ के साथ मौजूदा निधियन प्रबंधन को 2020 तक तीन वर्ष के लिए बढा दिया गया है।

वहनीय टैरिफ: भारतनेट की संपत्ति की मांग में तेजी लाने और

उसके उपयोग के लिए बीबीएनएल ने ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक अपने नेटवर्कों में डार्क फाइबर और बैंडविथ दोनों के लिए काफी वहनीय टैरिफ प्रदान किए हैं।

नेटवर्क का उपयोग: 13.11.2017 को विज्ञान भवन में भारतनेट के उपयोग के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया। जिसमें चार राष्ट्रीय स्तर की टीएसपी ने बीबीएनएल की सेवाओं के लिए लगभग 18 करोड़ रूपए की प्रतिबद्धता दी।

ओएंडएम प्रबंधन: बीएसएनएल के साथ प्रबंध को अंतिम रूप दिया गया। रेलटेल और पीजीसीआईएल के कार्य क्षेत्र के लिए प्रबंधन को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

एफटीटीएच कनेक्शन: बीबीएनएल ने वहनीय टैरिफ पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ करार किया है। किसी ग्राम पंचायत को रोशन किए जाने के पश्चात, 6 माह के लिए निःशुक्ल इंटरनेट सेवा बीएसएनएल से एफटीटीएच कनेक्शन के जरिए प्रदान की जाती है।

वाई–फाई हॉट्स्पोट्स: बीबीएनएल ने ग्राम पंचायतों में वाई–फाई सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएससी एसपीवी के साथ भी सहयोग किया है।

भारतनेट का प्रभाव मूल्यांकन: केरल राज्य में आईआईएम–कोझीकोड के जरिए भारतनेट का प्रभाव मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन पर इस परियोजना का सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है।

संसदीय समितियों द्वारा परियोजना की समीक्षा: सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) और सरकारी आश्वासन संबंधी (लोक सभा) ने दिल्ली, मुम्बई, तिरूवनंतपुरम, शिमला इत्यादि सहित अपनी बैठकों के दौरान भारतनेट की प्रगति की समीक्षा की।

xi) प्रौद्योगिकी विकास पहल

जारी प्रौद्योगिकी विकास में शामिल प्रमुख पहल है:

- दिल्ली में प्रमुख डाटा केंद्र का विकास और आईटी अवसंरचना तथा नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र के लिए बंगलुरू में डीआर डाटा केंद्र।
- संपूर्ण एनओएफएन नेटवर्क की निगरानी के लिए सीडॉट द्वारा नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) का विकास। मुख्य डीआर डाटा केंद्रों के साथ भूगोलीय उच्च उपलब्धता वास्तु कला में एनएमएस प्रणाली तैनात की गई थी। एनएमएस प्रणाली ने फॉल्ट मैनेजमेंट, ट्रवल टिकटिंग, निष्पादन प्रबंधन, संपत्ति सूची प्रबंधन, जीआईएस मानचित्र पर इलेक्ट्रॉनिक्स की सजीव निगरानी के लिए जीआईएस प्रणाली के साथ समेकन सहित सेवा क्षमताएं।
- जीपोन नेटवर्क के लिए सीडॉट द्वारा आयोजना उपकरण का विकास।
- मैप्स ऑफ इंडिया से खरीदी गई लगभग 5400 सीट का उपयोग करते हुए एनआईसी द्वारा केंद्रीयकृत भूगोलीय सूचना प्रणाली का विकास। जारी फाइबर नेटवर्क एवं जीपोन प्रणाली के लिए जीआईएस प्रणाली बाह्य संयंत्र लक्षणों तथा निर्मित रचनाओं के भंडारण का विवरण इकट्ठा कर रही है।
- परियोजना गतिविधियों की आयोजना एवं प्रबंधन में सहायता हेतु परियोजना प्रबंधन प्रणाली के लिए मोबाइल एप का विकास।
- सीडॉट द्वारा फाइबर फॉल्ट लोकेलाइजेशन प्रणाली का विकास।
- आईआईटी मुम्बई द्वारा रेडियो/सेटेलाइट आधारित संचार का विकास।
- विभिन्न राज्यों को उनके द्वारा ऐरियल ओएफसी बिछाने के लिए इलैक्ट्रिसिटी पोल के सर्वेक्षण हेतु अतिरिक्त निधियन।

xii) नवीकरणीय ऊर्जा विकास

बीबीएनएल ग्रामीण क्षेत्रों से काम करता है और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग की आवश्यकता को समझता है। ग्राम पंचायतों में सभी ओएनटी के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है।

xiii) विदेशी मुद्रा संरक्षण

बीबीएनएल सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वरीयता विपणन पहुंच को अपनाते हुए विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने में सहायता कर रहा है।

xiv) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

आपकी कंपनी ने अभिसंचालन आरंभ नहीं किया है। तथापि, कंपनी अब, कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के क्षेत्र/मापदंड के अंतर्गत शामिल है। यद्यपि, सीएसआर गतिविधियां संचालित नहीं की गई हैं परंतु कंपनी ने बोर्ड की एक सीएसआर उप–समिति का गठन किया गया है और वह शीघ्र ही सीएसआर के अंतर्गत समुचित गतिविधियां आरंभ करेगी।

अनुबंध–घ

आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा

मैं यह घोषित करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों कार्मिकों के लिए कंपनी की व्यापार आचार संहिता और नीति के अनुपालन के बारे में निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिकों से पुष्टि प्राप्त की है।

कृत तथा की ओर से निदेशक मंडल
भारतब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

संजय सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक
डीआईएन–07484614

दिनांक: 20.12.2017
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध–ड

कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रमाणपत्र/घोषणा

हम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के संजय कुमार सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और मनोज आनन्द, निदेशक (वित्त) और सीएफओ 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में निम्नलिखित प्रमाणित करते हैं:

(1) हमने वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

i. इन विवरणों में ऐसी कोई वास्तविक गलत विवरण नहीं है अथवा किसी वास्तविक तथ्य को हटाया नहीं गया है अथवा इनमें ऐसे विवरण नहीं हैं जोकि भ्रामक हों; तथा

ii. ये विवरण कंपनी के मामलों की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और ये मौजूदा लेखन मानकों, लागू नियमों और विनियमों के अनुसार हैं।

(2) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैर–कानूनी अथवा कंपनी की आचार–संहिता का उल्लघंन हों।

(3) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उन्हें बनाये रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाविता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षक समिति को आंतरिक नियंत्रण के डिजायन अथवा संचालन में खामियां, यदि कोई हो, जिनके प्रति हम अवगत हैं के बारे में सूचित किया है तथा इनमें संशोधन करने के लिए उठाये गए कदमों अथवा उठाये जाने के लिए प्रस्तावित कदमों के बारे में सूचित किया है।

(4) जहां लागू हों हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षक समिति को निम्न सूचित किए हैं:

क. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपार्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हों;

ख. वर्ष के दौरान लेखन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो और इसे वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में प्रकट किया गया है; और

ग. महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटनाएं, यदि कोई हों, जिनमें कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका हो।

	संजय सिंह	मनोज आनंद
दिनांकः 20.12.2017	अध्यक्ष–सह–प्रबंध	निदेशक निदेशक (वित्त)
स्थानः नई दिल्ली	डीआईएन–07484614	डीआईएन–07583289

फॉर्म संख्या एमआर–3 अनुबंध–च

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

ख्कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में

सेवा में,

सदस्य

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैम्पस
मंडी गांव रोड, महरोली,
नई दिल्ली–110030

हमने, **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड** (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा अपनाई गई लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कारपोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जो कारपोरेट व्यवहार/सांविधिक अनुपालन और उन पर हमारे मत को व्यक्त करने के लिए समुचित आधार है।

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की पुस्तकों, कागजों, कार्यवृत पुस्तकों, फॉर्म और दायर रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों एवं कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमारी जांच के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि हमारे विचार से कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी सूचित करते है कि कंपनी में उस तरीके से तथा यहां सूचित के अधीन समुचित वृहत प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र मौजूद है।

हमने, **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड** ("कंपनी") की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार पुस्तकों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तको और दायर रिटर्न और रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋणों की सीमा के तहत बनाए गए नियम और विनियम;
(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

(iii) अन्य लागू अधिनियम:

(क) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(घ) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(ड.) अनुबंध श्रमिक (विनियम और निषेध) अधिनियम, 1970;

(च) भारत का दूरसंचार एवं विनियम अधिनियम, 1997;

(छ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1981; और

(ज) सेवा कर और आयकर अधिनियम

हमने निम्नलिखित के लागू धाराओं/दिशा–निर्देशों के अनुपालन की भी जांच की है।

1. **डीपीई दिशा–निर्देश**

2. **भारत के कंपनी सक्रेटरी संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में हम यह सूचित करना चाहते हैं कि वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी उप–समितियों की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं चूंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

हम आगे यह सूचित करते है कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन हमारी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न किए जाने से संबंधित उपरोक्त टिप्पणी के अधीन कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया गया है। निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुआ था, को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की समय–सूची, एजेंडा और एजेंडा के संबंध में विस्तृत टिप्पणियों के पर्याप्त नोटिस न्यूनतम सात दिन अग्रिम भेजे गए थे और बैठक से पहले तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए एजेंडा के संबंध में आगे कोई अन्य सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

अधिकांश निर्णय विरोधी सदस्यो के विचारों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें कार्यवृतों के भाग के रूप में दर्ज करते हुए लिए जाते है।

हम आगे यह सूचित करते है कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया मौजूद है।

टिप्पणी: इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक दिनांक के पत्र जो **"अनुबंध–क"** के रूप में संलग्न है, तथा इस रिपोर्ट का समेकित भाग है, के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

कृते जे.के. गुप्ता एंड एसोशिएट्स

जितेश गुप्ता
एफसीएस संख्या 3978
सीपी संख्या:2448

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 30.11.2017

'अनुबंध–क'

सेवा में,

सदस्य

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैम्पस
मांडी गांव रोड, महरोली,
नई दिल्ली–110030

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए

1. सचिवालयी रिकॉर्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिकॉर्ड पर मत व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवालय रिकॉर्ड की विषय–वस्तु की सटीकता के संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए यथा उचित लेखापरीक्षा पद्ध ति और प्रक्रिया का अनुपालन किया है। यह जांच यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर की गई थी कि सचिवालयी रिकॉर्डों में सही तथ्य प्रदर्शित किए गए है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और पद्धति हमारे मत के लिए समुचित आधार पर प्रदान करती है।

3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए मैसर्स **ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर (सनदी लेखाकार)** की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है, अतः हमने नमूना आधार पर सांविधिकधविधायी अनुपालन की सटीकता की जांच की है। उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यताएं/टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का भाग है।

4. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए **मैसर्स रावला एंड कंपनी (सनदी लेखाकार)** की सांविधिक लेखापरीक्षा पर भरोसा किया है, अतः, हमने कंपनी के लेखों के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों की सटीकता की जांच नहीं की है। उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यताएं/टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का भाग है।

5. जहां भी आवश्यक हो हमने कानून, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं इत्यादि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

6. कारपोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण आधार पर पद्धतियों की जांच तक सीमित थी।

7. सचिवालयी लेखापरीक्षा न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी प्रभावित अथवा सक्षमता है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते जे.के. गुप्ता एवं एसोसिएट्स

जितेश गुप्ता
एफसीएस संख्या 3978
सीपी संख्या:2448

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.11.2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी के तुलन–पत्र और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा कैश एवं फ्लो विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अंतर्गत अधिसूचित लेखन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते है तथा इसमें समय–समय पर इसके तहत जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखन मानक शामिल है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए प्रावधानों के अनुसरण में समुचित लेखन रिकॉर्ड का रखरखाव, समुचित लेखा नीतियों का चयन और प्रयोगय ऐसे निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि सही है; और पर्याप्त आंतिरक वित्तीय नियंत्रण का क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण करना जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता तथा संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे जो ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संगत हों जो कि एक सही दृष्टिकोण प्रदान करते है और वास्तविक दुर्कथन से मुक्त हैं जहां भी वे धोखाधड़ी अथवा भूल के कारण हों, भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अधिनियिम के प्रावधानों, लेखन एवं लेखापरीक्षा मानकों तथा उन मामलों को ध्यान में लिया है जिन्हें अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित होता है।

हमने, हमारी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों, जैसा कि अधिनियम की धारा 143(10) के तहत उल्लेख किया गया है, के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं और योजनाओं का अनुपालन करें तथा यह समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक दुर्कथन से मुक्त है।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में मात्रा और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु निष्पादन प्रक्रिया शामिल होती है। चयनित प्रक्रिया वित्तीय विवरणों के वास्तवकि दुर्कथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा चूक के कारण हो, के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है। ऐसे जोखिम मूल्यांकन करते हुए लेखापरीक्षक कंपनी से संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते है और ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने में जो परिस्थितियों से संगत है किंतु कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं है, के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने पर विचार करता है। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखन अनुमानों का औचित्य तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे योग्य लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त तथा समुचित है।

मत

हमारे विचार से और हमारे सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीके से और निम्नलिखित योग्यताओं के अधीन अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना को 31 मार्च, 2017 के अनुसार कंपनी के मामलों, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ एवं नकद प्रवाह के बारे में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही परिदृश्य प्रदान करते हैं।

मामले का जोर

हम निम्नलिखित वित्तीय विवरण टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। हमारे विचार इन मामलों के संबंध में अर्हक नहीं हैं।

क) सदंर्भ टिप्पणी 9 (ii)

कार्यकारी एजेंसियों से अंतिम बल प्राप्त नहीं किए हैं और पूंजीकरण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है। किसी अंतर के मामले में इसे अंतिम समायोजन के वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

ख) सदंर्भ टिप्पणी 10 (iii)

परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के लिए ली गई ओवर हेड लागत

का प्रतिशत वेतन और प्रशासनिक व्यय में भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए व्यय की मौजूदा प्रवृत्ति के आधार पर कैपेक्स के तीन प्रतिशत के रूप में लिया गया है।

ग) संदर्भ टिप्पणी 17

बीबीएनएल ने अपने नेटवर्क के बेहतर उपयोग के लिए बीएसएनएल के साथ राजस्व शेयरिंग करार (आरएसए) भी किया है। वर्तमान में बीबीएनएल के राजस्व शेयर निर्धारणीय नहीं हैं चूंकि बीबीएनएल के बिलिंग सॉफ्टवेयर में समुचित कोड अभी नहीं बनाये गए हैं। इस राजस्व को निपटान/प्राप्ति के वर्ष में लिया जाएगा।

घ) संदर्भ टिप्पणी 18

कंपनी ने शुरूआत से 100.41 करोड़ रूपए की अन्य आय राशि (21.46 करोड़ रूपए दिनांक 31.03.2016 तक ओर 78.95 करोड़ रूपए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए) ली है जो 19.07.2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन नीति के अनुसार राजस्व के निवल संपूर्ण ऑपरेटिंग व्यय (निवल ओपेक्स) प्रदर्शित करती है।

ड) संदर्भ टिप्पणी 35

विभिन्न प्राप्ति योग्य शीर्ष व्यापार, देय व्यापार, जमा, ऋण और तीसरे पक्ष को अथवा उससे देय अग्रिम के अंतर्गत बकाया राशि पुष्टि और पुर्नमिलान के अधीन है।

ऐसे समायोजन जो विभिन्न उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं तथा अन्यों के साथ उनके बकाया के रूप में अंतिम लेखा विवरण पर हो सकते हैं, वे पुर्नमिलान और पुष्टि के अधीन हैं।

आय, व्यय, संपत्ति और देनदारी से संबंधित उपरोक्त मामलों के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

अन्य मामले

भारतनेट के सृजन के उद्देश्य कंपनी द्वारा प्राप्त संपत्ति सूची सीपीएसयू को प्रदान कर दी गई है। एक्जीक्यूटिंग एजेंसी सीपीएसयू से उपभोग/उपयोग/कस्टडी रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई खरीद का विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं संबंधी रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के रूप में केंद्रीय भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) में अपेक्षा की गई है और कंपनी के पुस्तकों और रिकॉर्डों की ऐसी जांच के आधार पर हमें दी गई सूचना और व्याख्या के अनुसार इसे उचित पाया है, हमनें आदेश के अनुच्छेद 3 ओर 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में **अनुबंध–1** एक विवरण दिया गया है।

2. हम कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्डों की ऐसी जांच जिसे हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुरूप हमारी रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के संबंध में अनबंध–2 में संलग्न कर रहे हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थी।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है हम यह सूचित करते हैं कि:

   क. हमने वह सारी सूचना और व्याख्या प्राप्त की है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थी

   ख. हमारे विचार से कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित समुचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं जहां तक वे इन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है

   ग. इस रिपोर्ट में दिए गए तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण और कैश फ्लो विवरण लेखापुस्तकों के अनुरूप हैं

   घ. हमारे विचार से तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण और कैश फ्लो विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखन मानकों के अनुरूप हैं

   ङ. एक सरकारी कंपनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं

   च. *कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सक्षमता और इन नियंत्रणों की संचालन प्रभाविता के संबंध में हमें दी गई जानकारी और वयाख्या के अनुसार कंपनी ने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में दिशा–निर्देशी टिप्पणी में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए अथवा उस पर आधारित मापदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किए हैं इस कारण से हम हमारे विचार का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में अक्षम हैं कि क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग*

पर पर्याप्तक आंतिरक वित्तीय नियंत्रण हैं और क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2017 के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित थे। हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा के निर्धारण में उपरोक्त सूचित अस्वीकरण पर विचार किया है और यह अस्वीकरण कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करता है।

छ. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में और हमारी जानकारी तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार

i. कंपनी ने आकस्मिक देनदारी और पूंजीगत वचनबद्धता के संबंध में अपने वित्तीय विवरणों में बकाया कानूनी विवाद प्रकट किए हैं संदर्भ टिप्पणी 28.1 से 28.2

ii. कंपनी ने कानून के अंतर्गत लागू अथवा लेखन मानकों के अनुसार हमारी रिपोर्ट में ऊपर कथित को छोड़कर डेरिवेटिव करारों सहित दीर्घावधि करार के संबंध में वास्तविक घाटे (यदि कोई हो) के लिए प्रावधान किया है।

iii. कंपनी को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

iv. कंपनी ने 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान विशिष्ट बैंक टिप्पणियों में होल्डिंहग और डीलिंग के बारे में अपने वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटन प्रदान किया है और ये कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखापुस्तकों के अनुरूप में हैं–संदर्भ वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34.

कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001661एन

सीए राजाराम गुप्ता
पार्टनर
एम. सं. 081279

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15 नवम्बर, 2017

अनुबंध–1: 31 मार्च, 2017 को समाप्ति वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित

[हमारी समान तारीख की रिपोर्ट के शीर्षक ''अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट'' के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 में संदर्भित],

I. क. कंपनी अचल संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति दशार्ते हुए अचल संपत्ति रजिस्टर रखती है

ख. वर्ष के दौरान संपत्तियों की वास्त्विक जांच नहीं की गई है। तथापि, यह सूचित किया जाता है कि डीओटी के अधिकारियों (संचार लेखा नियंत्रकों) को भारतनेट के लिए मानिटरिंग प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है वे भारतनेट की संपत्तियों की 10 प्रतिशत की नियमित वास्तविक जांच कर रहे हैं तथापि संपत्तियों की जांच के प्रभाव का कंपनी के प्रबंधन द्वारा लेखों में विचार नहीं किया गया है। कारपोरेट कार्यालय के लिए संपत्तियों की वास्तविक जांच की आवधिक प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है परंतु कोई नीतिगत दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ग. जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कंपनी की अपनी कोई स्वयं की अचल संपत्ति नहीं है।

II. कंपनी द्वारा भारतनेट के सृजन के उद्देश्य से प्रापण की गई संपत्ति सूची को सीपीएसयू को दिया गया है कार्यकारी एजेंसी सीपीएसयू से उपभोग/उपयोगरु/कस्टडी रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

कार्यान्वययन एजेंसियों द्वारा की गई खरीद का विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

III. कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखें गए रजिस्ट्रर में किसी कंपनी, फर्म, सीमित देनदारी भागीदारी अथवा अन्य पक्षों को आरक्षित अथवा अनारक्षित ऋण प्रदान नहीं किए हैं।

IV. कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 185/186 के प्रावधानों के अनुसार कोई ऋण, गारंटी ओर प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

V. कंपनी ने जनता से कोई डिपोजिट स्वीकार नहीं किया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देश और कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान अथवा अन्य संगत प्रावधान और उनके तहत बनाये गए नियम लागू नहीं हैं।

VI. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा 1 के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण निर्धारित नहीं किए हैं।

VII. क. कंपनी कुछ मामलों में टीडीएस और सेवाकर जमा करवाने में विलंब को छोड़कर समुचित प्राधिकरणों में भविष्य निधि, आयकर, वेट, उत्पातद कर, उपकर और अन्यत सांविधिक देनदारियों सहित गैर–विवादित सांविधिक देनदारी जमा करने में सामान्यतः नियमित हैं और 31 मार्च, 2017 के

अनुसार देनदारी के देय होने की तारीख से 6 माह से अधिक अवधि के लिए कोई गैर–विवादित देनदारी बकाया नहीं हैं।

ख. हमें दी गई सूचना और व्यांख्या के अनुसार 31 मार्च, 2017 के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क , उपकर और बकाया अन्य सांविधिक देनदारी के संबंध में कोई विवादित देनदारी नहीं है।

VIII. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार में ऋण के पुर्न भुगतान में कोई चूक नहीं की है अथवा डिबेंचर धारकों के प्रति कोई देनदारी नहीं है।

IX. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर अथवा आगे पब्लिक ऑफर (डेब्ट इंस्ट्रूमेंट सहित) अथवा दीर्घावधि ऋण के जरिए कोई राशि उगाही है।

X. कंपनी द्वारा अथवा उसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई वास्तविक धोखाधड़ी की घटना हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में नहीं आई है अथवा सूचित नहीं की है।

XI. कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची ट के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधान किया है।

XII. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तद्नुसार आदेश का अनुच्छेद 3 (ii) लागू नहीं हैं।

XIII. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन जहां लागू हो अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं और इन लेनेदन का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखन मानकों में अपेक्षित है।

XIV. कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई वरीयता आबंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किया है अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

XV. कंपनी ने निदेशकों अथवा उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है।

XVI. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं है।

कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001661एन

सीए राजाराम गुप्ता
पार्टनर
एम. सं. 081279

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15 नवम्बर , 2017

अनुबंध–2

[हमारी समान तारीख की रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट" के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 में संदर्भित]

वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत दिशा–निर्देशों संबंधी रिपोर्ट

1. क्या् कंपनी का फ्री–होल्ड' तथा लीज होल्ड के लिए स्पष्ट टाईटल डीड है? यदि नहीं है तो कृपया फ्री–होल्ड और लीज होल्ड' भूमि के क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके लिए टाईटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं है।
   - कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है।
2. कृपया सूचित करें कि क्या डेब्ट/ऋण/ब्याज इत्यादि में छूट का कोई मामला है यदि है तो उसके क्या कारण हैं और उसमें कितनी राशि शामिल हैं।
   - वर्ष के दौरान डेब्ट/ऋण/ब्याज में छूट का कोई मामला नहीं पाया गया है।
3. क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त संपत्तियों और तीसरे पक्षों के पास पड़ी संपत्ति सूची के लिए समुचित रिकॉर्ड रखें जाते हैं?
   - कंपनी द्वारा भारत नेट संपत्तियों के सृजन के उद्देश्य से प्राप्त की गई संपत्ति सूची को सीपीएसयू को दिया गया है। निष्पादन एजेंसी सीपीएसयू से उपभोग/उपयोग/कस्टडी रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। निष्पादन एजेंसी बीएसएनएल ने वर्ष के दोरान कंपनी के उद्देश्यो के लिए गई खरीदी गई संपत्ति सूची का बिना किसी लागत लाभ के उपयोग किया है।
   - कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई खरीद का विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001661एन

सीए राजाराम गुप्ता
पार्टनर
एम. सं. 081279

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15 नवम्बर, 2017

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
क	इक्विटी और देनदारियां			
1	**शेयरधारकों की निधियां**			
	(क) शेयर निधि	3	60,00,00,030	60,00,00,030
	(ख) आरक्षित और अधिशेष	4	17,59,94,160	(5,24,86,326)
			77,59,94,190	**54,75,13,704**
2	**गैर–चालू देनदारियां**			
	(क) डेफर्ड कर देनदारियां (निवल)	5	-	2,65,09,084
	(ख) अन्य दीर्घावधि देनदारियां	6	22,54,280	29,64,21,988
			22,54,280	**32,29,31,072**
3	**चालू देनदारियां**			
	(क) ट्रेड देय	7	1,89,60,01,551	1,82,81,51,575
	(ख) अन्य चालू देनदारियां	8	77,74,42,86,758	46,49,88,44,145
			79,64,02,88,309	**48,32,69,95,720**
	कुल		**80,41,85,36,779**	**49,19,74,40,496**
ख	परिसंपत्तियां			
1	**गैर–चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) संपत्ति, प्लांट और उपकरण	9	70,041	25,14,20,776
	(ख) गैर–वास्तविक संपत्तियां	9	232	6,63,05,547
	(ग) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य	10	18,13,47,60,387	21,05,57,41,583
			18,13,48,30,660	**21,37,34,67,906**
	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	11	30,00,30,11,585	19,90,06,79,676
	अन्य गैर–चालू संपत्तियां	12	-	50,01,242
			30,00,30,11,585	**19,90,56,80,918**
2	**चालू संपत्तियां**			
	प्राप्ति योग्य ट्रेड	13	47,19,816	1,40,08,290
	रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष	14	19,61,19,23,097	5,72,77,64,476
	लघु अवधि ऋण और अग्रिम	15	1,63,51,37,274	33,73,91,025
	अन्य चालू परिसंत्तियां	16	11,02,89,14,347	1,83,91,27,881
			32,28,06,94,534	**7,91,82,91,672**
कुल			**80,41,85,36,779**	**49,19,74,40,496**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार		2		
संलग्नक टिप्पणियां वित्तीय विवरण का समेकित भाग है।				

संलग्न सम तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम001661एन

राजा राम गुप्ता
पार्टनर
एम सं. 081279

दिनांक: 15 नवम्बर 2017
स्थान: नई दिल्ली

कृते तथा की ओर से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

संजय सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07484614

विनोद कुमार
मुख्य महा प्रबंधक (लेखा)

मनोज आनन्द
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07583289

अविनाश चंद्र उपाध्याय
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख
एम.सं. एफ : 4324

लाभ एवं हानि विवरण

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि रूपए में

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
1	आपरेशन से राजस्व	17	32,24,500	41,33,354
2	अन्य आय	18	1,06,00,61,543	12,89,45,157
3	**कुल राजस्व (1+2)**		**1,06,32,86,043**	**13,30,78,511**
4	**व्यय**			
	क. कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	19	4,64,86,754	2,42,42,488
	ख. वित्तीय लागत	20	43,07,166	29,20,761
	ग. अवमूल्यन और परिशोधन व्यय	9	50,01,242	5,70,12,102
	घ. प्रशासनिक, आपरेटिंग और अन्य व्यय	21	72,29,72,554	8,55,43,903
	कुल व्यय		**77,87,67,716**	**16,97,19,254**
5	**पूर्व अवधि मदों और कर से पूर्व लाभ/घाटा (3-4)**		28,45,18,327	(3,66,40,743)
6	पूर्व अवधि मदें	22	(34,31,885)	(1,99,56,412)
7	**कर से पहले लाभ/घाटा (5+6)**		28,10,86,442	(5,65,97,155)
8	**कर व्यय**			
	क. चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय		7,91,15,040	-
	ख. पूर्व अवधि से संबंधित चालू कर व्यय		-	16,40,967
	ग. डैफर्ड कर		(2,65,09,084)	2,60,73,766
			5,26,05,956	2,77,14,733
9	**कर पश्चात लाभ/घाटा (7+8)**		**22,84,80,486**	**(8,43,11,888)**
10	**प्रति शेयर अर्जन**	31		
	क. बेसिक		3.81	(1.41)
	ख. डाल्यूटेड		3.81	(1.41)
	महत्वपूर्ण लेखन नीतियों का सार	2		
	संलग्न टिप्पणी वित्तीय विवरणों का समेकित भाग हैं			

संलग्न सम तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम001661एन

राजा राम गुप्ता
पार्टनर
एम सं. 081279

दिनांकः 15 नवम्बर 2017
स्थानः नई दिल्ली

कृते तथा की ओर से **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड**

संजय सिह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07484614

विनोद कुमार
मुख्य महा प्रबंधक (लेखा)

मनोज आनन्द
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 07583289

अविनाश चंद्र उपाध्याय
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख
एम.सं. एफ : 4324

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणी

1. कंपनी प्रोफाइल–भारतनेट परियोजना

1.1 कंपनी का स्वामित्व नई दिल्ली स्थित कारपोरेट कार्यालय के साथ भारत सरकार द्वारा किया जाता है। शेयर द्वारा सीमित देनदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में कंपनी को 25 फरवरी, 2012 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिनिगमित किया गया था और इसे भारत में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत सरकार के 25.10.2011 के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय आप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) अब भारतनेट की स्थापना हेतु विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) के रूप में स्थापित किया गया था।

1.2 भारतनेट का सृजन और उसका रख–रखाव यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित होगा। तद्नुसार कंपनी ने प्रशासक यूएसओएफ और बीबीएनएल के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के साथ 25.02.2014 को भारत में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों में गैर–दीर्घापूर्ण आधार पर बैंडविथ का प्रभावी प्रावधान करने के लिए आवश्यक ओएफसी परिवहन नेटवर्क तथा संबद्ध अवसरंचना प्रदान करने (अर्थात् प्रापण, स्थापना, परीक्षण, कमीशन) संचालन, रख–रखाव और प्रबंधन हेतु करार किया।

1.3 यूएसओएफ बीबीएनएल को भारतनेट के सृजन, आपरेशन और रख–रखाव के लिए 25.02.2012 से 5 वर्ष की अवधि हेतु समुचित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और आपरेटिंग व्यय की निवल लागत (औपेक्स) राजस्व से निवल हेतु अनुदान/इम्दाद प्रदान करेगा। इस अवधि को आगे 2020 तक 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

1.4 भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए बीबीएनएल ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), पॉवरग्रिड कारॅपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (रेलटेल) के साथ समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भूगौलीय सूचना विज्ञान (जीआईएस) के कार्यान्वयन के लिए नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) और एनआईसी हेतु सेंट्रल फॉर डवलपमेंट ऑफ टेलिमेटिक्स (सी.डॉट) के साथ अलग से समझौता ज्ञापन/करार किया है।

1.5 भारत सरकार ने दिनांक 19.07.2017 को भारतनेट के लिए एक संशोधित कार्यान्वयन नीति अनुमोदित की जिसमें ग्राम पंचायतों तक ब्लॉक मुख्यालयों से ओएफसी (अंडरग्राउंड और ऐरियल) रेडियो और सेटेलाइट का उपयोग करते हुए सीधी कनेक्टिविटी की परिकल्ना की गई है इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य संचालित, सीपीएसयू संचालित और निजी क्षेत्र संचालित मॉडल के माध्यम से किया गया है। लूजी फाइबर, अंतिम समय कनेक्टिविटी और नेटवर्क का आपरेशन तथा रखरखाव हेतु विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।

1.6 1,00,000 ग्राम पंचायतों के लिए भारतनेट के चरण–1 का अनुमोदन किया गया और तदंतर दूरसंचार आयोग द्वारा अन्यत 25,000 ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त कार्य का अनुमोदन किया गया। भारतनेट का चरण–2 1,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए अनुमोदित किया गया है जिसमें से पहले ही 25,000 ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त कार्य कर लिया। समूचे भारतनेट के लिए संशोधित लक्ष्य 31.03.2019 है।

2. महत्वपूर्ण लेखन नीतियों का सार

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

क. वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं।

ख. वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी (लेखन मानक) संशोधन नियम 2016 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य संगत प्रावधानो में निर्दिष्टं लेखन मानकों के संबंध में सभी वस्तुस्थिति का अनुपालन करते हुए तैयार किए गए हैं।

ग. कंपनी लेखन की मर्चेंटाइल प्रणाली का अनुसरण करती है और अन्यथा कहे जाने को छोड़कर अर्जन आधार पर आय और व्येय को मान्यता प्रदान करती है।

घ. कंपनी द्वारा लागू लेखन नीतियां अन्यथा कहे जाने को छोड़कर पिछले वर्ष में प्रयुक्त लेखन नीतियों के अनुसार हैं।

2.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने में इस आश्य के अनुमानों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है/का प्रयोग किया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संपत्ति, देनदारी, राजस्व और व्यय की सूचित राशि को ध्यान में रखा गया है। हालांकि ऐसे अनुमान सभी संगत उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए उचित आधार पर लगाये जाते हैं, वास्तविक

परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है और ऐसे अंतर को उस अवधि में लिया जाता है जिसमें परिणाम हुए हों।

2.3 राजस्व मान्यता

सेवा से आय को लेखन मानक–9 के अनुरूप और राजस्व आधार पर लेखों में लिया जाता है। तद्नुसार

क) सभी सेवाओं के लिए राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब वह अर्जित किया गया हो और बिलिंग के समय वसूला गया हो। बिलिंग की तारीख से वर्ष के अंत तक गैर–बिल राजस्व को वर्ष के दौरान अर्जित राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है। जिस अवधि में सेवा प्रदान की गई हो। विवादित समझे जाने वाले बिल (प्रबंधन द्वारा), दो वर्ष से अधिक के लिए बकाया डेब्ट और दो वर्ष के लिए देय डेब्ट को प्रबंधन को आवश्यस समझे जाने की सीमा तक के संबंध में प्रावधान किए जाते हैं।

ख) रख–रखाव और प्रोजेक्ट कार्य से होने वाली स्क्रेप की बिक्री से आय को वर्ष की बिक्री में विविध आय के रूप में दिया गया है।

ग) जहां आय की वसूली में अनिश्चितता हो, जैसे कि लिक्विडेटड क्षति, सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकरण इत्यादि के संबंध में दावे को वसूली आधार पर लिया जाता है।

घ) यूएसओएफ से आपरेटिंग व्ययय की निवल लागत (प्रशासनिक व्यय सहित) भारतनेट के राजस्व से निवल से प्राप्ति योग्य इम्दाकद को उस वित्तीय वर्ष में अन्य आय के रूप में लिया जाता है जिसमें वह अर्जित की गई हो।

ङ) भारतनेट के सृजन के लिए यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ) से प्राप्त निधियों पर ब्याज से इतर निधियों पर अर्जित ब्याज को अर्जन आधार पर अन्य के रूप में लिया जाता है।

2.4 संपत्ति, प्लांट और उपकरण

क) वास्तविक संपत्तियों को यूएसओएफ के सृजन के लिए प्राप्त पूंजीगत इम्दाद की निवल लागत पर कहा गया है। इन संपत्तियों को पुस्तकों में 1 रूपए के आंशिक मूल्य पर निम्नानुसार दर्शाया गया है:

1.1 केबल प्रणाली को 1 रूपए प्रति किलोमीटर के रूप में ओएफसी किलोमीटर के रूप में दर्शाया गया है।

1.2 उपकरण को प्रति एंटी 1 रूपए के रूप में ओएनटी के रूप में दर्शाया गया है।

1.3 अन्य सभी संपत्तियों को 1 रूपए प्रति इकाई के रूप में दर्शाया गया है।

ख) आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को ओएफसी के स्वीरकार्य परीक्षण (ए/टी) के लिए पूंजीकृत किया गया है। जहां सफल स्वीकार्य परीक्षण (ए/टी) के पश्चात आप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी) और ग्राम पंचायत के बीच नेटवर्क लिंक स्थापित कर दिया जाता है तो भारतनेट के जीपीओएन उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है।

ग) तुलनपत्र की तारीख के अनुसार पूंजीगत प्रगतिरत कार्य के अंतर्गत अचल संपत्तियों की लागत उपयोग के लिए तैयार नहीं है।

पूंजीगत प्रगतिरत कार्य की लागत में शामिल हैं।

(i) परियोजना के लिए जारी भंडार और सामग्रियों की लागत तथा

(ii) पीएलवी डक्टज की लागत तथा ट्रेंचिंग, केबल बिछाने के कार्य की लागत जोकि निष्पादन एजेंसियों द्वारा सूचित की गई हो और भारतनेट के लिए प्रयुक्त की गई हो।

(iii) राज्यों की परियोजना प्रबंधन इकाईयों, कारपोरेट कार्यालय की आयोजना शाखा और कारपोरेट कार्यालय की वित्तीय शाखा की अनुपातिक लागत इत्यादि के कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ सहित स्थापना एवं अन्य व्यय।

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की लागत में निम्नं द्वारा कमी की गई है।

(i) वेडरों से प्राप्त लिक्वींडेटेड क्षति

घ) वास्तविक संपत्ति, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट और पुर्नस्थापना कार्य पर व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जबकि प्रबंधन के विचार से इससे राजस्व अर्जन क्षमता में वृद्धि हो।

ङ) गैर वास्तविक संपत्ति यूएसओएफ से प्राप्त पूंजीगत इम्दाद की निवल लागत पर कही गई है इसे 1 रूपए प्रति इकाई के आंशिक मूल्य पर दर्शाया गया है।

च) नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली/नेटवर्क आपरेटिंग केंद्र तथा डाटा केंद्र को पूंजीकृत किया जाता है जब वह सफल स्वीकार्य परीक्षण के पश्चात् उपयोग के लिए तैयार हो जाए।

छ) संपत्ति के पूंजीकरण के लिए ओवरहेड लागत का प्रतिशत व्यय की चालू प्रवत्ति के आधार पर तथा वेतन एवं प्रशासनिक व्यय में भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कैपेक्स के 3% के रूप में लिया जाता है।

2.5 अवमूल्यन/परिशोधन

क) लेखन नीति के अनुसार संपत्ति, प्लांट और उपकरण को आशिंक मूल्य पर दर्शाया जा रहा है और तद्नुसार यूएसओएफ/डीओटीए से प्राप्ति योगं अनुदान/इम्दाकद से सृजित संपत्तियों पर कोई वार्षिक अवमूल्यन लागू नहीं हैं।

ख) प्रारंभिक व्यय को सीधी रेखा पद्धति के अनुसार 5 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

2.6 संपत्ति सूची

संपत्तियों के सृजन, मरम्मत और रख–रखाव के लिए प्राप्त की गई संपत्ति सूची को लागत पर लिया जाता है और भारतनेट की संपत्ति के सृजन के लिए सीडब्लयूआईपी में अंतरित किया जाता है। संपत्ति सूची की लागत उनके वर्तमान स्थान तक हुई सभी लागत को शामिल करते हुए है। अप्रचलित/गैर–चलित संपत्तियों को निवल वसूली योग्य मूल्य पर लिया जाता है।

2.7 सरकारी अनुदान

अवमूल्यन योग्य संपत्तियों से संबंधित इम्दाद/अनुदान को असंबंधित संपत्तियों के मूल्य के निर्धारण में काटा जाता है। वर्ष के दौरान प्राप्त सरकार अनुदान परंतु जिसे वास्तविक/गैर–वास्ताविक संपत्ति के सृजन के लिए प्रयोग न किया गया हो, को दीर्घावधि देनदारी/अन्य चालू देनदारी जैसा भी मामला हो, के रूप में आगे ले जाया जाता है।

राजस्व से संबंधित सरकारी इम्दोद/अनुदान (औपेक्स) को लाभ एवं हानि विवरण में अर्जन आधार पर अन्य आय के रूप में लिया जाता है।

2.8 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में लेनदेन उस लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनियम दर पर दर्ज किया जाता है अर्थात् भुगतान अथवा बिलिंग, जैसा भी मामला हो, की तारीख पर लिया जाता है।

तुलनपत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा वित्तीय संपत्तियों को सूचित किए जाने की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर लिया जाता है।

2.9 लीज

लीज को उस सीमा तक वित्तय अथवा आपरेटिंग लीज आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिसके लिए लीज्ड संपत्ति के स्वामित्व का जोखिम और रिवार्ड लीजर अथवा लीजी का होता है और तद्नुसार लीज की संपत्ति और लीज के भुगतान को वित्तीय विवरणों में दर्ज किया जाता है।

2.10 कर्मचारी लाभ

क) लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ को उस अवधि में माना जाता है जिसमें सेवा प्रदान की गई। है।

चिकित्सा लाभ

कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अन्य व्यक्तिगत दावा बिलों को लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तक प्राप्त बिलों के संबंध में वास्तविक आधार पर लिया गया है।

ख) दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजनाः

i) पेंशन अंशदान (ग्रेच्युटी सहित)

सरकारी कर्मचारी तथा प्रतिनियुक्ति पर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों जिन्हें विषय पर सरकारी नियमों द्वारा शासित किया जाता है, सरकार से पेंशन के पात्र है, जिसे अंशदान योजना में परिभाषित किया गया है। कंपनी सरकार को पेंशन नियमों और एफआरएंडएसआर के अनुसार लागू दरों पर पेंशन (ग्रेच्युटी केलिए देनदारी सहित) के लिए मासिक अंशदान देती है और राशि को लाभ एवं हानि विवरण में लिया जाता है।

ii) कर्मचारी भविष्य निधि

प्रतिनियुक्ति पर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों जिन्हें ईपीएफ अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, कंपनी संबंधित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को कर्मचारी के मूल वेतन और भत्ते की पूर्व निर्धारित पर नियोक्ता का अंशदान और संबद्ध प्रशासनिक प्रभार प्रदान करती है, और यह राशि लाभ और हानि विवरण में ली जाती है।

बीबीएनएल द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों जो ईपीएफ अधिनियम द्वारा शासित होते है, के लिए कंपनी नियोक्ता का अंशदान प्रदान करती है और ईपीएफओ को कर्मचारियों के अंशदान के साथ संबद्ध प्रशासनिक प्रभार प्रदान करती है। नियोक्ता का अंशदान और प्रशासनिक प्रभारों को लाभ एवं हानि विवरण में लिया जाता है।

iii) अवकाश वेतन हेतु अंशदान

सरकारी कर्मचारियों तथा प्रतिनियुक्ति पर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के लिए

बीबीएनएल द्वारा सरकार अन्य सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को एफआरएंडएसआर के एफआर 115(ख) के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए अवकाश वेतन अंशदान देती है और यह राशि लाभ एवं हानि विवरण में ली जाती है। परिणामतः अवकाश की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए देय अवकाश वेतन सरकार/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास होता है। इसके अतिरिक्त, सेवा छोड़ने/सेवानिवृत्ति से पहले अथवा पश्चात कोई अवकाश नगदीकरण भी सरकार/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उत्तरदायित्व है।

iv) ग्रेच्युटी

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों, जिन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 द्वारा शासित किया जाता है, के लिए कंपनी ग्रेच्युटी के लिए अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अंशदान देती है तथा यह राशि लाभ एवं हानि विवरण में ली जाती है।

v) बीबीएनएल द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पश्चात लाभ

ग्रेच्युटी: ग्रेच्युटी अधिनियम के भुगतान के अनुसार ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया जाता है।

अवकाश वेतन के लिए अंशदानः नियुक्ति पश्चात लाभ के रूप में भुगतान किए जाने वाले अवकाश वेतन के संबंध में मूल नियम और अनुपूरक नियमों के एफआर 115(ख) के अनुसार प्रावधान किया गया है और इस राशि को लाभ एवं हानि विवरण में लिया गया है। एफआर 115(ख) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ मूल वेतन का 30 प्रतिशत जमा डीए होगा।

बीबीएनएल द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अंशदान ईपीएफ तथा ग्रेच्युटी के लिए क्रमशः मूल वेतन तथा डीए का 12 प्रतिशत और 4.81 प्रतिशत की दर से होगा। बाकी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कंपनी द्वारा नीति तैयार की जानी अभी बाकी है। इसे तैयार करने के लंबित रहने और अनुमोदन के लंबित होने तक कंपनी बकाया सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कर्मचारियों के मूल वेतन तथा डीए के 13.19 प्रतिशत की दर का प्रावधान करती है।

2.11 पूर्व अवधि मदें

आय अथवा व्यय जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरण तैयार करने में हुई चूक अथवा छोड़ दिए जाने के परिणाम स्वरूप वर्तमान अवधि में सामने आता है तो इसे लाभ एवं हानि विवरण में पूर्व अवधि मद के रूप में लिया जाता है।

2.12 आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर व्यय को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में निकाली गई आय तथा कर क्रेडिट के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एएस–22 के अनुसार, डेफर्ड कर देनदारी/संपत्तियों को रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार लागू कर की दरों का प्रयोग करते हुए लेखन मानक व्याख्या 3 और मात्रात्मकता के घटकों को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि के लिए लेखन आय और कर योग्य आय के बीच टाइमिंग अंतर पर मान्यता दी जाती है।

डेफर्ड कर संपत्तियों को मान्यता दी जाती है तथा उन्हें इस वास्तविक सुनिश्चितता की सीमा तक आगे ले जाया जाता है कि ऐसे आगे ले जाई गई कर संपत्तियों की वसूली की जा सकती है।

2.13 प्रावधान

प्रावधानों को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है जबकि कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणास्वरूप एक वर्तमान वचनबद्धता होय यह अधिक संभावना है कि वचनबद्धता के निपटान के लिए संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी, और राशि को विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया गया है।

2.14 आकस्मिक देनदारियां

देनदारियों, यदिप आकस्मिक होने पर उनका प्रावधान किया जाता है, यदि प्रबंधन के अनुसार ऐसी देनदारियों के परिपक्व होने के समुचित अवसर हों अन्य आकस्मिक देनदारियां, गलत दावों को छोड़कर, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं लिया जाता है, को टिप्पणी के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

2.15 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन ("ईपीएस") में कर पश्चात् निवल लाभ (कर से निवल असाधारण आय को छोड़कर) शामिल होता है। मूल तथा डाइलूटिड ईपीएस में प्रयुक्त शेयरों की संख्या वर्ष के दौरान बकाया शेयरों को भारित औसत संख्या है।

2.16 क्षेत्र की सूचना देना

ऐसा केवल एक मुख्य क्षेत्र है जिसमें एओएफएन के जरिए दीर्घावधि सेवा अर्थात् शेयरिंग आधार बैंडविथ का प्रावधान है।

3. शेयर कैपिटल

(क) प्राधिकृत (राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
प्रत्येक 10/– रुपए मूल्य के 100,00,00,000 (पी.वाई. 100,00,00,000) इक्विटी शेयर	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
	10,00,00,00,000	**10,00,00,00,000**
जारी, अंशदान तथा पूर्णतया प्रदत्त		
प्रत्येक 10/– रुपए मूल्य के 6,00,00,003 (पी.वाई. 6,00,00,003) इक्विटी शेयर	60,00,00,030	60,00,00,030
जारी, अंशदान प्रदत्त तथा पूर्णतया प्रदत्त शेयर का योग	**60,00,00,030**	**60,00,00,030**

(ख) शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार		31 मार्च, 2016 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि भारतीय रुपए में	शेयरों की संख्या	राशि भारतीय रुपए में
वर्ष के आरंभ में बकाया	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030
जमा: वर्ष के दौरान जारी	0	0	0	0
वर्ष के अंत में बकाया	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030

(ग) कंपनी के 5% शेयर से अधिक शेयर वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के ब्यौरे

	होल्डिंग का प्रतिशत	31 मार्च, 2017 के अनुसार	होल्डिंग का प्रतिशत	31 मार्च, 2016 के अनुसार
केंद्र सरकार	99.99 %	6,00,00,000	99.99 %	6,00,00,000

- बीएसएनएल, पीजीसीआईएल एवं रेलटेल 10/– रुपए प्रत्येक के एक–एक इक्विटी शेयर धारी हैं।
- कंपनी में 10/– रुपए प्रति शेयर के समान मूल्य वाले एक ही स्तर के इक्विटी शेयर है।
- **सदस्यों का मत:** मौजूदा प्रत्येक सदस्य और जो इक्विटी शेयरधारक हो, को एक मत देने का अधिक होगा और इक्विटी शेयरधारक की ओर से सामान्य प्रोक्सी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होगा तथा मतदान होने पर प्रत्येक सदस्य को उसके पास धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मद देने का अधिकार होगा। मतदान होने पर इक्विटी शेयरधारक के मताधिकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 47 में निर्दिष्ट किए गए हैं।

4. आरक्षित और अधिशेष

राशि रुपए में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
(क)	**सामान्य आरक्षित**		
	वर्ष के आरंभ में बकाया	3,46,81,834	3,46,81,834
	जमा: लाभ एवं हानि विवरण से हस्तांतरित	5,00,00,000	-
	वर्ष के अंत में बकाया	**8,46,81,834**	**3,46,81,834**
(ख)	**लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष/घाटा**		
	वित्तीय वर्ष के आरंभ में बकाया	(8,71,68,160)	(28,56,272)
	जमा: वर्ष के लिए लाभ/(घाटा)	22,84,80,486	(8,43,11,888)
	घटा: सामान्य आरक्षित में हस्तांतरित	5,00,00,000	-
	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया–बेशी/(घाटा)	9,13,12,326	(8,71,68,160)
आरक्षित बेशी का योग		**17,59,94,160**	**(5,24,86,326)**

5. डेफर्ड कर देनदारियां / संपत्ति (निवल)

(राशि रूपए मे)

	विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
क	**डेफर्ड की देनदारियां**		
	अचल संपत्ति पर अवमूल्यन	-	2,67,67,120
	अन्य	-	-
	कुल (क)	**-**	**2,67,67,120**
ख	**डेफर्ड कर संपत्तिः**		
	गेज्युटी का प्रावधान	3,70,003	12,259
	अवकाश नगदीकरण	8,46,569	1,11,763
	अधिवर्षिता	84,593	1,34,014
	कुल (ख)	**(13,01,165)**	**2,58,036**
	निवल डेफर्ड कर देनदारियां (क)–(ख)	**(13,01,165)***	**2,65,09,084**

*डेफर्ड कर संपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है चूंकि कर योग्य आय की कोई वास्तविक निश्चितता नहीं हैं।

कंपनी ने पूर्व में संपत्तियों की जीवन अवधि में अनुदान और प्रत्येक वर्ष अवमूल्यन प्रभार पर विचार करने के लिए लेखन नीति का अनुपालन किया था परंतु वास्तविक और अवास्तविक संपत्तियों के लेखन नीति में परिवर्तन के कारण कंपनी के लेखों में अवमूल्यन शून्य है जोकि आयकर अधिनियम के अंतर्गत समान हैं। परिणामस्वरूप अब अवमूल्यन में कोई टाइमिंग अंतर नहीं है। अवमूल्यन से संबंधित डेफर्ड कर देनदारी के निवल कर बकाया को वापस कर दिया गया है और लाभ एवं हानि लेखे में रिटन बैक किया गया है।

6. दीर्घावधि देनदारी

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
डेफर्ड पूंजीगत इम्दाद	-	29,54,68,873
स्वयं के कर्मचारियों के नियुक्ति पश्चात लाभ	22,54,280	9,53,115
कुल	**22,54,280**	**29,64,21,988**

7. देय ट्रेड

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
माइक्रों और लघु उद्यमों के लिए देय	.	.
संबंधित पक्षों के लिए देय	-	-
अन्यों के लिए देय	1,89,60,01,551	1,82,81,51,575
देय कुल ट्रेड	**1,89,60,01,551**	**1,82,81,51,575**

8. अन्य चालू देनदारियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
भारतनेट परियोजना के लिए यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन से प्राप्त इम्दाद	77,55,09,52,028	46,43,14,39,339
टीडीएस तथा अन्य सांविधिक देय[1]	12,79,59,675	2,99,54,048
कर्मचारियों के लिए देनदारी	57,45,673	42,96,458
सरकारी विभागों को देय[2]	5,46,29,897	2,63,87,604
एजीआर आधारित लाइसेंस फीस के लिए देनदारी	4,17,129	21,37,981
निदेशकों की ओर देनदारी	94,972	70,801
अन्यों को देय	28,13,666	17,26,032
ईएमडी तथा निष्पादन सुरक्षा जमा	16,73,718	28,31,882
अन्य चालू देनदारियो का योग	**77,74,42,86,758**	**46,49,88,44,145**

(1) निष्पादन एजेंसियों में रिवर्स चार्ज प्रणाली के तहत स्रोत पर कर कटौती और सेवा कर का भुगतान काटा है। कंपनी में बीबीएनएल की ओर से किए गए नियमित कर अनुपालन का विवरण है।

(2) "सरकारी विभागों को देय" में डीओटी के अधिकारियों तथा कंपनी में बीएसएनएल और एमटीएनएल के अमेलित कर्मचारियों के संबंध में पेंशन अंशदान, अवकाश वेतन अंशदान तथा अन्य बसूली के लिए देय राशि शामिल है जो कि (प) सरकारी विभाग 4,95,19,780 (पिछला वर्ष 2,29,47,066 रुपए) (पप) बीएसएनएल के जरिए डीओटी 2,49,011 रुपए (पिछला वर्ष 3,79,166 रुपए) (पपप) एमटीएनएल के जरिए डीओटी 52,188 रुपए (पिछला वर्ष 1,813 रुपए) है।

(3) प्रयुक्त 35,38,09,97,626 रूपए की राशि अर्थात कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम और संपत्ति सूची की खरीद के लिए राशि को पूंजीकरण तक देनदारी से समायोजित नहीं किया गया है।

(4) बीबीएनएल द्वारा प्रापण पर उत्पाद कर और सेवा कर के संबंध में केंद्रीय क्रेडिट और 31.03.2017 तक निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से क्रेडिट 9,52,24,79,144 रूपए है। यह राशि यूएसओएफ से संपत्ति/सीडब्ल्यूआईपी से मूल्य के रूप में अनुदान/इम्दाद से समायोजित किए जाने योग्य है और इसे कैनवैट क्रेडिट से निवल पर लिया गया है। इस राशि का समायोजन कैनवेट के उपयोग के वर्ष में किया जाएगा।

(5) यूएसओएफ से प्राप्त अनुदान/इम्दाद की बेशी निधियों को बैंकों में लघु अवधि जमा के रूप में रखा गया है। इस पर अर्जित ब्याज को कंपनी द्वारा अपनायी गई महत्वपूर्ण लेखन नीतियों के अनुसार यूएसओएफ से प्राप्त अनुदान/इम्दाद में क्रेडिट किया गया है। ब्याज का विवरण टिप्पणी–11 (पअ) में दिया गया है।

9.सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण

(राशि रूपए में)

विवरण	1 अप्रैल, 2016 के अनुसार आरंभिक शेष	जमा	कटौती/ समायोजन	31 मार्च, 2017 के अनुसार अंतिम शेष	31.03.2017 के अनुसार सृजित संपत्तियों के लिए प्रयुक्त अनुदान	आशिंक मूल्य पर ली गई संपत्ति'
संपत्ति, प्लांट और उपकरण		**वर्ष के दौरान**				
दूरसंचार संपत्ति	7,62,96,214	18,714		7,63,14,928	7,63,14,927	1
आप्टीकल फाइबर केबल	0	25,86,83,46,543	0	25,86,83,46,543	25,86,82,86,988	59,555
जीपीओएन	0	50,49,93,956	0	50,49,93,956	50,49,86,068	7,888
कार्यालय उपकरण	41,51,898	84,10,232	11,35,400	1,14,26,730	1,14,26,402	328
विद्युत स्थापना और उपकरण	26,73,640	10,79,25,000	-	11,05,98,640	11,05,98,477	163
फर्नीचर और फिटिंग	2,54,54,786	8,23,25,707	3,90,095	10,73,90,398	10,73,89,222	1,176
कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग	20,06,04,400	1,67,60,399	53,43,553	21,20,21,246	21,20,20,319	927
पुस्तकें	2,22,40,641	-		2,22,40,641	2,22,40,638	3
संपत्ति, प्लांट और उपकरण का योग	**33,14,21,579**	**26,58,87,80,551**	**68,69,048**	**26,91,33,33,082**	**26,91,32,63,041**	**70,041**

सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण

(राशि रूपए में)

अवास्तविक संपत्तियां						
साफ्टवेयर	8,90,73,058	29,43,92,758	13,999	38,34,51,817	38,34,51,590	227
वीडियो फिल्म	30,00,000	-	-	30,00,000	29,99,999	1
बेवसाइट	7,79,840	-	-	7,79,840	7,79,839	1
ट्रेडमार्क	1,12,000	-	-	1,12,000	1,11,999	1
एनएलडी लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क	2,50,00,000	-	-	2,50,00,000	2,49,99,999	1
आईएसपी लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क	30,00,000	-	-	30,00,000	29,99,999	1
कुल वास्तविक संपत्तियां	**12,09,64,898**	**29,43,92,758**	**13,999**	**41,53,43,657**	**41,53,43,425**	**232**

i. वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में जमा ओएफसी किलोमीटर के आधार पर निर्धारित किया गया है और जीपीओएन कार्य 31.03.2017 तक पूरा हो गया है।

ii. कार्यान्वयन एजेंसियों से अंतिम बिल प्राप्त नहीं हुए हैं और पूंजीकरण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है। किसी अंतर के मामले में इसे अंतिम सेटलमेंट में समायोजित किया जाएगा।

10. प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

(राशि रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	समायोजन	31 मार्च, 2017 के अनुसार
1	पीएलबी डक्ट्स, ट्रैचिंग, लेयिंग वर्कस	11,82,56,02,227	20,72,65,16,069	22,25,07,62,208	0	10,30,13,56,088
2	सीपीएसयू और भारतनेट को जारी ओएफसी तथा जीपीओएन	9,12,36,19,637	1,87,21,92,986	3,74,94,64,626		7,24,63,47,997
3	एनएमएस/एनओसी (एनएमएस एसडब्ल्यू)	12,83,78,978	15,28,00,000	28,11,78,978	0	0
4	एनओएफएन की स्थापना से संबंधित कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं स्थापना प्रभार पर व्यय	1,07,93,84,492	52,26,61,902	78,26,97,974	0	81,93,48,420
5	संपत्ति सूची की अन्य लागत	29,51,59,006	31,55,14,193		29,66,80,632	31,39,92,567
6	जीपीओएन उपकरण					
7	निम्न के लिए क्रेडिट					
	i. कैपेक्स इम्दाद की राशि पर अर्जित ब्याज	(1,04,58,17,961)	(97,87,06,635)	(2,02,45,24,596)		0
	ii. एनओएफएन परियोजना के लिए संपत्ति सूची पर लगायी गई लिक्विडेटिड क्षति	(35,05,84,796)	(19,56,99,889)			(54,62,84,685)
	कुल	**21,05,57,41,583**	**22,41,52,78,626**	**25,03,95,79,190**	**29,66,80,632**	**18,13,47,60,387**

i. निर्माण (प्रगतिरत पूंजीगत कार्य–सीडब्लयूआईपी) के अंतर्गत भारतनेट संपत्तियों का मूल्य महत्वपूर्ण लेखन नीति के अनुसार है। बीबीएनएल द्वारा प्रापण किए गए आप्टिकल फाइबर केबल तथा जीपीओएन उपकरण का मूल्य जोकि सीपीएसयू द्वारा परियोजना के लिए परेषिती के रूप में प्राप्त किया गया है, को खरीद की लागत पर सीडब्लयूआईपी के रूप में दर्शाया गया है। सीपीएसयू द्वारा सीधे खरीदी गई अन्य मदें जैसे कि पीएलपी डक्ट और सीपीएसयू द्वारा ट्रैचिंग और लेन के लिए कार्य आदेश हेतु भुगतान को तीन सीपीएसयू द्वारा प्रस्तुत वित्तीय निधि उपयोग रिपोर्ट (परिशिष्ट–4) के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी को अंतरित किया गया है।

ii. लिक्वीडेटिड क्षति में निष्पादन बैंक गारंटी (पीवीजी) के नगदीकरण से प्राप्त 21,28,00,000 रूपए की राशि शामिल है। तथापि इस राशि को माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय तक अलग से रखा गया है।

iii. संपत्ति के पूंजीकरण के लिए लिए गए ओवरहेड लागत का प्रतिशत व्यय की वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर और वेतन तथा प्रशासनिक व्यय में भविष्य की वृद्धि को

देखते हुए कैपेक्स के 3 प्रतिशत के रूप में लिया गया है।

iv. कंपनी अब तक सीडब्लयूआईपी से यूएसओएफ/डीओटी से प्राप्त बेशी निधियों पर ब्याज काटती थी, तथापि अब इसे संशोधित लेखन नीति के अनुसार यूएसओएफ/डीओटी से इम्दाद/अनुदान माना जा रहा है तद्नुसार 2015–16 तक 104.58 करोड़ रूपए सहित 2016–17 तक 220.18 करोड़ रूपए का ब्याज सीडब्ल्यूआईपी से नहीं काटा गया है और इसे प्राप्त पूंजीगत इम्दाद में जोड़ दिया गया है।

v. महत्वपूर्ण लेखन नीति के अनुसार बीबीएनएल द्वारा प्रापण की गई आप्टिकल फाइबर केबल और जीपीओएन उपकरण का मूल्य तथा निष्पादन एजेंसियों को आपूर्त के मूल्य को सीडब्लयूआईपी के रूप में माना गया है। तथापि, 31.03.2016 के अनुसार संपत्ति सूची के मूल्य को भी सीडब्ल्यूआईपी में अंतरित किया गया है।

11. दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
(क) पूंजीगत अग्रिम		
i. भारतनेट की स्थापना के लिए बीएसएनएल को	24,31,32,97,019	13,47,35,36,222
ii. भारत नेट की स्थापना के लिए पीजीसीआईएल को	1,86,62,55,673	2,70,79,61,783
iii. भारतनेट की स्थापना के लिए रेलटेल को	1,95,50,56,937	2,17,56,28,122
iv. सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ टेलिमेटिक्स (सीडॉट) को	13,64,31,768	12,26,00,000
v. जीआईएस के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) को	17,45,88,893	3,49,61,992
vi. कार्यालय/आवासीय स्थान के लिए एमओयूडी/एनबीसीसी को	1,12,34,58,103	1,15,58,39,793
vii. चरण–2 सर्वेक्षण के लिए राज्य एजेंसियों को	15,31,01,460	-
viii. बीएसएनएल को ऋण आधार पर जारी ओएफ केबल	18,43,20,197	18,43,20,197
(ख) सुरक्षा जमा	9,65,01,535	4,58,31,567
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम का योग (क)(ख)	**30,00,30,11,585**	**19,90,06,79,676**

12. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
गैर–परिशोधित प्रारंभिक व्यय	-	50,01,242
अन्य गैर–चालू संपत्तियों का योग	**-**	**50,01,242**

13. प्राप्ति योग्य ट्रेड

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
भुगतान की देय तारीख से छः माह से अधिक हेतु बकाया		
आरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अनारक्षित, अच्छे माने गए	47,19,816	1,40,08,290
शंकालु	-	-
प्राप्ति योग्य कुल ट्रेड	**47,19,816**	**1,40,08,290**

प्राप्ति योग्य ट्रेड बीएसएनएल के माध्यम से सक्रिट/बैंडविथ प्रदान करने के लिए है।

14. नगद एवं बैंक बकाया

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
1) नगद और नगद समकक्ष		
हाथ रोकड़	-	5,343
कर्मचारियों का इम्प्रेस्ट खाता	2,07,454	3,69,968
बैंक में बकाया		
चालू खाते में बकाया	**22,90,12,182**	**1,85,58,95,821**

नगद एवं बैंक बकाया

तीन माह से कम की परिपक्वता वाले टर्म डिपोजिट	-	-
सावधि जमा– अन्य	-	61,92,349
कुल (क)	**22,92,19,636**	**1,86,24,63,481**
2) अन्य बैंक बकाया		
तीन माह से कम की परिपक्वता वाले टर्म डिपोजिट	3,91,83,00,000	-
तीन माह से अधिक और 12 माह से कम की परिपक्वता वाले टर्म डिपोजिट	15,46,37,53,461	3,86,45,76,856
12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले टर्म डिपोजिट	6,50,000	6,50,000
हाथ में चैक, ड्राफ्ट और पोस्टल आर्डर	-	74,140
कुल (ख)	**19,38,27,03,461**	**3,86,53,00,996**
कुल (क+ख)	**19,61,19,23,097**	**5,72,77,64,476**
i. उपरोक्त बैंक बकाया में से न्यायालय के आदेश के अनुसार बैंक गारंटी के नगदीकरण से प्राप्त राशि को अंतिम आदेश तक उपयोग नहीं किया जा सकता है।	21,28,00,000	-
ii. राशि बैंक गारंटियों की मार्जन मनी के रूप में रखी गई है	33,10,18,378	2,87,36,858

15. लघु अवधि ऋण और अग्रिम

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
क. कर्मचारियों के लिए ऋण और अग्रिम – अनारक्षित, अच्छे माने गए		
कर्मचारियों के लिए अग्रिम	52,41,370	10,05,930
अस्थायी अग्रिम	9,309	1,120
कर्मचारियों को कुल ऋण और अग्रिम	**52,50,679**	**10,07,050**
ख. अन्य को अग्रिम – अनारक्षित, अच्छे माने गए		
कर्मचारियों के लिए अग्रिम	3,17,55,885	53,29,294
अग्रिम कर– अन्य (वैट)	23,955	23,955
पीएसयू को अग्रिम	1,45,95,02,412	20,91,22,011
श्रमिक किराये पर लेने पर अग्रिम	2,55,51,174	3,25,91,158
वेंडरों, ठेकेदारों इत्यादि को अग्रिम	1,71,918	2,00,315
अन्य को कुल अग्रिम	**1,51,70,05,344**	**24,72,66,733**
ग. प्रदत्त आय कर		
वापसी योग्य कर	8,91,17,242	-
अग्रिम कर–टीडीएस	10,28,79,049	9,33,42,357
घटा: आयकर के लिए प्रावधान	(7,91,15,040)	(42,25,115)
कुल– लघु अवधि ऋण और अग्रिम (क+ख+ग)	**1,63,51,37,274**	**33,73,91,025**

16. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
एफडीआर पर अर्जिय ब्जाय	**47,95,77,083**	**4,97,50,421**
प्राप्ति योग्य कैनवैट क्रेडिट	**9,52,24,79,144**	**1,76,78,90,363**
अन्य		
सरकारी विभागों से प्राप्ति योग्य	1,90,90,740	1,82,24,501
पीएसयू से प्राप्ति योग्य	17,91,096	25,08,309
कर्मचारियों से प्राप्ति योग्य	0	1,04,353
अन्य से प्राप्ति योग्य	17,22,138	4,66,421
पूर्व प्रदत्त व्यय	72,253	1,83,513
यूएसओएफ से प्राप्ति योग्य राशि*	1,00,41,81,893	0
कुल अन्य चालू संपत्ति	**11,02,89,14,347**	**1,83,91,27,881**

* शुरूआत से 100.41 करोड़ रूपए की राशि के देय आपरेटिंग व्यय (निवल औपेक्स) को अन्य आय के रूप में लिया गया है और संगत राशि यूएसओएफ से प्राप्ति योग्य है।

17. ऑपरेशन से राजस्व

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
बैंडविथ प्रभार	32,24,500	41,33,354
ऑपरेशन से कुल राजस्व	**32,24,500**	**41,33,354**

बीबीएनएल ने अपने नेटवर्क के बेहतर उपयोग के लिए बीएसएनएल के साथ राजस्व शेयरिंग करार (आरएसए) किया है। वर्तमान में बीबीएनएल का राजस्व शेयर निर्धारणीय नहीं है क्योंकि बीएसएनएल के बिलिंग साफटवेयर में समुचित कोड अभी तक तैयार नहीं किया है। इस राजस्व को निपटान/प्राप्ति के वर्ष में लिया जाएगा।

18. अन्य आय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
एफडीआर पर ब्याज	1,02,88,56,523	23,10,20,437
घटाः सीडब्लयूआईपी/इम्दाद में अंतरित यूएसओएफ निधियों से संबंधित	97,87,06,635	17,58,91,979
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया ब्याज	5,01,49,888	5,51,28,458
ब्याज–अन्य	-	45,782
अन्य आय	57,29,762	1,19,805
औपेक्स के लिए यूएसओएफ से इम्दाद	1,00,41,81,893	-
अमूल्यन की सीमा तक डैफर्ड पूंजीगत इम्दाद से अंतरित राशि	-	7,36,51,112
कुल अन्य आय	**1,06,00,61,543**	**12,89,45,157**

कंपनी ने शुरूआत से 100.41 करोड़ रूपए की अन्य आय (31.03.2016 तक 21.46 करोड. रूपए और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 78.95 करोड. रूपए) ली है। जो 19.07.2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन नीति के अनुसार राजस्व से निवल समूचे आपरेटिंग व्यय (निवल औपेक्स) को दर्शाता है।

19. कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	26,49,44,450	23,50,93,194
अवकाश वेतन अंशदान	2,04,89,888	91,37,380
पेंशन अंशदान	3,27,39,744	1,39,57,397
कर्मचारियों भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में अंशदान	25,82,332	17,16,326
चिकित्सा लाभ	1,43,82,086	1,22,29,674
सकल कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	**33,51,38,500**	**27,21,33,971**
घटा: प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के लिए आबंटित कर्मचारी लाभ व्यय	28,86,51,746	24,78,91,483
लाभ एवं हानि विवरण में लिए गए निवल कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	**4,64,86,754**	**2,42,42,488**

i. (i) आयोजना शाखा (ii) जोनल अधिकारियों और (iii) परियोजना मॉनीटरिंग इकाई के कर्मचारियों से संबंधित पारिश्रमिक और लाभ पर व्यय तथा कारपोरेट कार्यालय की वित्त विंग को आनुपातिक व्यय सीडब्लयूआईपी को आबंटित किया गया है।

ii. निदेशक बोर्ड द्वारा संस्वीकृत कुल 36 ई9 तथा 81 ई7 पदों के लिए कंपनी विधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

iii. सभी कर्मचारी (कंपनी के 27 सीधे भर्ती कर्मचारी को छोड़कर) केंद्र सरकार/बीएसएनएल/एमटीएनएल से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनका पारिश्रमिक विदेश सेवा प्रतिनियुक्ति नियमों द्वारा दिशा–निर्देशित होता है।

iv. कंपनी को अभी सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है। कंपनी ने उसे अनुसूची "क" कंपनी के रूप में वर्गीकृत करवाने के लिए मामला अपने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया है। तथापि, कंपनी बोर्ड स्तर पर तथा बोर्ड स्तर से नीचे अपने कर्मचारियों को अनुसूची "क" कंपनी की सुविधाएं प्रदान कर रही है।

20. वित्तीय लागत

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
बैंक प्रभार	43,03,272	28,64,606
बैंक द्वारा ब्याज	-	7,546
सांविधिक देनदारी पर ब्याज	3,894	41,167
अन्य वित्तीय प्रभार	-	7,442
कुल वित्तीय लागत	**43,07,166**	**29,20,761**

21. प्रशासनिक, संचालन और अन्य व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
पॉवर तथा ईंधन	49,00,150	45,62,967
किराया	7,93,18,334	6,68,24,023
मरम्मत और अनुरक्षण – अन्य	63,95,44,057	5,93,976
दर तथा कर	80,926	1,30,772

प्रशासनिक, संचालन और अन्य व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
विज्ञापन व्यय	21,80,920	11,38,132
लेखापरीक्षकों को भुगतान – लेखापरीक्षा शुल्क	4,62,500	4,25,000
अन्य मामले	16,000	22,615
व्यावसायिक तथा परामर्श प्रभार	4,42,80,571	4,49,94,193
सेवाओं पर व्यय तथा अन्य व्यय	6,41,74,180	5,08,77,877
सामान्य व्यय	39,82,198	48,07,760
यात्रा एवं परिवहन	1,02,64,045	1,27,26,421
मुद्रण तथा स्टेशनरी	23,24,221	32,12,763
एजीआर आधारित लाइसेंस फीस	1,24,35,547	1,07,23,747
संचार व्यय	38,26,317	35,99,950
पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएं	10,715	14,409
सुरक्षा सेवा	16,49,380	8,65,013
प्रशिक्षण व्यय	6,26,243	8,85,904
श्रमिकों को किराये पर लेना	3,60,20,343	3,19,80,850
वाहन किराए पर लेने संबंधी व्यय	2,93,42,608	3,17,07,684
सॉफ्टवेयर के लिए होस्टिंग प्रभार	-	72,760
छोड़ी गई चालू संपत्ति (सेवा प्रदाता को छोड़कर)	1,29,576	50,01,242
अन्य हानि	1,04,160	6,53,160
सकल प्रशासनिक, आपरेटिव और अन्य व्यय	**93,56,72,991**	**27,58,21,218**
घटा: प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में आबंटित प्रशासनिक, संचालन और अन्य व्यय	21,27,00,437	19,02,77,315
लाभ एवं हानि विवरण में ले जाये गए निवल प्रशासनिक, संचालन तथा अन्य व्यय	**72,29,72,554**	**8,55,43,903**

22. पूर्व अवधि मदें

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
आय (क)		
निविदा दस्तावेजों की बिक्री	-	-
कुल (क)	**-**	**-**
व्यय (ख)		
कर्मचारी लाभ (ख1)		
वेतन एवं भत्ते	47,400	4,40,162
कर्मचारी लाभ – अन्य	-	63,594
ख1 का योग	**47,400**	**5,03,756**

पूर्व अवधि मदें

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
प्रशासनिक, संचालन और अन्य व्यय (ख2)		
संचार व्यय	65,650	3,52,522
सेवाओं पर व्यय	-	46,850
सामान्य व्यय	38,700	87,126
ऊर्जा तथा ईंधन	1,63,369	8,14,987
व्यावसायिक और परामर्शी प्रभार	1,01,836	6,04,633
किराया और कर	488	6,212
किराया	34,38,706	58,75,120
मरम्मत और अनुरक्षण – भवन	37,239	3,55,764
मरम्मत और अनुरक्षण – अन्य	22,178	4,370
यात्रा और परिवहन	15,605	20,027
मुद्रण एवं स्टेशनरी	6,952	35,401
श्रमिकों को किराये पर लेना	2,07,05,410	1,74,29,843
वाहन किराये पर लेना संबंधी व्यय	96,547	1,66,430
पुस्तकें और पत्रिकाएं	1,524	7,736
टेंजिबल संपत्ति का अवमूल्यन	-	1,74,71,426
इंटेंजिबल संपत्ति का परिशोधन	-	5,67,584
ख2 का योग	**2,46,94,204**	**4,38,46,031**
पूर्व अवधि मदों का योग (क)–(ख1)–(ख2)	**(2,47,41,604)**	**(4,43,49,787)**
ग1 घटाः पूर्व अवधि कर्मचारी लाभ व्यय प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में आबंटित	40,825	4,58,880
ग2 घटाः पूर्व अवधि प्रशासनिक, संचालन तथा अन्य व्यय मदें प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में आबंटित	2,12,68,894	2,39,34,495
लाभ एवं हानि विवरण में ले जाये गये निवल पूर्व अवधि मदें (निवल) – (ख2+ग1+ग2)	**(34,31,885)**	**(1,99,56,412)**

लेखों का भाग बनने वाली अन्य टिप्पणियां

23. लेखन नीति में परिवर्तन का प्रभाव

अब तक कंपनी अवमूल्यन योग्य संपत्ति पर सरकारी अनुदान/इम्दाद डैफर्ड आय के रूप में मान्यता प्रदान कर रही थी जिसे संपत्तियों के उपयोगी चक्र की अवधि में लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में लिया जाता था। कंपनी ने लेखन नीति में संशोधन किया है और अनुदान को पुस्तक मूल्य में निर्धारण में संबंधित संपत्ति के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दर्शाया गया है। परिवर्तन के परिणामस्वरूप संचित अवमूल्यन में 6,08,23,53,300 रूपए की कमी हुई है और डैफर्ड पूंजीगत इम्दाद में इतनी ही राशि की कमी हुई है तथा चालू वर्ष के लिए अवमूल्यन 5,94,76,93,147 रूपए कम हो गया है। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्ति/डैफर्ड पूंजीगत इम्दाद 6,08,23,53,300 रूपए कम हो गई है।

कंपनी अब तक अचल संपत्तियों की लागत (सीडब्लयूआईपी) से प्राप्त इम्दाद पर बैंक से प्राप्त ब्याज काट रही थी और अब कंपनी ने ब्याज की आय को इम्दाद के भाग के रूप में लेते हुए लेखन नीति में संशोधन किया है।

वर्ष के दौरान लेखन नीति में प्रबंधन का प्रभाव यह है कि सीपीआईडब्लयू में 97,87,06,635 रूपए की कमी हुई है और इसी राशि की इम्दाद में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप 2,02,45,24,596 रूपए के ब्याज की कुल राशि को प्राप्त इम्दाद के रूप में लिया गया है तथा सीडब्लयूआईपी में इतनी ही राशि की कमी हुई है।

24. प्राप्त पूंजीगत इम्दाद

(राशि रूपए में)

वर्ष	ओपनिंग	प्राप्त अनुदान	बेशी निधियों पर ब्याज	कुल	उपयोग	शेष
2012-13	-	4,05,00,00,000	-	4,05,00,00,000		4,05,00,00,000
2013-14	4,05,00,00,000	5,14,00,00,000	-	9,19,00,00,000		9,19,00,00,000
2014-15	9,19,00,00,000	13,51,86,45,971	-	22,70,86,45,971		22,70,86,45,971
2015-16	22,70,86,45,971	24,15,10,27,980	-	46,85,96,73,951		46,85,96,73,951
2016-17	46,85,96,73,951	56,00,00,00,000	2,02,45,24,596	1,04,88,41,98,547	27,33,32,46,519	77,55,09,52,028

25. संबंधित पक्ष प्रकटन

क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पदनाम	नाम	कार्यग्रहण की अवधि प्रभावी
सीएमडी	श्री संजय कुमार सिंह*	18.03.2016 से
निदेशक (एफ)	सुश्री अरूणधती पांडा	26.07.2012 से 25.07.2016 तक
निदेशक (एफ)	श्री मनोज आनन्द	29.07.2016 से
निदेशक (ओ)	श्री बी.के. मित्तल	29.07.2015 से
निदेशक (पी)	श्री बी.के. मित्तल	01.01.2016 से
सरकारी निदेशक	श्री आई.एस. शास्त्री	25.02.2012 से 16.12.2016 तक
सरकारी निदेशक	श्री महमूद अहमद	16.12.2016 से
सरकारी निदेशक	श्री शाशि रंजन कुमार	06.11.2015 से

* प्रशासक–यूएसओएफ कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के भी पदधारी हैं। 31.03.2017 तक कंपनी ने भारतनेट परियोजना के निष्पादन के लिए कैपेक्स के प्रति यूएसओएफ से 202.45 करोड़ रूपए (2015–16 तक 4685.96 करोड़ रूपए) के बेशी पर अर्जित ब्याज सहित 10,488.41 करोड़ रूपए का इम्दाद प्राप्त किया।

26. प्रबंधन का पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
वेतन तथा भत्ते*	38,62,999	51,22,924
पूर्व अपेक्षित*	2,32,793	1,11,052
ईपीएफ अंशदान	-	-
सीटिंग फीस	-	-
कुल प्रबंधन पारिश्रमिक	**40,95,792**	**52,33,976**

*प्रबंधकीय पारिश्रमिक कंपनी के निदेशक (योजना) और निदेशक (वित्त), बीबीएनएल से संबंधित है।

27. निदेशकों को अग्रिम

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
वर्ष के अंत में देय राशि	-	2
वर्ष के दौरान देय अधिकतम राशि	-	9,64,715
निदेशकों को कुल अग्रिम	**-**	**9,64,715**

28. आकस्मिक देनदारी और वचनबद्धता

28.1 आकस्मिक देनदारी

i. दावे जिन्हें डेब्ट के रूप में नहीं लिया गया है, निम्नानुसार हैं:

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	मामलों की संख्या	राशि रुपए में	मामलों की संख्या	राशि रुपए में
किदवई नगर में प्रस्तावित परिसर में लीज स्थान निर्माण के लिए एनबीसीसी/एमओयूडी को प्रदत्त निर्माण संबद्ध तीन किश्तों पर सेवाकर*	1	4,96,00,000	1	4,96,00,000
ऑप्टिकल केबल फाइबर पर उत्पाद कर **	12	5,54,00,000	12	5,54,00,000
विवाचक मामले***	2	575,63,52,092	.	.

* जैसा कि दिनांक 20.12.2013 के एनबीसीसी पत्र संख्या एनबीसीसी/जीएम–आरईएम/किदवई नगर/2013/908 द्वारा सूचित किया गया है। लंबी लीज संपदा के संबंध में सेवा कर प्रभारित करने का मुद्दा ऐसे समान मामले में दिल्ली के माननीय ट्रिब्यूनल के पास लंबित है। एनबीसीसी के वकीलों और विधायी परामर्शदाताओं का विचार है कि ऐसी लीज बिक्री पर सेवा कर लागू नहीं है चूंकि परियोजना का स्वामी शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार है। तथापि, एनबीसीसी ने सूचित किया है कि यदि किसी भी चरण में ऐसी लीज ब्रिकी पर सेवा कर लागू होता है तो बीबीएनएल इसे वहन करेगी।

** दोहरे एचडीपीई के साथ 24 फाइबर मेटल मुक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल के वर्गीकरण के संबंध में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने यह स्पष्ट किया है कि केंद्रीय उत्पाद कर का मूल्यांकन केंद्रीय उत्पाद कर अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में निर्माता स्थित है द्वारा वस्तुओं के विस्तृत विनिर्देशन के आधार पर मामला–दर–मामला पर केंद्रीय उत्पाद कर का मूल्यांकन किया जाएगा। वैयक्तिक मामलों का निर्णय लिया जाना बाकी है। इस प्रकार उत्पाद कर में अंतर को डेब्ट के रूप में नहीं लिया गया है।

*** युनाईटेड टेलिकॉम लिमिटेड (यूटीएल)–जीपीओएन उपकरण के एक आपूर्तिकर्ता ने कंपनी के एक क्रय आदेश (पीओ.1) में मात्रा के भाग की और दूसरे क्रय आदेश (पीओ.2) में समूची मात्रा की आपूर्ति करने में विफल रहा है। कंपनी ने पीओ.1 के लिए 21.28 करोड़ रूपए की निष्पादन बैंक गारंटी (पीजीवी) को नगदीकृत कर लिया है परंतु उच्च न्यायालय दिल्ली के निदेशों के अनुसार इसे अलग से रखा है। न्यायालय ने पीओ.2 के पीजीवी के नगदीकरण पर भी रोक लगा दी है। यह मामला विवाचन प्रक्रिया के तहत है। यूटीएल ने पीओ.1 और पीओ.2 के संबंध में क्रमशः 368.43 करोड़ रूपए और 207.19 करोड़ रूपए का दावा दायर किया है। कंपनी ने विवाचन प्रक्रिया में इन दावों से इंकार किया है और पीओ.1 और पीओ.2 के संबंध में क्रमशः 301.55 करोड़ रूपए तथा 205.43 करोड़ रूपए का दावा दायर किया है। विवाचान प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

(ii) कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटियां

(राशि रूपए में)

मद	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	नगद मार्जिन के साथ	नगद मार्जिन के बगैर	नगद मार्जिन के साथ	नगद मार्जिन के बगैर
मामलों की संख्या	147	-	5	-
राशि	33,10,18,378	-	2,87,36,858	-

28.2 वचनबद्धता

पूंजीगत वचनबद्धता:

(राशि रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	परियोजना का पीओ मूल्य/लागत	प्राप्त आपूर्ति/किए गए कार्य का मूल्य	बकाया वचनबद्धता
1.	आप्टिकल फाइबर केबल आपूर्ति	10,39,05,86,155	9,53,06,98,149	85,98,88,006
2.	जीपोन उपकरण	8,09,92,00,121	62,79,13,939	7,47,12,86,182
3.	जीआईएएस	38,48,00,000	19,32,00,000	19,16,00,000
4.	भवन स्थान के लिए	1,30,47,96,156	96,22,81,128	34,25,15,028

29. लीज

कंपनी ने लीज पर विभिन्न परिसर और वाहन लिए हैं

(राशि रूपए में)

विवरण	एक वर्ष से कम के लिए	एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम के लिए	5 वर्ष से अधिक के लिए
स्थान हेतु	10,61,57,915	19,90,51,906	8,57,04,749
वाहन हेतु	49,71,989	52,47,178	-

30. विदेशी मुद्रा पर व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा	1,45,516	4,26,924
अन्य	4,49,394	5,78,089
कुल	**5,94,910**	**10,05,013**

31. प्रति शेयर अर्जन

विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए
कर पश्चात लाभ	राशि (भारतीय रुपए में)	22,84,80,486	(8,43,11,888)
घटा: कर सहित वरीयता लाभांश*	राशि (भारतीय रुपए में)	-	-
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध बकाया	राशि (भारतीय रुपए में)	22,84,80,486	(8,43,11,888)
बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या **	(संख्या में)	6,00,00,003	6,00,00,003
शेयरों का फेस मूल्य	राशि (भारतीय रुपए में)	10	10
प्रति शेयर मूल तथा डायलूटिड अर्जन ***	राशि (भारतीय रुपए में)	3.81	(1.41)

32. निदेशक मंडल के विचार से चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम का कंपनी के कार्य में सामान्य रूप से वसूली पर मूल्य है जो वह न्यूनतम राशि है जिसका उन्होंने तुलनपत्र में उल्लेख किया है।

33. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इसने वर्ष के दौरान एमएसएमई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एसएसआई इकाईयों और फर्मों से किसी मद का प्रापण नहीं किया है।

34. निर्दिष्ट बैंक टिप्पणी

विवरण	एसबीएन	अन्य	कुल
08.11.2016 के अनुसार अंतिम हाथ रोकड़	-	-	-
(+) बैंकों से अनुमत्य प्राप्ति	-	-	-
(+) अन्य से अनुमत्य प्राप्ति	-	-	-
(-) अनुमत्य भुगतान	-	-	-
(-) बैंकों में जमा राशि	-	-	-
30.12.2016 के अनुसार अंतिम हाथ रोकड़	-	-	-

35. विभिन्न शीर्ष प्राप्ति योग्य ट्रेड, देय ट्रेड, जमा, ऋण और देय अग्रिम के अंतर्गत तीसरे पक्ष को अथवा उसके द्वारा बकाया पुष्टि और पुर्नमिलान के अधीन हैं।

36. जहां भी आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समुहित अथवा पुनः प्रबंधित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम001661एन

राजा राम गुप्ता
पार्टनर
एम सं. 081279

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15 नवम्बर 2017

कृते एवं की ओर से **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड**

संजय सिह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07484614

मनोज आनन्द
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 07583289

विनोद कुमार
मुख्य महा प्रबंधक (लेखा)

अविनाश चंद्र उपाध्याय
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख
एम सं. एफ 4324

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

नगद प्रवाह विवरण (राशि रूपए में)

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए नगद प्रवाह	वर्ष 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
ऑपरेटिंग गतिविधियों से नगद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	28,10,86,442	(5,65,97,155)
निवल नगद प्रवाह में कर पूर्व लाभ के मिलान का समायोजन		
अवमूल्यन तथा परिशोधन व्यय	50,01,242	7,50,51,112
अचल संपत्ति की बिक्री पर घाटा/लाभ	-	6,19,629
गैर–वसूल विदेशी मुद्रा (लाभ)/घाटा (निवल)	-	-
शंकालू व्यापार व्यय हेतु प्रावधान	-	-
ब्याज आय	(5,01,49,888)	(5,51,74,240)
अन्य गैर–ऑपरेटिंग आय	(1,00,99,11,655)	(1,19,805)
डेफर्ड पूंजीगत इमदाद	-	(7,36,51,112)
ब्याज व्यय	3,894	
बेशी प्रावधान जिनकी आवश्यकता नहीं है तो छोड़े गए हैं	-	
शंकाग्रस्त छोड़े गए प्राप्ति योग्य हेतु प्रावधान	-	
कार्यकारी पूंजीगत प्रभारों से पूर्व लाभ	**(77,39,69,965)**	**(10,98,71,571)**
कार्यकारी पूंजी में संचलन		
प्राप्ति योग्य व्यापार में (वृद्धि)/कमी	92,88,474	(47,19,816)
ऋण तथा अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(1,29,77,46,249)	(4,66,23,831)
अन्य चालू संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(9,18,97,86,466)	(65,79,07,843)
संपत्ति–सूची में (वृद्धि)/कमी	-	(1,84,80,57,903)
अन्य चालू देनदारियों में (वृद्धि)/कमी	6,78,49,976	(1,78,79,03,221)
अन्य देनदारियों तथा प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	31,24,54,42,613	32,18,45,579
ऑपरेशन से/में (प्रयुक्त) अर्जित रोकड़	**20,83,50,48,348**	**(4,13,32,38,606)**
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी से निवल)	(7,91,15,040)	0
ऑपरेटिंग गतिविधियों में निवल नगद प्रवाह/(प्रयुक्त)	**19,98,19,63,343**	**(4,13,32,38,606)**
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह		
पूंजीगत प्रगतिरत कार्य सहित अचल संपत्तियों की खरीद	3,23,86,37,246	(10,90,89,21,066)
पूंजीगत अग्रिम (पूंजी क्रेडिटर्स से निवल)		
दीर्घावधि अग्रिम	**(10,10,23,31,909)**	**(10,39,27,02,809)**

(राशि रुपये में)

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए नगद प्रवाह	वर्ष 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
बैंक जमा मैच्युरिटी (तीन माह से अधिक की मूल मैच्युरिटी)		
सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश		
अन्य ऑपरेशन से आय	1,00,99,11,655	1,19,805
अचल संपत्तियों की बिक्री से अर्जन	0	1,67,550
प्राप्त ब्याज आय	5,01,49,888	34,63,12,715
निवेश गतिविधियों में निवल नगद प्रवाह (प्रयुक्त)(ख)	**(5,80,36,33,120)**	**(20,95,50,23,805)**
वित्तीय गतिविधियां से नगद प्रवाह		
ईएसओफी के तहत जारी शेयर पूंजी से अर्जन	0	0
ईएसओपी योजना के तहत प्राप्त सुरक्षा प्रीमियम से अर्जन	0	0
यूएसओएफ से प्राप्त इमदाद		24,15,10,27,980
दीर्घावधि ऋण का पुनः भुगतान		
लघु अवधि ऋण का पुनः भुगतान	(29,41,67,708)	
लघु अवधि ऋण से अर्जन		
प्रदत्त ब्याज	(3,894)	(48,609)
इक्विटी शेयर पर प्रदत्त लाभांश (कारपोरेट लाभांश सहित)		
वित्तीय गतिविधियों में निवल नगद प्रवाह/(प्रयुक्त) (ग)	**(29,41,71,602)**	**24,15,09,79,371**
नगद तथा समकक्ष में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	**13,88,41,58,621**	**(93,72,83,040)**
वर्ष के आरंभ में नगद तथा नगद समकक्ष	5,72,77,64,476	6,66,50,47,516
विदेशी मुद्रा में नगद तथा नगद समकक्ष पर विनिमय दर के अंतर का प्रभाव		
वर्ष के अंत में नगद तथा समकक्ष	**19,61,19,23,097**	**5,72,77,64,476**

संलग्न सम तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम001661एन

राजा राम गुप्ता
पार्टनर
एम सं. 081279

दिनांकः 15 नवम्बर 2017
स्थानः नई दिल्ली

कृते तथा की ओर से **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड**

संजय सिह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07484614

विनोद कुमार
मुख्य महा प्रबंधक (लेखा)

मनोज आनन्द
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 07583289

अविनाश चंद्र उपाध्याय
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख
एम.सं. एफ : 4324

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1.	**अन्य मामले (अनुबंध–2 का पैरा 4 और पैरा 3)** कंपनी द्वारा भारतनेट की संपत्तियों के सृजन के उद्देश्य से प्रापण की गई संपत्ति सूची सीपीएसयू को दे दी गई है। कार्यकारी एजेंसी सीपीएसयू से उपभोग/उपयोग/कस्टडी रिपोर्ट/प्रामणपत्रों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई खरीद का विवरण प्रदान नहीं किया गया है।	बीबीएनएल ने अग्रिम (संपत्ति सूची सहित) के निपटान का मामला सीपीएसयू के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है। बीबीएनएल परियोजना का चरण–। अंतिम चरण में है और यह आशा है कि संपत्ति सूची सहित अग्रिम के निपटान हेतु आवश्यक दस्तावेज समय पर समाप्त हो जाएंगे। बीबीएनएल ने सीपीएसयू द्वारा जारी क्रय आदेश के लिए अग्रिम प्रदान किया है। इन्हें बीबीएनएल की लेखा पुस्तकों में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है। सीपीएसयू के साथ अंतिम निपटान के समय इन्हें समायोजित किया जाएगा।
2.	**अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट (पैरा च, पृष्ठ 5)** कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सक्षमता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों की आपरेटिंग प्रभाविता के संबंध में हमें दी गई सूचना और व्याख्या के अनुसार कंपनी ने भारत के सनदी लेखाकार संस्थांन द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तींय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा–निर्देशी टिप्पणी के संबंध में कथित आंतरित नियत्रण के आवश्यीकत घटकों पर विचार करते हुए अथवा उन पर आधारित मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग में अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना अभी तक नहीं की है। इस कारण से हम हमारे इस मत का आधार प्रदान करने के लिए समुचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में अक्षम रहें कि क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और 31 मार्च, 2017 के अनुसार ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। तथापि, कंपनी में लेखन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की सरकारी प्रणाली की पद्धति पर जांच और बकाये की प्रणाली मौजूद है।	बीबीएनएल में लेखन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की सरकारी प्रणाली की पद्धति के आधार पर आंतरिक जांच की प्रणाली मौजूद है। बीबीएनएल शीघ्र ही लेखापरीक्षक द्वारा इंगित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अनुपालन कर सकती है। अधिकांश भुगतान और लेखन कारपोरेट कार्यालय में किए जाते हैं। कार्यालय की वर्तमान संख्या को देखते हुए मौजूदा प्रणाली को सक्षम माना गया है। बीबीएनएल ने संगठन पुर्नसंरचना और प्रोसेस पुनः इंजीनियरिंग के लिए आईआईएम अहमादाबाद को नियुक्त किया है। बीबीएनएल रिपोर्ट के अनुसार प्रणाली और नियंत्रण को अद्यतन बना सकती है।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
3	**स्वतंत्र लेखापीरक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध–1 का पैरा ख** वर्ष के दौरान संपत्तियों की वास्तविक जांच नहीं की गई है तथापि यह सूचित किया जाता है कि डीओटी के अधिकारियों (संचार लेखा नियंत्रकों) को भारतनेट के लिए निर्दिष्ट मानीटरिंग प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। वे भारतनेट की संपत्तियों के 10 प्रतिशत का नियमित वास्तविक जांच कर रहे है तथापि कंपनी के प्रबंधन द्वारा लेखों में संपत्तियों की जांच के प्रभाव को नहीं लिया गया है। कारपोरेट कार्यालय के लिए संपत्तियों की वास्तविक जांच की आवधिक प्रणाली का अनुपालन किया जा रहा है परंतु हमें कोई नीति दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है।	1) उपकरण जैसे कि ओएलटी और ओएनटी बीएसएनएल एक्सचेंज तथा ग्राम पंचायत भवन में स्थापित किए गए हैं। 2) जांच सहित भारतनेट की वास्तविक मॉनटिरिंग विभिन्न राज्यों में स्थित सीसीए के कार्यालय में की जा रही है जिन्हें भारतनेट के लिए निर्दिष्ट मानीटरिंग प्राधिकरण (डीएमए) के रूप में नामित किया गया है। 3) बीबीएनएल के पीएमयू भी स्थलों का दौरा करते हैं जहां उपकरण स्थापित किए गए हों। 4) नेटवर्क की कार्य स्थिति की भी नेटवर्क आपरेशन केंद्र के माध्यम से मानीटरिंग की जाती है। चूक के लिए सिस्टम अलर्ट की रिमोट मैनेजमेंट कंट्रोल से मॉनीटरिंग की जा रही है। इसे एक वीडियो बॉल के माध्याम से और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

सत्यमेव जयते

कार्यालय

महानिदेशक लेखापरीक्षा (डाक व दूरसंचार)

शाम नाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय), दिल्ली–110 054

Office of the

Director General of Audit (Post & Telecommunications)

Sham Nath Marg, (Near Old Secretariat), Delhi 110 054

सं. आरईपी–पीएसयू लेखा / एफ–146 / वार्षिक लेखे / बीबीएनएल / 2016–17 / 41

दिनांक 18 / 12 / 2017

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
दिल्ली

विषयः 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शून्य टिप्पणियां

महोदय,

मुझे रू 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शून्य टिप्पणियां सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

कृपया पावती भेजें

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(पी.के. तिवारी)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (पीएंडटी)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग अवसंरचना के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों के संबंध में विचार व्यक्त करना है। ऐसा उनके द्वारा 15 नवम्बर, 2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किये जाने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों तक पहुंच के बगैर स्वपतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखन रिकॉर्डों की चयनित जांच तक सीमित हैं। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी संज्ञान में ऐसा महत्वपूर्ण कुछ तथ्य नहीं आया है जो सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट पर अथवा अनुपूरक प्रसन्न उठा सकता हो।

कृते तथा की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(पी.के. तिवारी)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
डाक एवं दूरसंचार

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 18.12.2017

Chairperson's Speech

Dear Shareholders,

I am pleased to welcome you today, on behalf of the Board of Directors of your company, Bharat Broadband Network Limited, at its 5th Annual General Meeting. My sincere thanks to all of you for being with us on this occasion.

The Annual Report for the financial year ended 31st March, 2017 along with Board's Report, Audited Financial Statements and Auditor's report are already with you.

1 Progress:-

1.1 BharatNet Phase-I (Up to date progress)

BBNL is executing the BharatNet project which is the flagship program for connecting all 2,50,000 GPs in the country to the block headquarters for provision of both bandwidth and dark fibers on a non-discriminatory basis. The network is capable of providing 1 Gbps bandwidth in case of wired media (OFC) and minimum 100 Mbps bandwidth scalable upto 1 Gbps in case of wireless media (Radio) at each GPs. BharatNet is expected to augment the spread of digital connectivity which has the potential to create direct and indirect employment opportunities in rural and remote areas. The provision of broadband & internet penetration and e-services has a positive impact on GDP growth besides quicker, transparent and cost-effective governance.

The project was approved in 2011, yet the work on implementation of project commenced in the second half of 2014 after the survey was done and pilots were taken up by three implementing CPSUs. Since procedure of procurement of equipment for such a large project was causing delay, a process of decentralised procurement also through CPSUs and decentralised decision making were put in place in May, 2016. The project's pace of implementation got boost with the setting up of –

i) Empowered Committee under Secretary, DoT

ii) Steering Committee under Administrator, USOF to meet every fortnight.

iii) State Committee under Chief General Manager (CGM), BSNL for resolution of State level issues.

These Committees have proved to be instrumental in resolution of inter-agency issues and other issues hindering the pace of implementation, as well as monitoring of the Project.

The progress of phase-I has picked up in last 2 years by formation of dedicated teams and speeding up the procurement process through decentralisation and resolution of issues. Currently, out of 1,25,000 GPs taken up in Phase-I (including additional work front of 25,000 GPs), the duct/pipe has already been laid in 1,13,469 GPs, OFC laid in 1,08,237 GPs (250197 kms), equipment installed in 1,00,364 GPs, service ready in 96,039 GPs and service opened in 59,124 GPs.

During implementation, it was found that under the Phase-I model the inadequate quality of existing fibre (i.e. lossy fibre) between Block and Fibre Point of Interconnect (FPOI) was affecting End-to-End connectivity. It is noted that despite laying of OFC and availability of GPON equipment, many GPs could not be made Service Ready due to inadequate quality of existing fibre being used in the project. The replacement of such fibre was not part of the initial cabinet approval, but with advance planning and approval of Telecom Commission in April 2016 and later the approval of cabinet on 19.07.2017 replacement of 50,000 km of such inadequate quality of fibre is being carried out. This has increased speed of service readiness and End-to-End connectivity from Block to GPs. As a result, thereof, 1,03,768 GPs have now been provided End-to-End connectivity and 96,039 GPs are Service Ready.

Further, the implementation of the project was only through three CPSUs namely, BSNL, RailTel and PGCIL and the connectivity to GPs was only by laying underground OFC, which also became limiting factors. During the implementation, it was seen that not all the GPs could be connected by underground OFC and Service provisioning was not part of project.

1.2 BharatNet Project Phase-II (Cabinet Approval & progress thereof)

BBNL had been working relentlessly to overcome the deficiencies in the approach in Phase-I, Cabinet approval for a Modified Implementation Strategy was taken in July 2017. For the purpose of implementation, the BharatNet project covering all 2,50,000 Gram Panchayats was divided in to Phase-I (1 lac GPs) and Phase-II (1.5 lac GPs).

The highlight of the Modified Implementation Strategy for BharatNet Phase-II are:-

(a) Laying of OF Cable directly from Block to Gram Panchayats

(b) Using Aerial OF cable, radio links and satellite connectivity apart from underground OFC as in Phase-I.

(c) Project completion for entire 2,50,000 GPs by March 2019.

(d) The provision of last mile connectivity through Wi-Fi or another suitable technology for quicker delivery of services, and the O&M of the entire 2,50,000 GPs has been now made.

(e) Implementation through States, Private Sector besides CPSUs as in Phase-I.

(f) Horizontal connectivity by States from its own funds.

In the modified strategy, the most important aspect is the Involvement of states along with CPSUs and private sector in implementation of the project. The States being the most important stakeholder in provision of services have been involved in implementation of Phase-II. The implementation is expected to be much faster and smoother with the participation of States. In this direction, advance action was taken such as consulting with various State Governments, providing them funds to carry out survey of electricity poles, where aerial cable may be deployed and many other such activities. Since aerial OFC on existing electricity poles is being considered for laying OFC in Phase-II, advance funding has been provided for survey and GIS mapping of electricity poles for laying aerial OFC to some of the States.

Based on Detailed project report (DPR) from States the proposals of Maharashtra, Gujarat, Chhattisgarh, Jharkhand, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha & Tamil Nadu were approved by Telecom Commission in September, 2017 & December, 2017. BBNL worked with States for quick resolution of technical, commercial and financial issues, which are very common in projects of this nature and magnitude. Due to timely action of all stakeholders i.e. USOF, DOT, States and BBNL the approval of Telecom Commission was received in relatively short time. Against a timeline of 5 months provided by the Cabinet for approval of State DPR, approval for State DPR was provided by Telecom Commission after 4 level scrutiny in one & half month for most of the States.

The signing of quadripartite Memorandum of Understanding (MOU) for implementing the State-model was initiated on 13th November, 2017 where in the presence of Hon'ble Minister of State for Communications (Independent Charge) & Railways and other Central and State Ministers, the MOU was signed with States of Andhra Pradesh and Telangana. Subsequently, on 09.12.2017, the MOU was also signed with States of Jharkhand & Maharashtra. The MOU with other States are likely to be entered unto by December 2017 end.

Based on approval of Telecom Commission under the private sector led model, the Request for Proposals (RFP) for the states of Bihar & Punjab under Private Sector Model has been issued on 15.12.2017.

For the CPSU led model, BSNL has been approved by Telecom Commission on nomination basis in the States of Assam, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Jammu & Kashmir and Sikkim. Similarly, in hilly States of Himachal Pradesh & Uttarakhand where aerial OFC is to be laid on top of electricity Poles by PGCIL is approved. For CPSU led model, discussions are in advanced stage with BSNL and PGCIL, two workshops on December 1, 2017 and December 9, 2017 have been held with CPSUs.

Under Phase-II, special emphasis is on provision of services. The Cabinet has approved last mile connectivity model for 2.5 lakh GPs. The planning work for last mile connectivity has been completed and the RFP for this purpose is likely to be floated soon. States are undertaking concrete step to use this network by connecting Government institutions at GP level to the network, taking FTTH connection, setting up Wi-Fi hotspots in GPs, and connecting the SWAN network to BharatNet. TSPs and other service providers have also exhibited interest to use BharatNet for provision of services. TSPs have also made advance payment towards utilizing bandwidth. A special tariff has also been formulated and deployed by BBNL.

The Union Cabinet has approved the project at a total estimated cost of ₹42,068 Crore (exclusive of GST, octroi and local taxes) which includes ₹11,148 Crore for Phase-I and ₹30,920 crore for Phase-II and other activities, to be funded from USOF.

1.3 Maintenance of the network

Due to expansion of infrastructure in rural areas, the maintenance of incremental fiber is a challenge. It is important that a dedicated agency is allocated this important area of work. For GPs in Phase-I, BSNL has been given the responsibility of O&M where BSNL has laid the incremental fiber. An agreement to this effect has been signed with on 4th October, 2017. BBNL is also exploring other modalities for O & M of network.

In Phase-II, management, operation & maintenance of the network is proposed to be done by the project implementing agency (PIA). The agency implementing the

project would be preferred to take up the responsibility of management, operation and maintenance for the lifetime of the project.

1.4 Utilisation of the network

The service provision and utilisation aspect of the BharatNet is at the core of modified implementation strategy. For last mile connectivity model based on Wi-Fi or any other broad based technology has been approved by Cabinet for each GP. The RFP for this purpose is being prepared and would be issued speedily.

The major users of this network are the Telecom Service Providers, ISPs, MSOs, LCOs etc. which may use the BharatNet for provision of broadband and extending the mobile network in the rural & remote areas. BBNL held a national conference on utilisation of BharaNet on 13.11.2017 at Vigyan Bhawan. Four national level TSPs have together provided a total of ₹17.86 Crores towards bandwidth and dark fiber provision from BharatNet.

The other important users of this network are the State Governments which may use the network for various citizen centric services such as e-health, e-education, e-medicine, etc. BharatNet will help the States provide digital access to all its citizens in the rural areas and bridge the digital divide. Many states (including those implementing Phase-II under State led model) showcased their strategies of utilisation of BharatNet in the National Conference.

1.5 Arrangement with USOF for funding of BharatNet

BBNL as a special purpose vehicle (SPV) for BharatNet has entered into an agreement with Universal Service Obligation Fund (USOF), Department of Telecommunications (DOT). Under this agreement, USOF has agreed to provide funding for the entire capex and net opex (i.e. opex net of revenue) for the first 5 years of BBNL. This arrangement has been extended further upto 2020.

2. FINANCIAL PERFORMANCE

During the period under review, the Company has recorded a total revenue of ₹1,06,32,86,043 (which includes ₹1,06,00,61,543 i.e. Other Income primarily on account of claim for operational expenses on USOF) and profit after tax to the tune of ₹22,84,80,486. In the previous F.Y. 2015-16 the Company had incurred loss of ₹8,43,11,888 before prior period items and tax.

3. THE ROLE OF HUMAN RESOURCES

For achieving the challenging targets set by Government for the Company, talent and human resource have to play an active role. To meet its staffing requirements, BBNL has been leveraging on the senior management from DOT, USOF, BSNL and MTNL on deputation basis. BBNL has also made efforts for recruiting young graduate engineers and finance professionals on regular basis. Apart from hiring retired officers of Government / PSUs BBNL to fill up short term vacancies, BBNL has recently engaged 4 Senior Consultants (retired HAG and above Officers of DOT) for implementation of State led model.

4. CORPORATE GOVERNANCE

Your Company complied with conditions of Corporate Governance up to maximum level, as stipulated in Guidelines on Corporate Governance for Centre Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by Department of Public Enterprises, Govt. of India.

5. VISION

BharatNet shall be a project of national importance to establish by 2018, a highly scalable network infrastructure accessible on a non-discriminatory basis, to provide connectivity of 2 Mbps to 20 Mbps for all households and on demand capacity to all institutions, to realize the vision of Digital India, in partnership with States and the Private sector.

6. ACKNOWLEDGEMENT

On behalf of your Company's Board of Directors, I wish to convey my deep gratitude to you, as our valued shareholders for your continued support and trust. This motivates us to excel in all our pursuits and constantly create value for you as well as for the nation. I appreciate the unstinted support and valuable guidance received from Ministry of Communication and Department of Telecommunications, Government of India. I also express my sincere thanks to USOF, participating CPSUs, CDOT, NIC, C&AG, Auditors and the Bankers for their whole hearted co-operation and support.

Thank you very much.

Sanjay Singh
Chairman-Cum-Managing Director
Bharat Broadband Network Limited
DIN-07484614

Date:- 27.12.2017
Place:- New Delhi

CIN : U64100DL2012GOI232070

Notice to the Members

Notice is hereby given for the Fifth (5th) Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, 27th December, 2017 at 16.00 hrs. at Committee Room, 2nd Floor, Sanchar Bhavan, 20 Ashoka Road, New Delhi-110001 to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

ITEM NO. 1

To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements comprising of Balance Sheet of the Company as at March 31, 2017 and the Statement of Profit & Loss for the period ended on March 31, 2017 and Auditors Reports thereon and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, in terms of Section 143(6) of the Companies Act, 2013 together with the Reports of the Directors and its annexures.

ITEM NO. 2

To ratify the remuneration of Statutory Auditors for the financial year 2016-17 and to authorise Board of Directors of the Company to fix remuneration of the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2017-18 in terms of the provisions of Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013.

SPECIAL BUSINESS:

ITEM NO. 3

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), if any, the following resolution as an **ORDINARY RESOLUTION:**

"**RESOLVED THAT** Shri N.K.Joshi (DIN - 03250336) who was appointed as an Additional Director & Director (Operation) - Whole Time Director under Section 161 of the Companies Act, 2013, with effect from 15th November, 2017 and holds office upto the conclusion of ensuing Annual General meeting, be and is hereby appointed as a Director & Director (Operation) - Whole Time Director of the Company.

ITEM NO. 4

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), if any, the following resolution as an **ORDINARY RESOLUTION:**

"**RESOLVED THAT** Shri A.K.Saxena (DIN- 08007046) who was appointed as an Additional Director & Director (Planning) - Whole Time Director under Section 161 of the Companies Act, 2013, with effect from 15th November, 2017 and holds office upto the conclusion of ensuing Annual General meeting, be and is hereby appointed as a Director & Director (Planning) - Whole Time Director of the Company.

By order of the Board
For Bharat Broadband Network Limited

A.C.Upadhyay
CS & Head Legal
FCS-4324

Date: 20.12.2017
Place: New Delhi

To,

1. All the Members of BBNL
2. Statutory Auditor
3. Secretarial Auditor
4. All Directors of BBNL

Enclosures:-

1. **Board's Report including Management Discussion and Analysis and Corporate Governance Report**
2. **Financial Statements & Annexure to Directors' Report-Addendum to Directors' Report for the Financial Year 2016-17, Comments of Auditors and Management Replies thereto**
3. **Annexure to Board's Report – Comments of C&AG**

NOTES:

1. **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. THE PROXY FORM DULY COMPLETED MUST BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LESS THAN FORTY-EIGHT HOURS (48 HRS.) BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING. BLANK PROXY FORM IS ATTACHED. MEETING WILL BE HELD IN PHYSICALLY.**
2. Corporate members intending to send their authorized representative are requested to send a duly certified true copy of the Board Resolution authorizing their representative to attend and vote at the meeting.
3. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(2) of the Companies Act, 2013, in respect of Special Business, as set out above is annexed hereto.
4. Documents referred to in the accompanying Notice and the Explanatory Statement are open for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours (9:30 am to 6:00 pm) on all working days except Saturdays and Sundays (including Public Holidays) up to the date of the Annual General Meeting.
5. Brief profile of the Directors seeking appointment/ reappointment is annexed hereto and forms part of the Notice.
6. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22.12.2017, to 27.12.2017 (both days inclusive).
7. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 & the Register of Contracts or arrangements, maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available for inspection by the members at the AGM venue.
8. Pursuant to Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are appointed or re-appointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India and their remuneration is to be fixed by the Company in the Annual General Meeting. The members may authorise the Board to fix an appropriate remuneration of Auditors for the financial year 2017-18 after taking into consideration the increase in volume of work etc.
9. None of the Directors of the Company is in any way related with each other.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

ITEM NO. 3:

APPOINTMENT OF SHRI N.K. JOSHI, ADDITIONAL DIRECTOR & DIRECTOR (OPERATION) - WHOLE TIME DIRECTOR

Shri N.K.Joshi was appointed as an Additional Director & Director (Operation) – Whole Time Director on the Board of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) w.e.f 15th November, 2017. In terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, he holds office upto the conclusion of ensuing Annual General meeting of the Company.

Shri N.K.Joshi joined Indian Telecom Service in 1985 after completing Engineering degree in Electronics and Communication from Indian Institute of Science, Bangalore. He has worked at many places inside India, especially in Punjab and Himachal Pradesh. He was deputed to head TCIL's project at Kuwait. Prior to joining as Director (Operation), BBNL, he held position of DDG (SU) in DoT Headquarters and ED, MTNL, Delhi. He was nominated as Government Director in Mahanagar Telephone Nigam Limited, Indian Telephone Industry and Millennium Telecom Limited.

He has over 32 years of experience in a variety of leadership roles in the Central Government and different CPSUs.

He holds NIL equity shares in the Company.

Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, except Shri N.K.Joshi, None of the Promoters, Directors, Key Managerial Personnel of the Company and their relatives thereof is anyway concerned or interested in the proposed resolution.

The Board of Directors considers that in view of the background and experience of Shri N.K.Joshi, it would be in the interest of the Company to appoint him as a Director (Operation) – Whole Time Director of the Company. The Board recommends the resolution for your approval.

ITEM NO. 4:

APPOINTMENT OF SHRI A.K.SAXENA, ADDITIONAL DIRECTOR & DIRECTOR (PLANNING) - WHOLE TIME DIRECTOR

Shri A.K.Saxena was appointed as an Additional Director & Director (Planning) – Whole Time Director on the Board of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) on 15th November, 2017. In terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, he holds office upto the conclusion of ensuing Annual General meeting of the Company.

Shri A. K. Saxena, is an ITS Officer of 1981 Batch who joined Department of Telecommunications in the year 1983. He started his career with his first posting in North East Task Force since then he has served in UP (West), Telecom Engineering Centre, New Delhi, MTNL Mumbai and BBNL. Shri A. K. Saxena has worked in MTNL Mumbai as General Manager in various positions like Marketing, HR & Admin, and Mobile Services etc, and in Bharat Broadband Network Limited as State head Maharashtra. He was promoted to HAG grade as Senior DDG in Department of Telecom in the month of August, 2017.

In addition, Shri Saxena continues to hold the charge of CGM, BBNL.

He holds NIL equity shares in the Company.

Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, except Shri A.K.Saxena, None of the Promoters, Directors, Key Managerial Personnel of the Company and their relatives thereof is anyway concerned or interested in the proposed resolution.

The Board of Directors considers that in view of the background and experience of Shri A.K.Saxena, it would be in the interest of the Company to appoint him as a Director (Planning)-Whole Time Director of the Company. The Board recommends the resolution for your approval.

BRIEF RESUME OF THE DIRECTORS BEING CONFIRMED AT THIS ANNUAL GENERAL MEETING

Director seeking re-election at the 5th AGM:

1.

Name	Shri Nirmal Kumar Joshi
DIN	03250336
Date of Birth	06/10/1959
Date of Appointment	15/11/2017
Service & Qualification	ITS & B.Tech
Expertise in specific functional area	Shri N. K. Joshi joined Indian Telecom Service in 1985 after completing Engineering degree in Electronics and Communication from Indian Institute of Science, Bangalore. He has worked at many places inside India, especially

	in Punjab and Himachal Pradesh. He was deputed to head TCIL's project at Kuwait. Prior to joining as Director (Operation), BBNL, he held position of DDG (SU) in DoT Headquarters and ED, MTNL, Delhi. He was nominated as Government Director in Mahanagar Telephone Nigam Limited, Indian Telephone Industry and Millennium Telecom Limited.
Directorship held in other Companies (Part-time) as on 31.03.2017	NIL
Membership / Chairmanship of Committees in other Companies as on 31.03.2017	NIL
No. of Shares held	NIL

2.

Name	Shri A.K.Saxena
DIN	08007046
Date of Birth	11/09/1958
Date of Appointment	15/11/2017
Service & Qualification	ITS & B.Tech
Expertise in specific functional area	Shri A. K. Saxena, is an ITS Officer of 1981 Batch who joined Department of Telecommunications in the year 1983. He started his career with his first posting in North East Task Force since then he has served in UP (West), Telecom Engineering Centre, New Delhi, MTNL Mumbai and BBNL. Shri A. K. Saxena has worked in MTNL Mumbai as General Manager in various positions like Marketing, HR & Admin, and Mobile Services etc, and in Bharat Broadband Network Limited as State head Maharashtra. He was promoted to HAG grade as Senior DDG in Department of Telecom in the month of August, 2017.
Directorship held in other Companies (Part-time) as on 31.03.2017	NIL
Membership / Chairmanship of Committees in other Companies as on 31.03.2017	NIL
No. of Shares held	NIL

ATTENDANCE SLIP

I hereby record my presence at the Fifth (5th) Annual General Meeting of the Company held on Wednesday, the 27th day of December, 2017 at 16.00 hrs. at Committee Room. 2nd Floor, Sanchar Bhavan, 20 Ashoka Road, New Delhi- 110001:

Name of the Shareholder_____

_____

Name of the Proxy_____

_____

(To be filled if the proxy attends, instead of the shareholders)

Ledger Foil No. _____

No. of shares held_____

Signagure of the Shareholder/Proxy_____

Form No. MGT -11— PROXY FORM

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN : **U64100DL2012GOI232070**

Name of the Company : **BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED**

Registered office : **R. No. 306, 3rd Floor, C-Dot Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli, New Delhi - 110 030**

Name of the Members (s) : _____

Registered Address : _____

E-mail Id : _____ **Folio No/Client Id :** _____ **DP ID:** _____

I/We, being the Member (s) of.....Equity Shares of Bharat Broadband Network Limited, hereby appoint

1. Name: .....
   Address: .....
   E-Mail Id: .....
   Signature: ....., or failing him/her

2. Name: .....
   Address: .....
   E-Mail Id: .....
   Signature: ....., or failing him/her

3. Name: .....
   Address: .....
   E-Mail Id: .....
   Signature: ....., or failing him/her

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me /us and on my/our behalf at the 5th Annual General Meeting of the Company, to be held on, Wednesday, 27th December, 2017 at 16.00 hrs. at Committee Room. 2nd Floor, Sanchar Bhavan, 20 Ashoka Road, New Delhi- 110001 and at any adjournment thereof, in respect of such resolutions set out in the Notice convening the meeting as are indicated below:

Sl. No.	Resolutions
	Ordinary Business
1.	To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements comprising of Balance Sheet of the Company as at March 31, 2017 and the Statement of Profit & Loss for the period ended on that date and Auditors Reports thereon and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, in terms of Section 143(6) of the Companies Act, 2013 together with the Reports of the Directors and its annexures.
2.	To ratify the remuneration of Statutory Auditors for the Financial Year 2016-17 & to authorise Board of Directors of the Company to fix remuneration of the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2017-18 in terms of the provisions of Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013.
	Special Business
3.	Appointment of Shri N.K.Joshi as Whole Time Director
4.	Appointment of Shri A.K.Saxena as Whole Time Director

Signed this ..... day of 2017

Signature of shareholder

Signature of Proxy holder (s)

Affix Revenue Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Board's Report to the Members

Dear Members,

On behalf of the Board of Directors, it is my privilege to present the Fifth (5th) Annual Report of Bharat Broadband Network Limited (**the Company**) and Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2017 together with the report of the Auditors and Review of the Comptroller & Auditor General of India thereon.

1. FINANCIAL RESULTS

Particulars	Amount in INR	
	For the year ended 31st March, 2017	For the year ended 31st March 2016
Revenue from Operations	32,24,500	41,33,354
Other Income	1,06,00,61,543	12,89,45,157
Total Revenue	**1,06,32,86,043**	**13,30,78,511**
Employee's Remuneration and Benefits	4,64,86,754	2,42,42,488
Finance cost	43,07,166	29,20,761
Depreciation and amortisation expense	50,01,242	5,70,12,102
Administrative, operating and other expenses	72,29,72,554	8,55,43,903
Total Expenses	**77,87,67,716**	**16,97,19,254**
Profit / (Loss) before prior period items and tax	**28,45,18,327**	**(3,66,40,743)**
Prior period items	**(34,31,885)**	**(1,99,56,412)**
Profit / (Loss) before Tax	**28,10,86,442**	**(5,65,97,155)**
Tax Expense		
Current Tax expense for current year	7,91,15,040	-
Current Tax expense relating to prior period	-	16,40,967
Deferred Tax	(2,65,09,084)	2,60,73,766
Profit / (Loss) after Tax	**22,84,80,486**	**(8,43,11,888)**
Earnings per share		
Basic	3.81	(1.41)
Diluted	3.81	(1.41)
Transferred to General Reserve	**5,00,00,000**	**-**

2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS AND OVERVIEW

During the period under review, the Company has recorded a total revenue of ₹ 1,06,32,86,043 (which includes ₹ 1,06,00,61,543 i.e. Other Income primarily on account of claim for operational expenses on USOF) and profit after tax to the tune of ₹22,84,80,486. In the previous F.Y. 2015-16 the Company had incurred loss of ₹ 8,43,11,888.

3. DIVIDEND

The Company has not proposed dividend for the financial year as the Company is under Construction and the Commercial operations are yet to commence.

4. TRANSFER TO RESERVES

During the year under review, the Company has transferred ₹5,00,00,000 to General Reserve Account.

5. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT & TRAINING

For achieving the challenging targets set by Government for the company, talent and human resource have to play an active role. To meet its staffing requirements, BBNL has been leveraging on the senior management from DOT, USOF, BSNL and MTNL on deputation basis. BBNL has also made efforts for recruiting young graduate engineers and finance professionals on regular basis. Apart from hiring retired officers of Government / PSUs BBNL to fill up short term vacancies, BBNL has recently engaged 4 Senior Consultants (retired HAG and above Officers of DOT) for implementation of State led model.

Training

Initiatives were taken to organise and provide opportunities to different class of Executives in different training programmes. Your Company has taken adequate steps to bring improvement in the quality of training to Executives at all levels. Considering the tight schedule of the project and the lean & thin organisation structure, opportunities have been created for direct recruits for on job training after induction.

6. DISCLOSURE AS PER SEXUAL HARRASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Company has zero tolerance for sexual harassment at workplace and has adopted a policy on prevention, prohibition and redressal of sexual harassment at workplace in line with the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and

Redressal) Act, 2013 and the rules framed thereunder.

During the financial year 2016-17, the Company has not received any complaints on sexual harassment. An internal Committee of CGM (Plg. & Coord.), CGM (Accounts), Assistant Manager (Accounts), Executive Trainee (HR) & Vice President, YWCA, has been formed in BBNL to look into issues related with the sexual harassment of women at work place.

7. DOCUMENTS PLACED ON THE WEBSITE (www.bbnl.nic.in)

The following documents have been placed on the website in compliance with the Act:

(i) Code of Conduct (Code of Business Conduct and Ethics for Directors and Senior Management of BBNL);
ii) Citizen Charter;
iii) BBNL Procurement Manual;
iv) Details of Independent External Monitors (IEMs);
v) Annual Reports of the Company along with AGM Notice;
vi) Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism
vii) Enterprise Risk Management policy

8. PROGRESS SO FAR

8.1 BharatNet Phase-I (Up to date progress)

BBNL is executing the BharatNet project which is the flagship program for connecting all 2,50,000 GPs in the country to the block headquarters for provision of both bandwidth and dark fibers on a non-discriminatory basis. The network is capable of providing 1 Gbps bandwidth in case of wired media (OFC) and minimum 100 Mbps bandwidth scalable upto 1 Gbps in case of wireless media (Radio) at each GPs. BharatNet is expected to augment the spread of digital connectivity which has the potential to create direct and indirect employment opportunities in rural and remote areas. The provision of broadband & internet penetration and e-services has a positive impact on GDP growth besides quicker, transparent and cost-effective governance.

The project was approved in 2011, yet the work on implementation of project commenced in the second half of 2014 after the survey was done and pilots were taken up by three implementing CPSUs. Since procedure of procurement of equipment for such a large project was causing delay, a process of decentralised procurement also through CPSUs and decentralised decision making were put in place in May, 2016. The project's pace of implementation got boost with the setting up of –

i) Empowered Committee under Secretary, DoT
ii) Steering Committee under Administrator, USOF to meet every fortnight.
iii) State Committee under Chief General Manager (CGM), BSNL for resolution of State level issues.

These Committees have proved to be instrumental in resolution of inter-agency issues and other issues hindering the pace of implementation, as well as monitoring of the Project.

The progress of phase-I has picked up in last 2 years by formation of dedicated teams and speeding up the procurement process through decentralisation and resolution of issues. Currently, out of 1,25,000 GPs taken up in Phase-I (including additional work front of 25,000 GPs), the duct/pipe has already been laid in 1,13,469 GPs, OFC laid in 1,08,237 GPs (250197 kms), equipment installed in 1,00,364 GPs, service ready in 96,039 GPs and service opened in 59,124 GPs.

During implementation, it was found that under the Phase-I model the inadequate quality of existing fibre (i.e. lossy fibre) between Block and Fibre Point of Interconnect (FPOI) was affecting End-to-End connectivity. It is noted that despite laying of OFC and availability of GPON equipment, many GPs could not be made Service Ready due to inadequate quality of existing fibre being used in the project. The replacement of such fibre was not part of the initial cabinet approval, but with advance planning and approval of Telecom Commission in April 2016 and later the approval of cabinet on 19.07.2017 replacement of 50,000 km of such inadequate quality of fibre is being carried out. This has increased speed of service readiness and End-to-End connectivity from Block to GPs. As a result, thereof, 1,03,768 GPs have now been provided End-to-End connectivity and 96,039 GPs are Service Ready.

Further, the implementation of the project was only through three CPSUs namely, BSNL, RailTel and PGCIL and the connectivity to GPs was only by laying underground OFC, which also became limiting factors. During the implementation, it was seen that not all the GPs could be connected by underground OFC and Service provisioning was not part of project.

1.2 BharatNet Project Phase-II (Cabinet Approval & progress thereof)

BBNL had been working relentlessly to overcome the deficiencies in the approach in Phase-I, Cabinet approval for a Modified Implementation Strategy was taken in July 2017. For the purpose of implementation, the BharatNet project covering all 2,50,000 Gram Panchayats was divided

in to Phase-I (1 lac GPs) and Phase-II (1.5 lac GPs).

The highlight of the Modified Implementation Strategy for BharatNet Phase-II are:-

(a) Laying of OF Cable directly from Block to Gram Panchayats

(b) Using Aerial OF cable, radio links and satellite connectivity apart from underground OFC as in Phase-I

(c) Project completion for entire 2,50,000 GPs by March 2019

(d) The provision of last mile connectivity through Wi-Fi or another suitable technology for quicker delivery of services, and the O&M of the entire 2,50,000 GPs has been now made.

(e) Implementation through States, Private Sector besides CPSUs as in Phase-I.

(f) Horizontal connectivity by States from its own funds.

In the modified strategy, the most important aspect is the Involvement of states along with CPSUs and private sector in implementation of the project. The States being the most important stakeholder in provision of services have been involved in implementation of Phase-II. The implementation is expected to be much faster and smoother with the participation of States. In this direction, advance action was taken such as consulting with various State Governments, providing them funds to carry out survey of electricity poles, where aerial cable may be deployed and many other such activities. Since aerial OFC on existing electricity poles is being considered for laying OFC in Phase-II, advance funding has been provided for survey and GIS mapping of electricity poles for laying aerial OFC to some of the States.

Based on Detailed project report (DPR) from States the proposals of Maharashtra, Gujarat, Chhattisgarh, Jharkhand, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha & Tamil Nadu were approved by Telecom Commission in September, 2017 & December, 2017. BBNL worked with States for quick resolution of technical, commercial and financial issues, which are very common in projects of this nature and magnitude. Due to timely action of all stakeholders i.e. USOF, DOT, States and BBNL the approval of Telecom Commission was received in relatively short time. Against a timeline of 5 months provided by the Cabinet for approval of State DPR, approval for State DPR was provided by Telecom Commission after 4 level scrutiny in one & half month for most of the States.

The signing of quadripartite Memorandum of Understanding (MOU) for implementing the State-model was initiated on 13th November, 2017 where in the presence of Hon'ble Minister of State for Communications (Independent Charge) & Railways and other Central and State Ministers, the MOU was signed with States of Andhra Pradesh and Telangana. Subsequently, on 09.12.2017, the MOU was also signed with States of Jharkhand & Maharashtra. The MOU with other States are likely to be entered unto by December 2017 end.

Based on approval of Telecom Commission under the private sector led model, the Request for Proposals (RFP) for the states of Bihar & Punjab under Private Sector Model has been issued on 15.12.2017.

For the CPSU led model, BSNL has been approved by Telecom Commission on nomination basis in the States of Assam, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Jammu & Kashmir and Sikkim. Similarly, in hilly States of Himachal Pradesh & Uttarakhand where aerial OFC is to be laid on top of electricity Poles by PGCIL is approved. For CPSU led model, discussions are in advanced stage with BSNL and PGCIL, two workshops on December 1, 2017 and December 9, 2017 have been held with CPSUs.

Under Phase-II, special emphasis is on provision of services. The Cabinet has approved last mile connectivity model for 2.5 lakh GPs. The planning work for last mile connectivity has been completed and the RFP for this purpose is likely to be floated soon. States are undertaking concrete step to use this network by connecting Government institutions at GP level to the network, taking FTTH connection, setting up Wi-Fi hotspots in GPs, and connecting the SWAN network to BharatNet. TSPs and other service providers have also exhibited interest to use BharatNet for provision of services. TSPs have also made advance payment towards utilizing bandwidth. A special tariff has also been formulated and deployed by BBNL.

The Union Cabinet has approved the project at a total estimated cost of ₹42,068 Crore (exclusive of GST, octroi and local taxes) which includes ₹11,148 Crore for Phase-I and ₹30,920 crore for Phase-II and other activities, to be funded from USOF.

1.3 Maintenance of the network

Due to expansion of infrastructure in rural areas, the maintenance of incremental fiber is a challenge. It is important that a dedicated agency is allocated this important area of work. For GPs in Phase-I, BSNL has been given the responsibility of O&M where BSNL has laid the incremental fiber. An agreement to this effect has been signed with on 4th October, 2017. BBNL is also exploring other modalities for O & M of network.

In Phase-II, management, operation & maintenance of the network is proposed to be done by the project implementing agency (PIA). The agency implementing the project would be preferred to take up the responsibility of management, operation and maintenance for the lifetime of the project.

1.4 Utilisation of the network

The service provision and utilisation aspect of the BharatNet is at the core of modified implementation strategy. For last mile connectivity model based on Wi-Fi or any other broad based technology has been approved by Cabinet for each GP. The RFP for this purpose is being prepared and would be issued speedily.

The major users of this network are the Telecom Service Providers, ISPs, MSOs, LCOs etc. which may use the BharatNet for provision of broadband and extending the mobile network in the rural & remote areas. BBNL held a national conference on utilisation of BharaNet on 13.11.2017 at Vigyan Bhawan. Four national level TSPs have together provided a total of ₹17.86 Crores towards bandwidth and dark fiber provision from BharatNet.

The other important users of this network are the State Governments which may use the network for various citizen centric services such as e-health, e-education, e-medicine, etc. BharatNet will help the States provide digital access to all its citizens in the rural areas and bridge the digital divide. Many states (including those implementing Phase-II under State led model) showcased their strategies of utilisation of BharatNet in the National Conference.

1.5 Arrangement with USOF for funding of BharatNet

BBNL as a special purpose vehicle (SPV) for BharatNet has entered into an agreement with Universal Service Obligation Fund (USOF), Department of Telecommunications (DOT). Under this agreement, USOF has agreed to provide funding for the entire capex and net opex (i.e. opex net of revenue) for the first 5 years of BBNL. This arrangement has been extended further upto 2020.

9. CORPORATE GOVERNANCE REPORT, MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT AND OTHER INFORMATION REQUIRED UNDER THE COMPANIES ACT, 2013

Corporate Governance Report:

Your Company is committed towards maintaining high standards of Corporate Governance to ensure transparency and accountability at all levels protecting the interest of all the stakeholders. The Company complies with the conditions of Corporate Governance as stipulated under the Companies Act. Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India has been implemented by BBNL to the maximum extent possible.

A "Report on Corporate Governance" for the year ended March 31, 2017, supported by a Certificate from, Practicing Company Secretary confirming compliance of conditions, forms part of the Annual Report, is attached to this report as **Annexure-B.**

Management Discussion & Analysis Report:

In terms of the Clause 7.5 of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by the DPE, a "Management Discussion and Analysis Report" on the operations and performance of the company for the year ended March 31, 2017, is attached to this report as **Annexure-C.**

10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement of Section 134(5) of the Act and based on the representations received from the management, the directors hereby confirm that:

i. in the preparation of the annual accounts for the financial year 2016-17, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanations relating to material departures;

ii. they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for the financial year;

iii. they have taken proper and sufficient care to the best of their knowledge and ability for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act. They confirm that there are adequate systems and controls for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

iv. they have prepared the annual accounts on a going concern basis;

v. they have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and operating properly; and

vi. they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

11. STATUTORY AUDITORS

M/s. Rawla & Co., Chartered Accountants, New Delhi were appointed as Statutory Auditors of your Company for the financial year 2016-17 by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG of India) in terms of Section 139 of the Companies Act, 2013. Statutory Auditors have audited the Financial Statements of the Company for the Period ended 31st March, 2017.

12. INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Independent Auditors' Report on the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2017 and the Management's Replies thereon and the comments of Comptroller & Auditor General of India on Financial Statements for the period ended 31st March, 2017 under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 along with the Management's Replies thereon are enclosed to the Board's Report.

13. SECRETARIAL AUDIT REPORT

The Secretarial Audit of the company for the financial year 2016-17 pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 has been conducted by M/s. J.K. Gupta & Associates, Practicing Company Secretaries, New Delhi. The Secretarial Audit Report has been attached to this report as **Annexure-F.**

14. EXPLANATION OR COMMENTS UNDER SECTION 134(3)(f) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS:

There were following qualifications, reservations or adverse remarks made by the Secretarial Auditor in their reports and the Management's Replies thereon is given below:

Audit Para no.	Comments of Secretarial Auditor	Management's Reply
(i) (1)	In respect of Appointment of Independent Directors, we wish to inform that the composition of the Board and its sub committees during the year is not in accordance with the provision of Section 149 of Companies Act, 2013 as the Company does not have any Independent Directors on its Board.	Company has already approached to Department of Telecommunications/Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors on the Board of the Company.

Further, in their Secretarial Audit Report of **Annexure A,** the Secretarial Auditor has commented the following:-

Audit Para No.	Comments of Secretarial Auditor
Annexure A – Sl. No.3	We have relied on the Internal Auditors Report of M/s Thakur, Vaidyanath Aiyar (Chartered Accountants) for the period under review; hence we have verified the correctness and appropriateness of Statutory / Legal Compliances on sample basis. The qualifications/Observations mentioned in their Audit Report also forming part of this Report.
Annexure A – Sl. No.4	We have relied on the Statutory Auditors Report of M/s Rawla & Co. (Chartered Accountants) for the period under review; hence we have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company. The qualifications/ observations mentioned in their Report also forming part of this Report.

Consolidated Management's Replies on the above has already been given in the section of Management's Reply attached with Annual Report.

15. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION & EXPENDITURE ON RESEARCH & DEVELOPMENT

Information in accordance with the provisions of Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 (3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 regarding Conservation of Energy is given below:-

A) Conservation of Energy

a) The steps taken or impact of conservation of energy:

The Company had already been placed LED tube lights / bulbs at its Network Operations Centre / office place.

b) The steps taken by the company for utilizing alternate source of energy:

Solar Power have been installed in Gram Panchayats as an alternative source of power in all its equipment.

c) The capital investments on energy conservation equipment:

The Company has installed power saver devices in the Office building.

B) Technology absorption, adaptation and innovation

a) Efforts, in brief, made towards technology absorption, adaptation and innovation

A Pilot has been carried out using GPON technology. Learning's from the Pilot is incorporated in the tender for GPON which has been finalized.

b) Benefits derived as a result of the above efforts e.g. Product improvement, cost reduction, product development, import substitution etc.

Indigenous technology in GPON is being inducted.

c) In case of imported technology (imported during the last 5 years reckoned from the beginning of the financial year) following information may be furnished:

a) Technology imported : NIL

b) Year of import : NIL

c) Has technology been fully absorbed? : NIL

(d) If not fully absorbed, areas where this has not taken place, reasons therefore and future plans action. : NIL

C) Expenditure on R&D (Amount in ₹)

Sl.No.	Particulars	2016-17	2015-16
1.	Capital	NIL	NIL
2.	Recurring	NIL	NIL
3.	Total	NIL	NIL
4.	Total R&D expenditure as a percentage of total turnover	NIL	NIL

16. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

Sl. No.	Foreign Exchange Earnings/Outgo	Amount in ₹	
		For the year ended 31st March, 2017	For the period ended 31st March 2016
1.	Foreign Exchange Earnings	NIL	NIL
2.	Expenditure on Payment on Foreign Travel	1,45,516	4,26,924
3.	Others	4,49,394	5,78,089
4.	Value of imports based on CIF basis (on Accrual basis)	NIL	NIL
5.	Foreign Exchange repatriated, if any	NIL	NIL

17. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Your company has not yet commenced commercial operations. However, the company now is covered under the purview / criteria of Corporate Social Responsibility (CSR) as mentioned in the Companies Act 2013. Although CSR activities have not been taken up, but the company has formed a CSR sub-committee of the Board, and will soon take up the appropriate activities under CSR.

18. DEPOSIT FROM PUBLIC

The Company has not accepted any deposits from public and as such, no amount on account of principal or interest on deposits from public was outstanding as on the date of the balance sheet.

19. BOARD OF DIRECTORS

19.1 The Board of Directors of the Company as on 31.03.2017 are as under:

Sl.No.	Name of the Director	Designation	Period of Occupancy with effect
1.	Shri Sanjay Singh@	Chairman-cum-Managing Director	From 18.03.2016
2.	Shri Shashi Ranjan Kumar	Govt. Nominee Director	From 06.11.2015
3.	Shri Mahmood Ahmed	Govt. Nominee Director	From 16.12.2016
4.	Shri B.K.Mittal*	Director (Operation)	From 29.07.2015
5.	Shri B.K.Mittal **	Director (Planning)	From 01.01.2016
6.	Shri Manoj Anand***	Director (Finance)	From 29.07.2016

@Pursuant to DoT Order Shri Sanjay Singh, Administrator (USOF), DOT was entrusted the additional charge of Chairman-cum-Managing Director of the Company.

*As per DOT Order Shri B.K.Mittal, Advisor, DOT was entrusted the additional charge of Director (Operation) of the Company.

**As per DOT Order Shri B.K.Mittal, Advisor, DOT was entrusted the additional charge of Director (Planning) of the Company.

*** Pursuant to DoT Order Shri Manoj Anand, CGM (Taxation), BBNL, was entrusted the additional charge of Director (Finance).

19.2 The following persons were appointed as Director/ Key Managerial Personnel (KMP) during the year / from the date of last AGM to till date under report:

Sl.No.	Name of the Director	Designation	Date of Appointment
1.	Shri Mahmood Ahmed	Govt. Nominee Director	16.12.2016
2.	Shri Manoj Anand	Director (Finance)	29.07.2016
3.	Shri N.K.Joshi	Director (Operation)	15.11.2017
4.	Shri A.K.Saxena	Director (Planning)	15.11.2017

19.3 The following persons ceased to be Director/KMP during the year under report / from the date of last AGM to till date:

Sl.No.	Name of the Director	Designation	Date of Appointment	Date of cessation
1.	Ms. Arundati Panda	Director (Finance)	26.07.2012	25.07.2016
2.	Shri I.S.Sastry	Govt. Nominee Director	25.02.2012	16.12.2016
3.	Shri B.K.Mittal	Director (Operation)	29.07.2015	31.10.2017
4.	Shri B.K.Mittal	Director (Planning)	01.01.2016	31.10.2017

19.4 The following persons were designated as KMP as per provisions of the Companies Act, 2013 during the period under report:

Sl.No.	Name of the Director	Designation	Date of Appointment
1.	Shri Sanjay Singh	Chairman-cum-Managing Director	18.03.2016
2.	Shri B.K.Mittal	Director (Operation)	29.07.2015
3.	Shri Manoj Anand	Director (Finance)	29.07.2016
4.	Shri A.C.Upadhyay	Company Secretary & Head Legal	01.04.2014

19.5 Board Meetings:

Attendance and other details in the Board Meeting of the Board Members are given in the Corporate Governance Report. During the year 2016-17 the Board of Directors of the Company met Twelve (12) times on:-

53rd Board Meeting 12.04.2016	54th Board Meeting 30.05.2016	55th Board Meeting 09.06.2016	56th Board Meeting 28.06.2016
57th Board Meeting 08.07.2016	58th Board Meeting 21.07.2016	59th Board Meeting 28.07.2016	60th Board Meeting 05.08.2016
61st Board Meeting 23.08.2016	62nd Board Meeting 05.10.2016	63rd Board Meeting 15.11.2016	64th Board Meeting 28.01.2017

20. AUDIT COMMITTEE:

Initially, the Audit Committee, which has been constituted by the Board on 22.04.2013 consists of two Govt. nominee Director and One Functional Director. Company Secretary is the Secretary of the Audit Committee. During the year 6 (Six) Audit Committee meetings were held.

16th Audit Committee 12.04.2016	17th Audit Committee 21.07.2016	18th Audit Committee 23.08.2016
19th Audit Committee 05.10.2016	20th Audit Committee 15.11.2016	21st Audit Committee 09.03.2017

Further, Company has approached to Department of Telecommunications (DoT) / Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors which is pending. As soon as Independent Directors are appointed by the DoT/ Department of Public Enterprises on the Board of BBNL, the Audit Committee will be reconstituted.

The composition and category of Members of the Audit Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under upto 31.03.2017: -

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	Shri Shashi Ranjan Kumar	Chairman	Govt. Nominee Director	6
2.	Shri I. S. Sastry*	Member	Govt. Nominee Director	5
3.	Shri B.K.Mittal**	Member	Director (Operation)	6
4.	Shri Mahmood Ahmed***	Member	Govt. Nominee Director	1

* Shri I. S. Sastry resigned from the Post of Govt Nominee Director on 16.12.2016.

**Pursuant to DoT Order, Shri B.K.Mittal, Advisor, DOT was entrusted the additional charge of Director (Operation) w.e.f. 29.07.2015. Further, Shri B.K.Mittal was entrusted with the additional charge of Director (Planning) w.e.f. 01.01.2016.

***Pursuant to DoT Order, Shri Mahmood Ahmed was entrusted with the charge of Govt. Nominee Director w.e.f. 16.12.2016.

The Terms of Reference of the Audit Committee are in accordance with Section 177 of the Companies Act, 2013 and the Guidelines dated 14th May, 2010 on Corporate Governance of CPSEs issued by Department of Public Enterprises. The few list of functions inter-alia includes the following:

- **To hold discussion with Auditors periodically about:**
  - Internal control systems compliance and adequacy thereof.
  - Scope of audit including observations of the Auditors.
  - Review of the quarterly, half yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- **To perform the following functions:**
  - Overseeing the company's financial reporting process and system for disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
  - Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to matters required to be included in the Directors Responsibility Statement, changes, if any, in accounting policies, major accounting entries, significant adjustments made, and qualifications in the Draft Audit Report.
  - Recommending the appointment and removal of internal auditors, fixation of audit fee and also approval for payment for any other services.
  - Carrying out any other function as mentioned in the Terms of Reference of the Audit Committee.

20.1 Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism u/s 177(9) of the Companies Act, 2013:

The Company has already in place an established Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism and oversees through the Committee, the genuine concerns expressed by the Directors and other employees. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairman of the Audit Committee on reporting issues concerning the interests of co-employees and the Company.

The policy has been formulated to provide an opportunity to employees to report to the management instances of unethical behaviour, actual or suspected, fraud or violation of the Company's code of conduct. No such instances were reported during the year.

21. NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

Initially, the Board was constituted the Remuneration Committee in the year 2013. As per DPE Guidelines Chairman should be an Independent Director, However Independent Director has yet not been posted. The Nomination & Remuneration Committee as required under Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 could not be re-constituted for want of Independent Directors on Board of the Company during the year under review. The Committee will be re-constituted in terms of the provisions of the Act as soon as the Independent Directors are appointed by the Department of Telecommunications. Being a CPSU, the criteria for qualifications and remuneration of Directors, Key Managerial Personnel and other employees is decided by the Govt. of India and the Ministry of Corporate Affairs

has granted exemption vide notification dated 05.06.2015. The scope of the Committee is limited as defined in Corporate Governance Guidelines, issued by DPE.

During the year 1 (One) meeting was held on (5th Remuneration Comm.) 27.06.2016. The present composition and category of Members of the Remuneration Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	*	Independent Director	Non-official / official part time Director	-
2.	*	Independent Director	Non-official / official part time Director	-
3.	Shri Shashi Ranjan Kumar	Member	Govt. Nominee Director	1
4.	Shri I. S. Sastry**	Member	Govt. Nominee Director	1
5.	Shri Mahmood Ahmed***	Member	Govt. Nominee Director	NA

*The position of Independent Director is vacant.

** Shri I. S. Sastry resigned from the Post of Govt Nominee Director on 16.12.2016.

***Pursuant to DoT Order, Shri Mahmood Ahmed was entrusted with the charge of Govt. Nominee Director w.e.f. 16.12.2016.

22. EXECUTIVE COMMITTEE

During the year 13 (Thirteen) Executive Committee meetings were held.

26th Executive Committee 02.05.2016	27th Executive Committee 09.07.2016	28th Executive Committee 03.08.2016	29th Executive Committee 27.08.2016
30th Executive Committee 06.09.2016	31st Executive Committee 28.09.2016	32th Executive Committee 20.10.2016	33rd Executive Committee 30.11.2016
34th Executive Committee 10.12.2016	35th Executive Committee 16.12.2016	36th Executive Committee 06.02.2017	37th Executive Committee 15.02.2017
38th Executive Committee 15.03.2017			

The composition and category of Members of the Executive Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting attended
1.	Shri Sanjay Singh	Chairperson	Chairman-cum-Managing Director	13
2.	Shri B.K.Mittal@	Member	Director (Operation) & (Planning)	13
3.	Ms. Arundati Panda@@	Member	Director (Finance)	2
4.	Shri Manoj Anand@@@	Member	Director (Finance)	11

@ Pursuant to DoT Order, Shri B.K.Mittal was entrusted the charge of the position of Director (Operation) & Director (Planning)

@@ The tenure of Ms. Arundati Panda as initial/interim Director (Finance) in BBNL ended on 25.07.2016, therefore, She resigned from the charge of Director (Finance) of the Company w.e.f. 25.07.2016 (A/N).

@@@Pursuant to DoT Order Shri Manoj Anand, CGM (Taxation), BBNL, was entrusted the additional charge of Director (Finance). Shri Manoj Anand assumed the charge on 29.07.2016.

23. INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(n) OF THE COMPANIES ACT, 2013 CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

During the period under review one (1) meeting was held on (4th) 15.11.2016. The composition and category of Members of the Risk Management Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under upto 31.03.2017:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting attended
1.	Shri I. S. Sastry*	Chairman	Govt. Nominee Director	1
2.	Shri B.K.Mittal**	Member	Director (Operation) & (Planning)	1
3.	Shri Mahmood Ahmed ***	Chairman	Govt. Nominee Director	N.A.

* Shri I. S. Sastry resigned from the Post of Govt Nominee Director on 16.12.2016.
** Pursuant to DoT Order, Shri B.K.Mittal was entrusted the charge of the position of Director (Operation) & Director (Planning)
***Pursuant to DoT Order, Shri Mahmood Ahmed was entrusted with the charge of Govt. Nominee Director w.e.f. 16.12.2016.

24. INFORMATION UNDER SECTION 197 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULE 5(2) OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014 REGARDING EMPLOYEES REMUNERATION

BBNL being a Government Company, the provisions of section 197 of the Companies Act, 2013 and relevant Rules shall not apply in view of the Gazette notification dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The terms and conditions of the appointment of Functional Directors is decided by the Government of India. The salary, terms and conditions of the appointment of Company Secretary, KMPs of BBNL, is in line with the parameters prescribed by the Company.

25. STATEMENT UNDER SECTION 134(3)(p) OF THE COMPANIES ACT, 2013 REGARDING FORMAL ANNUAL EVALUATION MADE BY BOARD OF ITS OWN PERFORMANCE AND THAT OF ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS

BBNL being a Government Company, the provisions of section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 and relevant Rules shall not apply in view of the Gazette notification dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

26. RELATED PARTY TRANSACTIONS

There was no contract or arrangements made with related parties which would come under the purview of Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

27. FORM NO. MGT-9 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The extract of Annual Return of the Company in Form No. MGT-9 for the year under report pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is placed at **Annexure-A.**

28. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

There was no loans, guarantees or investments made by the Company exceeding the limits specified under Section 186 of the Companies Act, 2013 during the year under review and hence, the said provision is not applicable.

29. UNSECURED LOAN

During the year under review, there is no unsecured loan.

30. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATED AND THE DATE OF THE REPORT

No material changes and commitments affecting the financial position of the Company occurred between the end of the financial year to which the financial statements related and the date of this report.

31. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has set up an elaborate mechanism throughout the Organization to deal with the requests received under the Right to Information (RTI) Act, 2005. To assist and facilitate the citizen in obtaining information, detailed guidelines have been placed on BBNL's website, spelling out the procedure for securing access to information and filing of first appeals under the Act.

Proactive disclosures have been made on BBNL's website in line with Section 4(1)(b) of the Act, disseminating various categories of information so that citizens have minimum need to resort to the Act for the purpose of obtaining information.

32. RAJBHASHA (OFFICIAL LANGUAGE)

Your Company makes concerted efforts to spread and promote the Official Language (Rajbhasha Hindi). In pursuance of Official Language Policy/ Act/ Rules/ Orders of the Govt. of India, efforts are continuing towards increasing the use of Hindi in Official work. Some of the important steps taken in this regard during the year i.e. Hindi Workshops and Hindi Divas were organized in the Company in order to increase the usages of Hindi in day-to-day official correspondence using simple & colloquial words in writing. The Company has launched its website in Hindi also at www.bbnl.nic.in.

33. VIGILANCE

The Vigilance unit has already been set up in the Company in September, 2015 with the posting of CVO. During the year 2016-17, steps were taken to carry out vigilance activities including preventive Vigilance as per directives of CVC. Tenders of estimated values of ₹ 2.00 lakhs & above are being invited using e-portal of TCIL. All vigilance complaints were examined & settled in time. As per direction of CVC, Vigilance Awareness week' 2016 was observed successfully in BBNL from 31.10.2016 to 05.11.2016.

34. INFORMATION TO SHAREHOLDERS

Financial Statements of the Company and the related detailed information shall be available to the stakeholders of the Company. Any stakeholders seeking any such information at any point of time, can inspect the same during business hours in a working day at the registered office of the Company.

35. INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(q) OF THE COMPANIES ACT, 2013, READ WITH RULE 8(5)(viii) OF COMPANIES (ACCOUNTS) RULES, 2014 REGARDING ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company's internal control system is designed to ensure operational efficiency, protection and conservation of resources, accuracy and promptness in financial reporting and compliance with laws and regulations. The internal control system is supported by an internal audit process for reviewing the adequacy and efficacy of the Company's internal controls, including its systems and processes and compliance with regulations and procedures. Internal Audit Reports are discussed with the Management and are reviewed by the Audit Committee of the Board which also reviews the adequacy and effectiveness of the internal controls in the Company.

36. STATUTORY DISCLOSURE BY DIRECTORS:

None of the Directors of your Company is disqualified as per provisions of Section 164 of the Companies Act, 2013.

Your Directors have made necessary disclosures as required under various provisions of the Companies Act, 2013.

37. GRADING ON THE BASIS OF COMPLIANCE WITH GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE

In the year of 2015-16 & 2016-17, DPE has finalized the grading of CPSEs on the basis of their Compliance with Guidelines on Corporate Governance for the year 2015-16 & 2016-17, BBNL has been graded as "Excellent".

38. SWACHH BHARAT ABHIYAN

As part of the nation-wide Swachh Bharat Abhiyan, your Company organized a Swachh Bharat Pakhwada on several occasions throughout the year. Officers and Staff of Your Company responded very eagerly to this campaign of the Government of India, by participating in various cleanliness programmes organized in and around the office complexes across the country.

39. ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors acknowledges with deep sense of appreciation for the cooperation received from the Govt. of India, particularly the Ministry of Communications (Department of Telecommunications), Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Universal Service Obligation Fund, Ministry of Electronics and Information Technology, National Informatics Centre, State Governments, BSNL, PGCIL, RAILTEL, C-DOT, TCIL and all other stakeholders.

The Board of Directors acknowledge with thanks the valued cooperation received from C&AG and the Statutory Auditors, Secretarial Auditors, Internal Auditors and also Bankers. The Directors take this opportunity to express their thanks for the valuable contribution, hard work and

dedication of every employee. The Board is confident that with the employees' continued and dedicated efforts, your Company will be able to face the new challenges and achieve improved performance.

40. ADDENDA: The following documents are annexed:

40.1 "Extract of Annual Return" of the Company is attached to this report as **Annexure-A.**

40.2 "Report on Corporate Governance" is attached to this report as **Annexure-B.**

40.3 "Management Discussion & Analysis Report" is attached to this report as **Annexure-C.**

40.4 "Code of Conduct for Directors and Senior Management" is attached to this report as **Annexure-D.**

40.5 "Certification/declaration on financial statements by the Chief Executive/Chief Finance Officer of the Company" is attached to this report as **Annexure-E.**

40.6 "Secretarial Audit Report" of the company is attached to this report as **Annexure-F.**

Bharat Broadband Network Limited

For and on behalf of the Board of Directors

Sanjay Singh
Chairman-Cum-Managing Director
DIN-07484614

Date: 20.12.2017
Place: New Delhi

ANNEXURE – A

Form No. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31.03.2017
[Pursuant to section 92(3) *of the Companies Act, 2013* and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i.	CIN	U64100DL2012GOI232070
ii.	Registration Date	25th February, 2012
iii.	Name of the Company	Bharat Broadband Network Limited
iv.	Category / Sub-Category of the Company	Category - Company Limited by Shares Sub-Category – Union Government Company
v.	Address of the Registered office and contact details	Room no. 306, 3rd Floor, C-Dot Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli, New Delhi-110030
vi.	Whether listed company Yes / No	No
vii.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Karvy Computershare Pvt. Ltd. 305, New Delhi House, 3rd Floor, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	To carry on the business of establishment, management and operation of National Optical Fibre Network (NOFN) which has been envisaged by the Government of India to provide high speed broadband connectivity to all gram panchayats by extending the existing and future Optical Fibre network to the gram panchayats	9984222	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES :

S. No.	Name and address of the company	CIN/GLN	Holding/ subsidiary/Associate	% of shares held	Applicable Section
1	.....	.....	..... NIL	.....	.....

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) *Category-wise Share Holding*

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Individual/HUF									
b) Central Govt.	NIL	6,00,00,000	6,00,00,000	99.999995		6,00,00,000	6,00,00,000	99.999995	NIL
c) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Bodies Corp.	NIL	03	03	0.000005		03	03	0.000005	NIL
e) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any Other....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (A)(1)	**NIL**	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	**NIL**
2) Foreign									
a) NRIs-Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any Other....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (A)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Shareholding of Promoter (A)=(A)(1)+(A)(2)	**NIL**	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	**NIL**
B. Public Shareholding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FIIs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B) (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) **Bodies Corp.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) **Indian**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) **Overseas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) **Individuals**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess ₹ 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B) (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Public Shareholding (B) = (B) (1) + (B) (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Grand Total (A + B + C)	**NIL**	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	**NIL**

ii) ***Shareholding of Promoters***

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumber-red to total shares	
1	President of India through Shri Amit Yadav, Joint Secretary (A), DOT	5,99,99,994	99.999985	NIL	5,99,99,994	99.999985	NIL	NIL
2	Shri R.M. Chaturvedi, Dy. Director General (CS), DOT	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
3	Shri Ashwani Salwan, DDG (BB), USOF, DOT	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
4	Shri Rupendra Kumar, Director (USOF), DOT	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
5	Shri Rajeev Kumar, DDG (B&PF), DOT	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
6	Shri R.M.Agarwal, DDG (SU), DOT	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
7	Shri Pawan Gupta, Director (PSU-1), DOT	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
8	M/s Bharat Sanchar Nigam Limited	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
9	M/s PowerGrid Corporation of India Limited	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
10	M/s Railtel Corporation of India Limited	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
	Total	**6,00,00,003**	**100**	**NIL**	**6,00,00,003**	**100**	**NIL**	**NIL**

NOTE: Sl. No. 1 to 7 shares are held on behalf of President of India through Department of Telecommunications

iii) ***Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)***

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	6,00,00,003	100%	6,00,00,003	100%
2	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc.:	.....	..... NO CHANGE	.....	.....
3	At the End of the year	6,00,00,003	100%	6,00,00,003	100%

iv) **Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):**

Sl. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	Nil	Nil	Nil	Nil
2	Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc.)	Nil	Nil	Nil	Nil
3	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	Nil	Nil	Nil	Nil

v) **Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	NIL	NIL	NIL	NIL
2	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	NIL	NIL	NIL	Nil
3	At the End of the year	NIL	NIL	NIL	Nil

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year	NIL	NIL	NIL	NIL
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Change in Indebtedness during the financial year	NIL	NIL	NIL	NIL
• Addition				
• Reduction				
Net Change	NIL	NIL	NIL	NIL
Indebtedness at the end of the financial year	NIL	NIL	NIL	NIL
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i + ii + iii)	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager				Total Amount
		Shri Sanjay Singh, CMD	Shri B.K.Mittal Director (O)	Ms. Arundati Panda Director (F)	Shri Manoj Anand Director (F)	
1.	Gross Salary					
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income Tax, 1961	NIL	NIL	15,59,257	15,50,072	31,09,329
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	NIL	NIL	4,56,936	4,67,627	9,24,563
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax, 1961	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission					
	– as % of profit	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	– Others, specify	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Others, please specify					
Total (A)		NIL	NIL	20,16,193	20,17,699	40,33,892
Ceiling as per the Act		Not Applicable to Government company				

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
		.....	.....	.....	.....	
1	Independent Directors • Fee for attending board/committee meetings • Commission • Others, please specify	No Independent Director was on BBNL Board during the year	No Independent Director was on BBNL Board during the year	No Independent Director was on BBNL Board during the year	No Independent Director was on BBNL Board during the year	NIL
Total (1)		**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
2	Other Non-Executive Directors • Fee for attending board/committee meetings • Commission • Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (2)		**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Total (B) = (1 + 2)		**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Total Managerial Remuneration		**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Overall Ceiling as per the Act		**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**

C. Remuneration to key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Shri A.C. Upadhyay, Company Secretary & Head Legal	Shri Manoj Anand, D(F) is designated as CFO	Total
1.	Gross salary a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) Income-tax Act, 1961	NIL	17,02,414 3,07,018 -	15,50,072 4,67,627 -	32,52,486 7,74,645 -
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission - as % of profit - others, specify	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL
Total			**20,09,432**	**20,17,699**	**40,27,131**

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/ NCLT/COURT]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
B. DIRECTORS					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

ANNEXURE-B

Company's Report on Corporate Governance

1. A brief statement on Company's philosophy on Guidelines of Corporate Governance

The Mission/Vision statement of the Company includes enhancing the stakeholders' value. The Corporate Governance emphasizes an ethical framework of rules, regulations and policies governing the administration of the Company with a strong commitment to values and conduct of business on a sustainable basis to maximize shareholders' value. It aims at protecting the interest of every stakeholder including shareholders, investors, customers, vendors, regulators, the community at large and the Government. The Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, DPE vide its letter no. 18(8)/2005-GM dtd. May 14, 2010 entailing instructions, further mandates all CPSEs for necessary compliance. Company firmly believes that only good corporate governance will generate value on a sustained basis to all its stakeholders. Corporate Governance primarily concerns transparency, full disclosure of material facts, independence of Board and fair play with all stakeholders.

The steps are being taken up to comply/adhere with all compliances in terms of the Guidelines of Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises from time to time.

2. Board of Directors - Composition of the Board

BBNL being a PSU, appointment/nomination of Directors is made by the President of India through Ministry of Communication, Department of Telecommunications and Department of Public Enterprises. As on 31.03.2017 the Board of BBNL have Five Members, of whom three are Functional Directors (including Chairman–cum–Managing Director), two are nominees of Government of India. There are no Independent Directors. Company has approached Administrative Ministry/Department of Public Enterprises for the appointment of Independent Director.

2.1 Number of Board Meetings held, dates on which held:

Attendance and other details in the Board Meeting of the Board Members are given in the Corporate Governance Report. During the year the Board of Directors of the Company met Twelve (12) times on:-

53rd Board Meeting 12.04.2016	54thBoard Meeting 30.05.2016	55th Board Meeting 09.06.2016	56th Board Meeting 28.06.2016
57th Board Meeting 08.07.2016	58th Board Meeting 21.07.2016	59th Board Meeting 28.07.2016	60th Board Meeting 05.08.2016
61st Board Meeting 23.08.2016	62nd Board Meeting 05.10.2016	63rd Board Meeting 15.11.2016	64th Board Meeting 28.01.2017

2.2 The details as to the attendance of the Directors in the Board Meetings and number of other directorships and committee memberships, chairmanships as on 31st March, 2017 are as follows:

Name of the Director	Category	Attendance in Board Meeting during 2016-17	Attendance in Last AGM	Number of Directorships in other Companies	Number of Committees (including BBNL)	
					Member	Chairman
Shri Sanjay Singh	Chairman-cum-Managing Director	12	Yes	_	_	1
Shri Shashi Ranjan Kumar	Govt. Nominee Director	11	Yes	1	_	2
Shri I.S.Sastry@	Govt. Nominee Director	11	Yes	_	2	1
Shri Mahmood Ahmed@@	Govt. Nominee Director	1	NA	_	2	1
Ms. Arundati Panda@@@	Director (Finance)	6	NA	_	1	_
Shri B.K.Mittal	Director (Operations) & (Planning)	12	Yes	–	2	–
Shri Manoj Anand	Director (Finance)	5	Yes	–	1	–

@Shri I. S. Sastry resigned from the Post of Govt Nominee Director on 16.12.2016.

@@Pursuant to DoT Order, Shri Mahmood Ahmed was entrusted with the charge of Govt. Nominee Director w.e.f. 16.12.2016.

@@@The tenure of Ms. Arundati Panda as initial/interim Director (Finance) in BBNL ceased on 25.07.2016, therefore, She resigned from the charge of Director (Finance) of the Company w.e.f. 25.07.2016 (A/N).

Note:-

1. None of the Directors of the Board is a member of more than 10 (ten) committees or Chairman of more than 5 (five) committees across all the Companies in which he is a Director. All the Directors have made requisite disclosures regarding Directorship/ Committee position occupied by them in other Companies. A brief resume of the Directors is given in the sl. no. 2.4 of this report.
2. The required quorum was present for all the meetings.
3. The maximum time gap between two Board Meetings was not more than three months.

2.3 Age Limit and Tenure of Directors

The age limit for the Chairman-cum-Managing Director and other Whole-time Functional Directors is 60 (sixty) years. Generally, the Chairman-cum-Managing Director and other Whole-Time Functional Directors are appointed for a period of 5 (five) years from the date of taking over the charge or till the date of superannuation of the incumbent, or till further instructions / orders from the Government of India, whichever event occurs earliest. Part-time Official Directors (Government Nominees) retires from the Board on ceasing to be officials of the Ministry. Independent Directors are appointed by the Government of India.

2.4 Brief profile of the existing Directors and new Directors appointed during the year:

S. No.	Name of the Director	Designation	Date of Appointment	Nature of expertise in specific functional areas	Names of companies in which the person holds the Directorship and the membership of Committees of the Board
1.	Shri Sanjay Singh	CMD	18.03.2016	Given below	NIL
2.	Shri Shashi Ranjan Kumar	Govt. Nominee Director	06.11.2015	Given below	Telecommunications Consultants India Ltd.
3.	Shri Mahmood Ahmed	Govt. Nominee Director	16.12.2016	Given below	NIL
4.	Shri B.K. Mittal	Director (Operation) & (Planning)	29.07.2015 01.01.2016	Given below	NIL
5.	Shri Manoj Anand	Director (Finance)	29.07.2016	Given below	NIL

Brief Profile:-

1. Shri Sanjay Singh is an officer of the 1987 batch of the Indian Administrative Service allotted to Madhya Pradesh Cadre. He was a Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department and Technical Education & Training Department, Bhopal, Government of Madhya Pradesh. Presently, Shri Singh, Administrator (USOF), Department of Telecommunications, Govt. of India, has assumed the additional charge of Chairman-cum- Managing Director, BBNL on 18.03.2016.
2. Sh. Shashi Ranjan Kumar, graduated from IIT Delhi in Electrical Engineering in the year 1989. After briefly working in the Indian Railways as Electrical Engineer, he joined Indian Administrative Service in the year 1992. He served in the state of Tripura at various administrative positions like Sub-Divisional Officer, District Magistrate and Collector etc. He has also served in the state of Jharkhand where he was Deputy Commissioner of Gumla District and Municipal Commissioner, Ranchi Municipal Corporation. He served as Director in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry

of Commerce and Industry, Government of India during the period 2006-2011. He was also Secretary, Power Department, Planning Department etc. in Government of Tripura. At present he is working as Joint Secretary in the Department of Telecommunications, Ministry of Communication.

3. Shri Mahmood Ahmed belongs to the 1993 batch of IP&TAFS. He was selected through the Civil Services Examination of 1992 after completing his Masters form Hindu College, Delhi University. He has assumed the charge of Joint Administrator(F), USOF from April, 2015 onwards. Prior to this assignment, he served as Director in the Ministry of Urban Development, Government of India from 2010 to 2015. He also had a stint in the Department of Steel & Mines, Government of Odisha from 2005 to 2010. In a career spanning over two decades, he has rich and varied field experience in various capacitines in the Department of Telecom and elsewhere.

4. Shri Brijesh Kumar Mittal has taken over charge as Director (Operations) of Bharat Broadband Network Limited on 29th July 2015. He is a Telecom industry veteran with more than 34 yrs. of experience in the field of Telecommunications. Shri Mittal is an Indian Telecommunication Service Officer from 1979 batch. He is an Engineering graduate from IIT Roorkee. Shri Mittal is also holding the additional charge of Director (Planning).

5. Shri Manoj Anand, joined as Director (Finance), Bharat Broadband Network Limited (BBNL) on 29th July, 2016. Shri Anand is a Member of ICAI & ICSI. Prior to his joining BBNL, he has worked with MTNL, BSNL and DOT in various capacities. He is a senior Administrative Grade Officer of the Indian P & T Accounts & Finance Service. He has rich and varied fields experience of about 27 years in Government financial management system especially in areas such as budgeting, costing, tariff, projects, etc.

2.5 Information placed before the Board of Directors

The Board of Directors have complete access to the information within the Company which includes Annual Revenue and Capital Budget, Periodic Statement of Accounts showing financial results of the Company, Financing Plans of the Company, Minutes of the Meetings of various Committees including Audit Committees, Annual Report, Directors' Report etc., Periodic Report on Compliance of applicable Laws, Disclosure of interest by Directors about Directorship and position occupied by them in other companies & other materially important information.

2.6 Process after the Board Meeting is held

The Secretary of the Company as a part of the Governance Process, disseminate the outcome of the Board with necessary approvals and permissions/authorizations accorded to the Heads of the Divisions/Areas and there is a post-meeting compliance mechanism by which the necessary follow-ups, review and reporting for actions taken/ pending on the approval so accorded by the Board/ Committees are made.

2.7 Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel:

Being a Government company, the remuneration as on 31.03.2017 of the following Whole-Time Functional Directors and Other Key Managerial Personnel is decided by the Government of India / Board, as applicable. The Independent Director is yet to be appointed by the Govt. of India.

Amount in (₹)

Sl. No.	Name	Designation	Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income Tax, 1961	Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	Total
1.	Shri Sanjay Singh	Chairman-cum-Managing Director	Nil	Nil	Nil
2.	Shri Shashi Ranjan Kumar	Govt. Nominee Director	Nil	Nil	Nil
3.	Shri I.S.Sastry	Govt. Nominee Director	Nil	Nil	Nil
4.	Ms. Arundati Panda*	Director (Finance)	15,59,257	4,56,936	20,16,193
5.	Shri B.K.Mittal	Director (Operations) & (Planning)	Nil	Nil	Nil
6.	Shri Manoj Anand**	Director (Finance)	15,50,072	4,67,627	20,17,699
7.	Shri A.C.Upadhyay	CS & Head Legal	17,02,414	3,07,018	20,09,432

*The tenure of Ms. Arundati Panda as initial/interim Director (Finance) in BBNL ended on 25.07.2016, therefore, She resigned from the charge of Director (Finance) of the Company w.e.f. 25.07.2016 (A/N).

** Pursuant to DoT Order Shri Manoj Anand, CGM (Taxation), BBNL, was entrusted the additional charge of Director (Finance). Shri Manoj Anand assumed the charge on 29.07.2016.

2.8 Payment of sitting fees to Independent Directors during the year 2016–17:

There were no Independent Directors on BBNL Board during the year 2016-17. The position of Independent Director is vacant. The company has communicated about the requirement of Independent Directors in the Company, to the Department of Telecommunications.

2.9. Payment of sitting fees to Part-Time Official Directors/ Govt. Nominee Directors:

No remuneration is paid by the company to Part-Time Official Directors/ Govt. Nominee Directors.

3 Committees of The Board:

The company has the following Four (4) Board level Committees:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Risk Management Committee
4. Executive Committee

4. Audit Committee

4.1 Brief description of terms of reference

The Terms of Reference of the Audit Committee are in accordance with Section 177 of the Companies Act, 2013 and the Guidelines dated 14th May, 2010 on Corporate Governance of CPSEs issued by Department of Public Enterprises.

4.2 Scope of Audit Committee

The Audit Committee acts as a link between the Management, Statutory and Internal Auditors and the Board of Directors. The list of functions inter-alia includes the following:

- **To hold discussion with Auditors periodically about:**
  - Internal control systems compliance and adequacy thereof.
  - Scope of audit including observations of the Auditors.
  - Review of the quarterly, half yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- **To perform the following functions:**
  - Overseeing the company's financial reporting process and system for disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
  - Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to matters required to be included in the Directors Responsibility Statement, changes, if any, in accounting policies, major accounting entries, significant adjustments made, and qualifications in the Draft Audit Report.
  - Recommending the appointment and removal of Auditors, fixation of audit fee and also approval for payment for any other services.
  - Carrying out any other function as mentioned in the Terms of Reference of the Audit Committee.
  - Review the CEO/CFO Statement and also Management Discussion and Analysis Report.

4.3 Constitution, Composition, name of Members and Chairperson

The Audit Committee, which has been constituted by the Board on 22.04.2013 consists of two Govt. nominee Director and One Functional Director. Company Secretary is the Secretary of the Audit Committee. During the year 6 (Six) Audit Committee meetings were held.

16th Audit Committee 12.04.2016	17th Audit Committee 21.07.2016	18th Audit Committee 23.08.2016
19th Audit Committee 05.10.2016	20th Audit Committee 15.11.2016	21st Audit Committee 09.03.2017

Further, Company has approached to Department of Telecommunications (DoT) / Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors which is pending. As soon as Independent Directors are appointed by the DoT/ /Department of Public Enterprises on the Board of BBNL, the Audit Committee will be reconstituted immediately. The composition and category of Members of the Audit Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under upto 31.03.2017: -

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	Shri Shashi Ranjan Kumar	Chairman	Govt. Nominee Director	6
2.	Shri I. S. Sastry*	Member	Govt. Nominee Director	5
3.	Shri B.K.Mittal**	Member	Director (Operation)	6
4.	Shri Mahmood Ahmed***	Member	Govt. Nominee Director	1

* Shri I. S. Sastry resigned from the Post of Govt Nominee Director on 16.12.2016.

**Pursuant to DoT Order, Shri B.K.Mittal, Advisor, DOT was entrusted the additional charge of Director (Operation) w.e.f. 29.07.2015. Further, Shri B.K.Mittal was entrusted with the additional charge of Director (Planning) w.e.f. 01.01.2016.

***Pursuant to DoT Order, Shri Mahmood Ahmed was entrusted with the charge of Govt. Nominee Director w.e.f. 16.12.2016.

5. Nomination and Remuneration Committee

Initially, the Board was constituted the Remuneration Committee in the year 2013. As per DPE Guidelines Chairman should be an Independent Director, However Independent Director has yet not been posted. The Nomination & Remuneration Committee as required under Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 could not be re-constituted for want of Independent Directors on Board of the company during the year under review. The Committee will be re-constituted in terms of the provisions of the Act as soon as the Independent Directors are appointed by the Department of Telecommunications. Being a CPSE, the criteria for qualifications and remuneration of Directors, Key Managerial Personnel and other employees is decided by the Govt. of India and the Ministry of Corporate Affairs has granted exemption vide notification dated 05.06.2015. The scope of the Committee is limited as defined in Corporate Governance Guidelines, issued by DPE.

During the year 1 (One) meeting was held on (5th Remuneration Comm.) 27.06.2016. The present composition and category of Members of the Remuneration Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	*	Independent Director	Non-official / official part time Director	-
2.	*	Independent Director	Non-official / official part time Director	-
3.	Shri Shashi Ranjan Kumar	Member	Govt. Nominee Director	1
4.	Shri I. S. Sastry**	Member	Govt. Nominee Director	1
5.	Shri Mahmood Ahmed***	Member	Govt. Nominee Director	NA

*The position of Independent Director is vacant.

** Shri I. S. Sastry resigned from the Post of Govt Nominee Director on 16.12.2016.

***Pursuant to DoT Order, Shri Mahmood Ahmed was entrusted with the charge of Govt. Nominee Director w.e.f. 16.12.2016.

6. Risk Management Committee

Your Company has approached to Department of Telecommunications/Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors. During the period under review one (1) meeting was held on (4th) 15.11.2016. The composition and category of Members of the Risk Management Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under upto 31.03.2017:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting attended
1.	Shri Mahmood Ahmed*	Chairman	Govt. Nominee Director	NA
2.	Shri I. S. Sastry**	Chairman	Govt. Nominee Director	1
3.	Shri B.K.Mittal***	Member	Director (Operation)	1
4.	Shri B.K.Mittal ***	Member	Director (Planning)	1

*Pursuant to DoT Order, Shri Mahmood Ahmed was entrusted with the charge of Govt. Nominee Director w.e.f. 16.12.2016.

** Shri I. S. Sastry resigned from the Post of Govt Nominee Director on 16.12.2016.

*** Pursuant to DoT Order, Shri B.K.Mittal was entrusted the charge of the position of Director (Operation) & Director (Planning)

7. Executive Committee

During the year 13 (Thirteen) Executive Committee meetings were held.

26th Executive Committee 02.05.2016	27th Executive Committee 09.07.2016	28th Executive Committee 03.08.2016	29th Executive Committee 27.08.2016
30th Executive Committee 06.09.2016	31st Executive Committee 28.09.2016	32th Executive Committee 20.10.2016	33rd Executive Committee 30.11.2016
34th Executive Committee 10.12.2016	35th Executive Committee 16.12.2016	36th Executive Committee 06.02.2017	37th Executive Committee 15.02.2017
38th Executive Committee 15.03.2017			

The composition and category of Members of the Executive Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	Shri Sanjay Singh	Chairperson	Chairman-cum-Managing Director	13
2.	Shri B.K.Mittal@	Member	Director (Operation) & (Planning)	13
3.	Ms. Arundati Panda@@	Member	Director (Finance)	2
4.	Shri Manoj Anand@@@	Member	Director (Finance)	11

@ Pursuant to DoT Order, Shri B.K.Mittal was entrusted the charge of the position of Director (Operation) & Director (Planning)

@@ The tenure of Ms. Arundati Panda as initial/interim Director (Finance) in BBNL ended on 25.07.2016, therefore, She resigned from the charge of Director (Finance) of the Company w.e.f. 25.07.2016 (A/N).

@@@Pursuant to DoT Order Shri Manoj Anand, CGM (Taxation), BBNL, was entrusted the additional charge of Director (Finance). Shri Manoj Anand assumed the charge on 29.07.2016.

8. Statutory Auditor

In exercise of the powers conferred by Section 139 of Companies Act, 2013, the Comptroller & Accountant General of India (C&AG) has appointed the following Chartered Accountant Firms as Statutory Auditor of the Company for the year 2016-17:

Rawla & Co.
Firm Regn. No. 001661N,
Chartered Accountants,
New Delhi

Statutory Audit fee for the year 2016-17 was paid ₹ 4,62,500/- (Rupees Four Lakh Sixty Two Thousand Five Hundred only).

9. Annual General Meetings (AGMs):

The details of last 3 Annual General Meetings of the Company are as under:-

No. of AGM	Financial Year	Date	Time	Venue	Special Resolutions Passed
4th Annual General Meeting	01.04.2015 to 31.03.2016	29.11.2016	16:00 Hrs.	Conference Hall, 13th Floor, Sanchar Bhawan, New Delhi-110001	Nil
3rd Annual General Meeting	01.04.2014 to 31.03.2015	28.09.2015	16:00 Hrs.	Conference Hall, 13th Floor, Sanchar Bhawan, New Delhi-110001	Nil
2nd Annual General Meeting	01.04.2013 to 31.03.2014	30.09.2014	11:30 hrs.	Conference Hall, 13th Floor, Sanchar Bhawan, New Delhi-110001	Yes (Two Special Resolutions were passed for amendment in MOA & AOA)

10. Disclosures:

(i) Disclosure of the materially significant related party transactions:

The Company has not entered into any materially significant related party transactions with the Directors or the Senior Management Personnel or their relatives for the year ended 31st March, 2017 that has potential conflicts with the interest of the company.

Necessary disclosures have been made under the Accounting Standards 18 relating to the Related Party Transactions forming part of the Accounts for the year 2016-17.

(ii) It is reaffirmed that no penalties, strictures have been imposed by any statutory body.

(iii) Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism:- Consequent upon the mandate of the DPE's MoU Task Force for inclusion of Compliance of CG Norms, inter-alia, establishing a whistle blower mechanism also as one of the Dynamic Parameters, the Company has put in place the Whistle Blower Policy /Vigil Mechanism which was approved by the Board.

(iv) The Company has been meticulously following the presidential directives and other guidelines issued by the Department of Telecommunications and the Department of Public Enterprises from time to time.

(v) During the year, no expenditure is debited to the books and accounts which are not for the purpose of business expenditure and no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and Top Management.

(vi) Disclosure of Accounting Treatment: Company follows the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India in the preparation of Financial Statements. Company has not adopted a treatment different from that prescribed in any of the Accounting Standard.

(vii) Items of expenditure debited in Books of Accounts / Other Expenses and details of Administrative and other financial expenses are given in the Financial Statements and Notes to Accounts.

(viii) Chairman's Speech at AGM is also distributed to the Shareholders who attended the Annual General Meeting of the Company and the same is also displayed on the website of the Company.

(ix) Management Discussion and Analysis Report forms part of the Directors' Report 2016-17.

(x) Pursuant to DPE Guidelines, the 'Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management' of the company has been laid down by the BBNL Board and the same has been implemented in BBNL. The said code has been circulated to all concerned and the same is also hosted on the website of the Company. The Board members and Senior Management Personnel of the Company have affirmed compliance with the provisions of the said Code of Conduct for the Financial Year ended 31st March, 2017. A declaration in this regard by Chairman-cum-Managing Director of the Company is annexed with the report:

11. Means of Communication

Annual financial statements, new releases, tenders and career opportunities etc., are placed on the Company's website.

Posting of information on the website of the Company: - The Company's website www.bbnl.nic.in is a user friendly site, containing all the latest developments.

Annual Report of the Company containing inter-alia, Audited Accounts, Directors Report, Independent Auditors Report and replies of management thereto, on Comments and Review of the C & AG of India are circulated amongst all the Members and other entitled thereto, as enunciated in the Companies Act, 2013 and also laid before the Houses of the Parliament.

12. Training of Board of Members:

The new Directors are given orientation and induction regarding Company's vision, core value including ethics, financial matters, business operations, and risk matters. The normal practice is to furnish booklets, brochures, Annual report, MOU signed with administrative ministry,

Memorandum & Article of Association of the Company, guidelines on Corporate Governance etc.

13. Shareholding by the Directors and Stock Options:

Being a nearly hundred percent Government Owned Company, 99.99% shares are held by the President of India through Ministry of Communications, Department of Telecommunications. The Directors are not required to hold any qualification shares.

The Company has not issued any stock options to its Directors/Employees.

14. Certificate on Compliance of Corporate Governance:-

Department of Public Enterprises (DPE) has issued Corporate Governance guidelines applicable for Central Public Sector Enterprises, which has been made mandatory effective from May 2010.

In general, the Company has complied with the mandatory requirement of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE except the requirement relating to minimum number of Independent Directors on the Board of the Company. The Company has taken up the issue with the appointing authority, viz., Government of India which is under the consideration. A certificate to the effect has been obtained from M/s Suresh Kumar & Associates, Company Secretaries which forms part of the Report.

The Certificate on Compliance of Corporate Governance Norms

To

The Members,

M/s Bharat Broadband Network Limited
Room No. 306, 3rd Floor C-Dot Campus,
Mandi Gaon Road, Mehrauli,
New Delhi – 110030

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance of M/s Bharat Broadband Network Limited for the financial year ended 31st March, 2017, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance Norms for Central Public Sector Enterprises, as enunciated by the Department of Public Enterprises (DPE).

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as laid down in the guidelines. Our Report/ Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance Norms as stipulated in the DPE Guidelines, except for the appointment of Independent Directors on the Board of the Company, as required under the DPE Guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Suresh Kumar & Associates
Company Secretaries

Suresh Kumar
M No. 7840
CP No. 8789

Date : 30.11.2017
Place : New Delhi

ANNEXURE-C

Management Discussion and Analysis Report

i) Industry Structure and Developments

Proliferation of broadband services in the rural areas of the country is seen as a key driver for economic growth. Number of studies done world-wide and in India have shown a strong correlation between broadband penetration and economic well-being of the rural population. Optical Fibre is considered the primary communication media for broadband services. Whether it is 4G data services, Cable TV services or e-Health, e-Education etc., optical fibre through its ability to carry virtually unlimited bandwidth provides the most viable medium for carrying the digital signals.

Analysis of data received from industry suggests that the optical fibre has reached up to the District and Block level. At the Block level, it is predominantly the CPSUs which have the largest presence, while most of the private players are present up to the District level. Rural areas are by and large are deprived of optical fibre connectivity. Due to lack of business case in rural areas for private operators, there has hardly been any investment done in taking the broadband services up to the rural areas.

In order to bridge the digital divide that exists between rural and urban areas of the country Government intervention was inevitable. In this context NOFN (now BharatNet) as a national asset was initiated to provide the missing OFC network up to the 2,50,000 Gram Panchayats in the country to enable service providers (Government as well as Private sector) to create last mile connectivity and provision their services in rural areas. Non-Discriminatory Access to all the service providers to the network is one of the key tenets of the project.

ii) SWOT Analysis

A SWOT analysis of BBNL is presented below:

Strengths:

- Strong commitment and funding from the Government.
- Availability of highly experienced and technically sound manpower from Government pool.
- Availability of established field proved processes and specifications for laying the OFC network.
- Strong support from State Governments in terms of free RoW and infrastructure at GPs.
- Participation of States in implementation of Phase-II.

Weaknesses:

- Problems of rural areas like power, theft and connectivity may strain the performance of the network.
- Poor health of existing fiber network in some of the areas may impact the SLAs.
- Multi-agency implementation model leads to coordination issues specifically with respect to vast geographies that need to be covered under NOFN.
- O&M challenges due to vast geographical spread and coordination with multiple agencies.
- BBNL being relatively newer organization, the organizational setup is not yet fully established.
- Lossy fibre

Opportunities

- Low broadband penetration means huge untapped demand.
- Growing demand for data and video will spur demand for high bandwidth.
- Due to impetus from Digital India initiatives, high demand expected for G2C and B2C services.
- Business imperatives in rural areas will favour proliferation of B2C and B2B services.
- Government vision of Broadband as basic infrastructure for service delivery.

Threats

- Rural Ecosystem is not mature which may result in low uptake threatening the viability of the project.
- Availability gap of affordable bandwidth from District to Block segment.
- Lack of digital literacy, affordable devices and adequate content in local language.
- Low purchasing power in rural areas may put pressure on revenues due to uncertain demand.

iii) Segment wise or product wise performance

BBNL is operating only in one market segment ie offering bandwidth and dark fiber from its network. BBNL's offering to market under the BharatNet project is of wholesale bandwidth to be offered to service providers on a Non-Discriminatory basis. The bandwidth is being offered under different plans suitable to cater to the market needs. BBNL is also offering BharatNet fibre on the incremental cable being laid to various service providers/ stakeholders on lease. This fibre may be used by the service providers to bridge the connectivity gap in their network.

Considering the wide reach of BSNL in rural areas and also BSNL being the O&M agency for BBNL's network, a revenue sharing arrangement (RSA) has been reached with BSNL whereby BSNL will market the services of BharatNet in the rural areas using BharatNet and the revenue earned will be shared between BSNL and BBNL.

BBNL is also strengthening its marketing function to understand the needs of LCOs, MSOs etc and create offerings suitable to their requirements.

iv) Outlook

a. Company is currently in the project execution mode. The workfront for the project has been increased from 1,00,000 GPs to 1,25,000 GPs by additional work front in the first phase of BharatNet. In the Phase-II, an Optimal mix of underground OFC, aerial OFC, radio media using existing and new towers, along with satellite media has been envisaged to provide connectivity to 1,25,000 GPs in the second phase of BharatNet. The future proofing of the network by implementing ring architecture may be done after completing Phase-II with approval of the Government. The provisioning of horizontal connectivity to the Governement institutions is to be carried out by the State Governments from its own funds.

b. WiFi hotspots will be provided in each GP and the connectivity will be extendable to other villages by the service providers. This would be funded through Viability Gap Funding (VGF) by USOF.

c. BSNL will utilize BharatNet infrasturcture to market broadband services & dark fibers under a revenus sharing arrangement with BBNL.

v) Risks and Concern

Risk Management is an integral part of the Company's business strategy. The risk management process is governed by the Enterprise Risk management framework. The Risk Management oversight structure includes Committees of the Board and Senior Management Committees. The Risk Management Committee of the Board ("RMC") reviews compliance with risk policies, monitors risk tolerance limits, reviews and analysis risk exposure related to specific issues and provides oversight of risk across the organization. The RMC nurtures a healthy and independent risk management function to inculcate a strong risk management culture in the Company. A Risk management Committee has been constituted by BBNL Board to address these issues. The Committee has formulated a Risk Management Policy framework for BBNL.

vi) Internal Control Systems and their Adequacy

The Company's internal control system is designed to ensure operational efficiency, protection and conservation of resources, accuracy and promptness in financial reporting and compliance with laws and regulations. The internal control system is supported by an internal audit process for reviewing the adequacy and efficacy of the Company's internal controls, including its systems and processes and compliance with regulations and procedures. Internal Audit Reports are discussed with the Management and are reviewed by the Audit Committee of the Board which also reviews the adequacy and effectiveness of the internal controls in the Company.

vii) Discussion on financial performance with respect to operational performance:

The brief financial results are given below:

Particulars	Amount in INR	
	For the year ended 31st March, 2017	For the year ended 31st March 2016
Revenue from Operations	32,24,500	41,33,354
Other Income	1,06,00,61,543	12,89,45,157
Total Revenue	**1,06,32,86,043**	**13,30,78,511**
Employee's Remuneration and Benefits	4,64,86,754	2,42,42,488
Finance cost	43,07,166	29,20,761
Depreciation and amortisation expense	50,01,242	5,70,12,102
Administrative, operating and other expenses	72,29,72,554	8,55,43,903
Total Expenses	**77,87,67,716**	**16,97,19,254**
Profit / (Loss) before prior period items and tax	28,45,18,327	(3,66,40,743)
Prior period items	(34,31,885)	(1,99,56,412)
Profit / (Loss) before Tax	28,10,86,442	(5,65,97,155)
Tax Expense		
Current Tax expense for current year	7,91,15,040	-
Current Tax expense relating to prior period	-	16,40,967
Deferred Tax	(2,65,09,084)	2,60,73,766
Profit / (Loss) after Tax	**22,84,80,486**	**(8,43,11,888)**
Earnings per share		
Basic	3.81	(1.41)
Diluted	3.81	(1.41)
Transferred to General Reserve	**5,00,00,000**	**-**

viii) Material developments in Human Resource, Industrial Relations front, including number of people employed

Your Company has been organized and properly structured to meet the present day requirements. The guiding principle is to keep the organization Lean and Flat. The organization is built around three Branches – Finance, Planning and Operations. In order to meet the revised organizational needs IIM, Ahmedabad has been selected to carry out the restructuring of organization and process re-engineering. The report through has been delayed but is expected soon. The organization chart of BBNL is as follows:

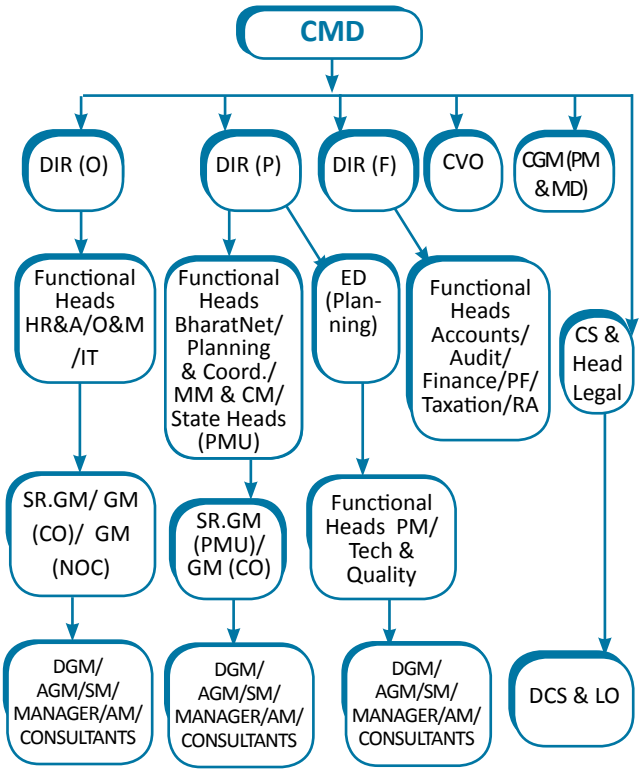

BBNL is a nascent organisation and is growing as per its need. As on 31st March 2017, your Company had strength of the employees as per details given below:

Level	Working (Total)	SC/ST	OBC	General	Women	SC/ST	OBC	General
Level – 1	85	12	0	73	2	0	0	2
Level – 2	31	3	7	21	7	2	0	5
Total	**116**	**15**	**7**	**94**	**9**	**2**	**0**	**7**

ix. Environmental Protection and Conservation

BBNL affirms its commitments towards Environmental Protection and conservation.

x) Accomplishments

BharatNet is a vast and complex project. As per the phase-wise implementation strategy approved by Telecom Commission, 1,00,000 GPs were targeted to be lit by March 2017. However, due to unforeseen circumstances, including default by the supplier of GPON equipment, the target could not be fully met. In order to reach this target, additional work front of 25,000 GPs was made through decentralised procurement process. To speed up the progress of the project a number of othersteps have been initiated in 2016 such as decentralized resource procurement, decentralized decision making and monitoring through mobile application etc.

Accomplishment of Phase-I: Currently, out of 1,25,000 GPs taken up in Phase-I (including additional work front of 25,000 GPs), the duct/pipe has already been laid in 1,13,469 GPs, OFC laid in 1,08,237 GPs (250197 kms), equipment installed in 1,00,364 GPs, service ready in 96,039 GPs and service opened in 59,124 GPs. The complete work of Phase-I of Kerala, Karnataka, Chandigarh and Puducherry has already been completed.

Monitoring: The project has been continuously monitored at the highest level in Government of India. The Minister of State for Communications (Independent Charge) & Railways has reviewed the project on many occasions. The controller of communication accounts, a field unit of DOT is the designated monitoring authority of BharaNet. BBNL has developed a mobile app for the state of the art monitoring of various activities involved in execution of the project. The state-level committees of BBNL and BSNL, the steering committee headed by Administrator USOF and the Empowered Committee headed by Secretary (Telecom) have met through out the last year to ensure speedier implementation.

Bharatnet Phase-II: In order to address to short comings of Phase-I, a modified Implementation strategy was approved by the Union Cabinet on 19.07.2017. BBNL worked relentlessly and in about one and a half month of date of such approval, evaluated the DPRs of 7 states. The memorandum of understanding has been signed with 4 states and the mobilisation funds have been released to 2 states. The BBNL tender for states has been issued on 15.12.2017. A number of meetings have been held with BSNL and PGCIL for implementation of CPSU led model in 10 states and the arrangement is likely to be finalised soon.

Funding arrangement: The existing funding arrangement with USOF has been extended by 3 years up to 2020.

Affordable tariff: In order to spur the demand and utilisation of BharatNet assets, BBNL provided a very affordable tariff for both dark fibers on its network and the bandwidth from block to GP.

Utilisation of network: A national conference on utilisation of Bharatnet was held at Vigyan Bhawan on 13.11.2017 where 4 national level TSPs committed about ₹18 Cr for the services of BBNL.

O&M Arrangement: The arrangement was finalised with BSNL. For the work area of Railtel & PGCIL, the arrangement is likely to be finalised soon.

FTTH Connections: BBNL has tied up with BSNL to provide broadband connectivity to rural customers at affordable tariffs. After a GP is lit free internet services for 6 months are provided through a FTTH connection from BSNL.

Wi-Fi Hotspots: BBNL has also collaborated with CSC SPV to provide Wi-Fi services in the Gram Panchayats in various states.

Impact Assessment of BharatNet: An impact assessment of BharatNet through IIM-Kozhikode in the state of Kerala suggest the project making positive impact on the lives of citizens in rural areas.

Project review by Parliamentary Committees: The Standing Committee on Information Technology, the Committee on Public Undertakings (COPU) and the Committee on Government Assurances (Lok Sabha) reviewed the progress of BharatNet during their meetings including at Delhi, Mumbai, Thiruvananthapuram, Shimla, etc.

xi. Technology Development Initiatives

Key initiatives in technology development underway include:

- Development of Main Data Centre at Delhi and DR Data Centre at Bengaluru for hosting IT infrastructure and Network Operation Centre.
- Development of Network Management System (NMS) by CDOT for monitoring of the entire NOFN network. The NMS system was deployed in geographical high availability architecture with Main and DR Data Centers. NMS System provided Fault Management, Trouble Ticketing, Performance Management, Inventory Management, Service Provisioning capabilities along with integration with GIS system for Live Monitoring of Electronics on GIS Map.
- Development of Planning Tool by CDOT for GPON Network
- Development of Centralized Geographical Information System by NIC using approx. 5400 Sheets purchased from Maps of India. For ongoing Fiber Network & GPON System roll-out, GIS system is capturing details of Outside Plant features, Fiber Routes and storing As-Built Diagrams.
- Development of Mobile App for Project Management System for aiding the planning & managing Project activities.
- Development of Fibre Fault Localization System by C-DOT
- Development of radio/satellite based communication by IIT Bombay
- Advance funding to various states for carrying out the survey of electricity poles for laying of Aerial OFC by the States

xii. Renewable energy developments

BBNL operates in rural areas and understands the need for use of renewable energy. It has decided to use Solar Panel power system for all ONTs located in Gram Panchayats.

xiii. Foreign Exchange conservation

BBNL is helping conserve Foreign Exchange by adopting Preferential Market Access as decided by the Government.

xiv. Corporate Social Responsibility (CSR)

Your company has not yet commenced commercial operations. However, the company now is covered under the purview / criteria of Corporate Social Responsibility (CSR) as mentioned in the Companies Act 2013. Although CSR activities have not been taken up, but the company has formed a CSR sub-committee of the Board, and will soon take up the appropriate activities under CSR.

ANNEXURE-D

Declaration Regarding Compliance with the Code of Conduct

I hereby declare that the Company has received affirmation from the Board Members and the Senior Management Personnel with regard to Compliance of the Code of Business Conduct and Ethics of the Company for Directors and Senior Management Personnel, in respect of the financial year ended on 31st March, 2017.

Bharat Broadband Network Limited
For and on behalf of the Board of Directors

Sanjay Singh
Chairman-Cum-Managing Director
DIN-07484614

Date: 20.12.2017
Place: New Delhi

ANNEXURE-E

Certification/declaration on financial statements by the Chief Executive/Chief Finance Officer of the Company

We Sanjay Kumar Singh, Chairman-cum-Managing Director and Manoj Anand, Director (Finance) & CFO of Bharat Broadband Network Limited certify that in respect of the Financial Year ended on 31st March 2017:

(1) We have reviewed financial statements for the year and that to the best of our knowledge and belief:

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading; and

(ii) these statements together present a true and fair view of the company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(2) There are to the best of our knowledge and belief, no transaction entered into by the Company during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Company's code of conduct.

(3) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we are aware and the steps taken or proposed to be taken to rectify the same.

(4) We have indicated, wherever applicable, to the Auditors and the Audit Committee.

a. significant changes if any in internal control over financial reporting during the year;

b. significant changes if any in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

c. instances of significant fraud, if any wherein there has been involvement of management or an employee having a significant role in the company's internal control system over financial reporting.

Sanjay Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN-07484614

Manoj Anand
Director (Finance)
DIN-07583289

Date: 20.12.2017
Place: New Delhi

Form No. MR-3 **ANNEXURE - F**

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2017

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members

Bharat Broadband Network Limited
Room No. 306, 3rd Floor, C-Dot Campus
Mandi Gaon Road, Mehrauli
New Delhi-110030

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bharat Broadband Network Limited** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Bharat Broadband Network Limited** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2017 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **Bharat Broadband Network Limited** ("the Company") for the financial year ended on 31st March,2017 according to the provisions of:

i) **The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;**

ii) **Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings – (not applicable to the Company during the audit period)**

iii) **OTHER APPLICABLE ACTS:**

a) Payment of Wages Act, 1936, and rules made thereunder,
b) Employees' State Insurance Act, 1948, and rules made thereunder,
c) The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, and rules made thereunder,
d) Payment of Gratuity Act, 1972, and rules made thereunder,
e) The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970,
f) Telecommunication and Regulation Act of India, 1997
g) Maternity Benefit Act, 1981
h) Service Tax and Income Tax Act.

We have also examined compliance with the applicable clauses/guidelines of the following:

1. **DPE guidelines**
2. **Secretarial Standards Issued by The Institute of Company Secretaries of India**

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

In respect of Appointment of Independent directors, we wish to inform that the composition of the Board and its sub-committees during the year is not in accordance with the provision of Section 149 of Companies Act, 2013 as the Company does not have any Independent Directors on its Board.

We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors subject to our above-mentioned observation relating to non-appointment of Independent Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **'ANNEXURE A'** and forms an integral part of this report.

For J. K. Gupta & Associates

Jitesh Gupta
FCS No. 3978
C P No.: 2448

Place: Delhi
Date: 30.11.2017

'ANNEXURE – A'

To,

The Members

Bharat Broadband Network Limited
Room No. 306, 3rd Floor,
C-Dot Campus, Mandi Gaon Road,
Mehrauli, New Delhi-110030

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have relied on the Internal Auditors Report of **M/s Thakur, Vaidyanath Aiyar (Chartered Accountants)** for the period under review; hence we have verified the correctness and appropriateness of Statutory/Legal Compliances on sample basis. The qualifications/Observations mentioned in their Audit report also forming part of this report.

4. We have relied on the Statutory Auditors Report of **M/s Rawla & Co. (Chartered Accountants)** for the period under review; hence we have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company. The qualifications/Observations mentioned in their Audit report also forming part of this report.

5. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

6. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For J. K. Gupta & Associates

Jitesh Gupta
FCS No. 3978
C P No.: 2448

Place: Delhi
Date: 30.11.2017

Independent Auditor's Report

To

The Members of

Bharat Broadband Network Limited

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

We have audited the accompanying Financial Statements of Bharat Broadband Network Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2017, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement of the Company for the year 2016-17 and a summary of accounting policies and other explanatory information.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Accounting principles generally accepted in India including Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with relevant rules issued thereunder from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities, selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent and also design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material miss-statement, whether due to fraud or error.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material miss-statement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

OPINION

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as on March 31st, 2017 and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following notes to the financial statement which describes the impact on the financial statements. Our opinion is not modified in respect of these matters.

a) Refer Note 9 (ii)

The final bills are not received from executing agencies and the capitalization is done on the basis of information available with the company. In case of any variation, the same shall be adjusted in the year of final settlement.

b) Refer Note 10 (iii)

The percentage of overhead cost taken towards capitalization of assets is taken as 3% of capex based on current trend of expenditure taking into account

the future increase in Salary and Administrative Expenditure.

c) Refer Note 17

BBNL has also entered into a revenue sharing arrangement (RSA) with BSNL for better utilization of its network. The BBNL revenue share is presently not determinable as the appropriate codes in the billing software of BSNL are yet to be created. This revenue will be recognized in the year of settlement / receipt.

d) Refer Note 18

The company has recognized other income amounting to Rs 100.41 Crores since inception (₹ 21.46 crores upto 31.03.2016 and ₹ 78.95 crores for financial year 2016-17) which represents the entire operating expenditure (Net Opex) net of revenue as per the modified implementation strategy of BharatNet approved by the Union Cabinet on 19.07.2017.

e) Refer Note 35

Balances under the various heads Trade receivable, Trade Payable, deposits, loans, and advances payable to or by third parties are subject to confirmation and reconciliation.

Adjustment that may arise on account of final settlement of accounts with various customers, suppliers and others as their balances are subject to reconciliation and confirmation.

Effect of the above matters on Income, Expenditure, Assets & Liabilities cannot be ascertained.

Other Matter

The Inventories procured by the company for the purpose of creation of BharatNet assets, has been delivered to the CPSU's. The details of the consumption/utilization/ custody report/certificates from the Executing Agencies CPSU's have not been obtained.

Details of Purchases made by the Implementing Agencies have not been provided.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we give in the Annexure 1, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. We are enclosing our report in terms of Section 143 (5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the Annexure 2 on the directions issued by Comptroller and Auditor General of India, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

   c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

   d) In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rule 2014

   e) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 05th June 2015 issued by Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.

   f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, according to the information and explanation given to us, the company has not yet established its internal financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated in the guidance note on Audit of Internal Financial Controls over Financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Because of this reason, we are unable to obtain sufficient appropriate

audit evidence to provide a basis of our opinion whether the company had adequate internal financial controls over financial reporting and whether such internal financial controls were operating effectively as at March 31st,2017.

We have considered the disclaimer reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of financial statements of the company, and the disclaimer does not affect our opinion on the financial statements of the company.

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) The Company has disclosed the pending litigation in its financial statements in respect of the contingent liability and the Capital Commitments.– Refer Note 28.1 to 28.2

(ii) The Company has made provisions, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts except stated above in our report.

(iii) The Company is not required to transfer any funds to the Investor Education and Protection Fund during the year ended March 31st, 2017.

(iv) The Company has provided requisite disclosures in its financial statements as to holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8th November, 2016 to 30th December, 2016 and these are in accordance with the books of accounts maintained by the Company. Refer Note 34 to the financial statements.

For Rawla & Company
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 001661N

CA Raja Ram Gupta
Partner
M. No. 081279

Place: New Delhi
Date: 15th November, 2017

Annexure 1: To Independent Auditor's Report for the year ended on 31st March, 2017

[Referred in Paragraph 1 of Independent Auditor's Report under the heading "Report on other Legal and Regulatory Requirements "of our Report of even date]

i. a. The Company is maintaining Fixed Assets Registers showing quantitative details and situation of the fixed assets.

b. Physical verification of the assets has not been carried out during the year. However, it is informed that the officers of DOT {Controllers of Communication Accounts} are the designated monitoring authority for BharatNet. They are carrying out the regular physical verification of 10% of the BharatNet assets. However, the impact of verification of the assets has not been considered in the accounts by the management of the company. For corporate office, a periodic system of physical verification of assets is being followed but no policy document is made available to us.

c. As explained to us, the company does not own any immovable property.

ii. The Inventories procured by the company for the purpose of creation of BharatNet assets, has been delivered to the CPSU's. The details of the consumption/utilization/custody report/certificates from the Executing Agencies CPSU's have not been obtained.

Details of Purchases made by the Implementing Agencies have not been provided.

iii. The Company has not granted any loans secured or unsecured to companies, firms, limited liability partnerships or other parties covered in register maintained under Section 189 of the Act.

iv. The company had not granted any loans, guarantees and securities as per provisions of section 185/186 of the Companies Act, 2013.

v. The company has not accepted any deposits from the public, the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act and the rules framed thereunder are not applicable.

vi. The Central Government has not prescribed maintenance of cost records under sub section 1 of section 148 of the Companies Act

vii. a) The company is generally regular in depositing the undisputed statutory dues including provident fund, income tax, vat,excise duty, cess and other statutory dues with the appropriate

authorities except for delay in deposit of TDS and Service Tax in some cases and no undisputed dues outstanding as on 31st March, 2017 for a period of more than six months from the date they become payable.

b) According to information & Explanation given to us, there were no disputed dues in respect of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax and Value Added Tax, Service Tax, duty of Customs, duty of Excise, Cess and other material statutory dues in arrears as at 31st March, 2017.

viii. The Company has not defaulted in repayment of loans or borrowings dues to any financial institutions, banks, government or dues to debenture holders.

ix. The Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loan during the year.

x. No material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.

xi. The Company has paid/ provided for managerial remuneration in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V to the Act.

xii. The Company is not a Nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

xiii. Transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements, as required by the applicable accounting standards.

xiv. The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year.

xv. The Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him.

xvi. The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For Rawla & Company
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 001661N

CA Raja Ram Gupta
Partner
M. No. 081279

Place: New Delhi
Date: 15th November, 2017

ANNEXURE 2

[Referred in Paragraph 2 of Independent Auditor's Report under the heading "Report on other Legal and Regulatory Requirements "of our Report of even date]

Report on directions u/s 143 (5) of Companies Act, 2013 for the year 2016-17

1. Whether the company has clear title deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/ lease deeds are not available.

   - The company does not own any immovable property.

2. Please report whether there are any cases of waiver of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons therefore and the amount involved.

   - No waiver of debts/loan/interest was observed during the year.

3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift from govt. or other authorities?

   - The Inventories procured by the company for the purpose of creation of BharatNet assets, has been delivered to the CPSU's. The details of the consumption/utilization/custody report/ certificates from the Executing Agencies CPSU's have not been obtained. The Executing Agency BSNL has utilized the inventory purchased for the purpose of company during the year without any cost benefit.
   - Details of Purchases made by the Implementing Agencies have not been provided.

For Rawla & Company
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 001661N

CA Raja Ram Gupta
Partner
M. No. 081279

Place: New Delhi
Date: 15th November, 2017

Balance Sheet as at 31st March, 2017

(Amount in ₹)

	Particulars	Note No.	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
A	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Shareholders' Funds**			
	(a) Share capital	3	60,00,00,030	60,00,00,030
	(b) Reserves and surplus	4	17,59,94,160	(5,24,86,326)
			77,59,94,190	**54,75,13,704**
2	**Non-current Liabilities**			
	(a) Deferred Tax liabilities (Net)	5	-	2,65,09,084
	(b) Other long-term liabilities	6	22,54,280	29,64,21,988
			22,54,280	**32,29,31,072**
3	**Current Liabilities**			
	(a) Trade Payable	7	1,89,60,01,551	1,82,81,51,575
	(b) Other Current liabilities	8	77,74,42,86,758	46,49,88,44,145
			79,64,02,88,309	**48,32,69,95,720**
	TOTAL		**80,41,85,36,779**	**49,19,74,40,496**
B	**ASSETS**			
1	**Non-current Assets**			
	(a) Property, Plant and Equipment	9	70,041	25,14,20,776
	(b) Intangible assets	9	232	6,63,05,547
	(c) Capital work-in-progress	10	18,13,47,60,387	21,05,57,41,583
			18,13,48,30,660	**21,37,34,67,906**
	Long-term loans and advances	11	30,00,30,11,585	19,90,06,79,676
	Other Non Current Assets	12	-	50,01,242
			30,00,30,11,585	**19,90,56,80,918**
2	**Current Assets**			
	Trade Receivables	13	47,19,816	1,40,08,290
	Cash and Bank Balances	14	19,61,19,23,097	5,72,77,64,476
	Short-term loans and advances	15	1,63,51,37,274	33,73,91,025
	Other Current Assets	16	11,02,89,14,347	1,83,91,27,881
			32,28,06,94,534	**7,91,82,91,672**
TOTAL			**80,41,85,36,779**	**49,19,74,40,496**
Summary of Significant Accounting Policies		2		
The accompanying notes are an integral part of the financial statements				

As per our Report of even date attached.
For Rawla & Company
Chartered Accountants
FRN 001661N

Raja Ram Gupta
Partner
M.No. 081279

Date : 15th November, 2017
Place : New Delhi

For and On Behalf of Bharat Broadband Network Limited

Sanjay Singh
Chairman & Managing Director
DIN : 07484614

Vinod Kumar
Chief General Manager (Accounts)

Manoj Anand
Director (Finance)
DIN : 07583289

Avinash Chandra Upadhyay
Company Secretary & Head Legal
M.No. F4324

Statement of Profit and Loss

For the year ended 31st March, 2017

(Amount in ₹)

Sr. No.	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March, 2017	For the year ended 31st March, 2016
1	Revenue from Operations	17	32,24,500	41,33,354
2	Other Income	18	1,06,00,61,543	12,89,45,157
3	**Total Revenue (1+2)**		**1,06,32,86,043**	**13,30,78,511**
4	**Expenses**			
	a) Employee's Remuneration and Benefits	19	4,64,86,754	2,42,42,488
	b) Finance costs	20	43,07,166	29,20,761
	c) Depreciation and amortisation expense	9	50,01,242	5,70,12,102
	d) Administrative, Operating and Other Expenses	21	72,29,72,554	8,55,43,903
	Total Expenses		**77,87,67,716**	**16,97,19,254**
5	**Profit / (Loss) before Prior Period items and tax (3-4)**		28,45,18,327	(3,66,40,743)
6	Prior Period Items	22	(34,31,885)	(1,99,56,412)
7	**Profit / (Loss) before tax (5 + 6)**		28,10,86,442	(5,65,97,155)
8	**Tax Expense:**			
	a) Current tax expense for current year		7,91,15,040	-
	b) Current tax expense relating to prior period		-	16,40,967
	c) Deferred tax		(2,65,09,084)	2,60,73,766
			5,26,05,956	2,77,14,733
9	**Profit / (Loss) after tax (7 -8)**		**22,84,80,486**	**(8,43,11,888)**
10	**Earnings Per Share :**	31		
	a) Basic		3.81	(1.41)
	b) Diluted		3.81	(1.41)
	Summary of Significant Accounting Policies	2		
	The accompanying notes are an integral part of the financial statements			

As per our Report of even date attached.

For and On Behalf of Bharat Broadband Network Limited

For Rawla & Company
Chartered Accountants
FRN 001661N

Raja Ram Gupta
Partner
M.No. 081279

Sanjay Singh
Chairman & Managing Director
DIN : 07484614

Manoj Anand
Director (Finance)
DIN : 07583289

Vinod Kumar
Chief General Manager (Accounts)

Avinash Chandra Upadhyay
Company Secretary & Head Legal
M.No. F4324

Date : 15th November, 2017
Place : New Delhi

Notes Forming Part of the Financial Statements for the Year Ended 31st March 2017

1. COMPANY PROFILE - BHARATNET PROJECT

1.1 The Company is owned by the Government of India with registered Corporate Office at New Delhi. The company was incorporated on 25th February 2012 under the Companies Act 1956 as a Public Sector Company with limited liability by shares and was set up as a Special Purpose Vehicle (SPV), to install National Optical Fibre Network (NOFN) **now BharatNet**, as per Government of India decision dated 25.10.2011 for providing broadband connectivity to approximately 2,50,000 Gram Panchayats (GPs) in India.

1.2 The creation of BharatNet and maintenance thereof shall be fully funded by Universal Service Obligation Fund (USOF). The company accordingly, entered into an agreement on 25.02.2014 with the President of India, acting through the Administrator USOF and BBNL to set up, provide (i.e. procure, install, test, commission), operate, maintain and manage OFC transport network and associated infrastructure required for effective provision of bandwidth on non-discriminatory basis in all the 2,50,000 GPs of India.

1.3 The USOF shall provide grant / subsidy to BBNL for the entire Capital Expenditure (Capex) and Net Cost of Operating Expenditure (Opex) net of Revenue for a period of five years w.e.f. 25.02.2012 for creation, operation and maintenance of BharatNet. The period has since been further extended by another 3 years up to 2020.

1.4 For the implementation of BharatNet, BBNL has entered into Memorandum of Understanding/ Agreement separately with Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) and Railtel Corporation of India Limited (RAILTEL). Separate MOU / Agreement was made with Centre for Development of Telematics (C-DOT) for Network Management System (NMS) and NIC for implementation of Geographic Information Science (GIS).

1.5 The Government of India approved on 19.07.2017 a modified implementation strategy for BharatNet whereby direct connectivity from block headquarters to Gram Panchayat is envisaged using OFC (underground and aerial), radio and satellite. The implementation of the project is through – state-led, CPSU-led and private sector-led models. Specific provision for replacement of lossy fiber, last mile connectivity and operation and maintenance of the network have been made.

1.6 The phase-I of BharatNet was approved for 1,00,000 GPs and subsequently additional work front of another 25,000 GPs was approved by Telecom Commission. The Phase-II of BharatNet is approved for 1,50,000 GPs out of which 25,000 has already been taken up as additional work front. The revised target for entire BharatNet is 31.03.2019.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1 BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

a. The financial statements have been prepared and presented in accordance with the generally accepted accounting principles in India (Indian GAAP) under the historical cost convention.

b. The financial statements have been prepared to comply in all material respects with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules 2016 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013.

c. The Company follows the mercantile system of accounting and recognizes income and expenditure on an accrual basis except stated otherwise.

d. The accounting policies applied by the Company are consistent with those used in the previous year except stated otherwise.

2.2 USE OF ESTIMATES

The preparations of financial statements requires / are made using estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, revenue and expenses during the reporting period. Although such estimates and assumption are made on a reasonable and prudent basis taking into account all available information, actual results could differ from these estimates &

assumptions and such differences are recognized in the period in which the results are crystallized.

2.3 Revenue Recognition

Income from services is accounted for on accrual basis and in conformity with Accounting Standard – 9. Accordingly,

a) Revenue for all services is recognized when earned and are realizable at the time of billing. Un-billed revenues from the billing date to the end of the year are recorded as accrued revenue during the period in which the services are provided. Provisions are made in respect of bills considered to be disputed (by the management), debts outstanding for more than two years and for debts due for less than two years, to the extent considered necessary by the management.

b) Sale proceeds of scrap arising from maintenance and project works are taken into miscellaneous income in the year of sale.

c) Wherever there is uncertainty in realization of income, such as liquidated damages, claims on Government Departments & Local Authorities etc., these are recognized on realization basis.

d) The subsidy receivable from USOF on account of net cost of Operating Expense (Including administrative expense) net of revenue streams, of BharatNet, is accounted for as other income in the financial year in which it is accrued.

e) The interest earned on funds, other than the interest on funds received from Universal Service Obligation Fund (USOF) for creation of BharatNet, is recognized as other income on accrual basis.

2.4 Property, Plant and Equipment

a) The tangible assets are stated at cost net of capital subsidy received for creation of that from USOF. Such assets are shown in books at nominal value of ₹1/- as below:

1.1 The cable system is represented in terms of OFC kms as ₹1/- per km.

1.2 The equipment is represented in terms of ONTs as ₹1/- per ONT.

1.3 The all other assets are also reflected as ₹1/- per unit.

b) Optical Fibre Cable network are capitalized to the extent Acceptance Testing (A/T) of OFC is done. GPON equipment of BharatNet are capitalized as and when the network links between Optical Line Terminal (OLT) and Gram Panchayat are commissioned after successful Acceptance Testing (A/T).

c) Cost of fixed assets which are not yet ready to use on the date of Balance Sheet are disclosed under "Capital Work- in- Progress".

The cost of capital work in progress includes

(i) The cost of stores and materials issued to project, and

(ii) The cost of PLB duct and the cost of trenching, laying works as reported by executing agencies as utilized for the BharatNet.

(iii) Establishment and other expenses including employee remuneration and benefits of Project Management Units of States, Planning Branch of corporate office and proportionate cost of Finance Branch of Corporate Office, etc

The cost of capital work in progress is reduced by

(i) The liquidated damage received from vendors.

d) Expenditure on replacement of tangible assets, equipment, instruments and rehabilitation works is capitalized if, in the opinion of the management, it results in enhancement of revenue generating capacity.

e) The intangible assets are stated at cost net of capital subsidy received from USOF. The same is shown at nominal value of ₹1/- per unit.

f) Network Management System / Network Operating Centre and Data Centre are capitalized when the same becomes ready for use after successful Acceptance Testing.

g) The percentage of overhead cost towards capitalization of assets is considered as 3% of capex based on current trend of expenditure

and also taking into account the future increase in Salary and Administrative Expenditure.

2.5 Depreciation / Amortization

a) In terms of the accounting policy, the Property, plant and equipment are being shown at a nominal value and accordingly no annual deprecation is applicable on assets created from grant/subsidy received from USOF/DOT.

b) Preliminary Expenses are amortized over the period of five years as per straight line method.

2.6 Inventories

Inventories procured for creation, repair and maintenance of asset are valued at cost and transferred to CWIP for creation of BharatNet assets. The cost of inventory is inclusive of all costs incurred up to their present location. The obsolete / non-moving inventories are valued at net realizable value.

2.7 Government Grants

The subsidy/grant relating to depreciable assets is deducted in arriving at the carrying value of the related assets. The government grant received during the year but has not been utilized for creation of tangible/intangible assets is carried forward as long term liability/ other current liabilities as the case may be.

Government subsidy / grant related to revenue (Opex) is recognized in the statement of profit and loss as 'Other Income' on accrual basis.

2.8 Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign currency are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction i.e. on the date of payment or the billing as the case may be.

Foreign currency monetary asset at Balance sheet date is reported at the exchange rate prevailing at the reporting date.

2.9 Leases

Leases are classified as finance or operating leases based on the extent to which risks and rewards incident to ownership of a leased asset lie with the lessor or the lessee and accordingly leased assets and lease payments are recognized in the financial statement.

2.10 Employees' Benefits

A) Short Term Employee Benefits:

Short Term employee benefits are recognized in the period during which the services have been rendered.

Medical Benefits

Medical reimbursements and other personal claim bills of employees are accounted for on actual basis in respect of bills received till finalization of accounts.

B) Long Term Employee Benefits:

Defined Contribution Plan:

i) Pension Contribution (including gratuity)

The Government employees and employees of other Public Sector Companies on deputation, who are governed as per extant Government Rules on the subject, are eligible for pension from the Government, which is a defined contribution plan. The company makes monthly contribution towards pension (including liability on account of gratuity) at the applicable rates as per Government Pension Rules and FR & SR, to the Government and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss.

ii) Employees' Provident Fund

For employees of other Public Sector Companies on deputation who are governed by EPF Act the Company remits Employer's Contribution and related administrative charges at a predetermined applicable rate of employees' basic salary and dearness allowance to concerned other Public Sector Companies, and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss.

For employees recruited by BBNL who are governed by EPF Act, the Company remits Employer's contribution and related administrative charges along with employees' contribution to EPFO. The employer's contribution and administrative charges are expensed in the Statement of Profit & Loss.

iii) Contribution for Leave Salary

For Government Employees and other Public Sector Companies on deputation, Leave salary contribution is paid by BBNL to Government

/ other Public Sector Companies for the deputation period in accordance with FR115(b) of FR & SR and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss. Consequently the leave salary payable for those on deputation during the period of leave rests with Government / other Public Sector Companies. Further any leave encashment either before or after quitting service / retirement is also the responsibility of Government / other Public Sector Companies.

iv) Gratuity

For employees on deputation from other Public Sector Companies who are governed by Payment of Gratuity Act 1972 the company remits contribution towards gratuity to other Public Sector Companies and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss.

v) Post- employment Benefits to employees recruited by BBNL

Gratuity: Provision is made for gratuity as per Payment of Gratuity Act 1972.

Contribution for Leave Salary: Provision in respect of Leave salary to be paid as post-employment benefit is made in accordance with FR115 (b) of Fundamental Rules & Supplementary Rules and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss. FR 115(b) is applicable to Central Government employee

As per guidelines issued by Department of Public Enterprise, Government of India Superannuation benefits shall be 30% of Basic Pay plus DA.

For the employees recruited by BBNL, the Company contributes Employer's contribution @ 12% and @ 4.81% of Basic & DA for EPF & for Gratuity respectively. For the balance superannuation benefits the company is yet to frame policies. Pending framing and approval balance superannuation benefits the Company makes provision @ 13.19% of Basic & DA of the employees.

2.11 Prior Period Items

Income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements of one or more prior periods are recognized as prior period items in the Statement of Profit & Loss.

2.12 Taxes on Income

Taxes on Income for the current period are determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.

In accordance with the AS-22, Deferred Tax Liability / Asset is recognized on the timing differences between accounting income and the taxable income for the period taking into consideration the contents of Accounting Standard Interpretations 3 and quantified using the tax rates in force or substantively enacted as on the reporting date.

Deferred Tax Assets are recognized and carried forward to the extent there is a virtual certainty that such deferred tax assets can be realized.

2.13 Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation as a result of past events; it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and the amount has been reliably estimated.

2.14 Contingent Liabilities

Liabilities, though contingent, are provided for if there are reasonable chances of maturing such liabilities as per management. Other contingent liabilities, barring frivolous claims, not acknowledged as debts, are disclosed by way of notes.

2.15 Earnings Per Share

Earnings per share ("EPS") comprises the Net Profit After Tax (excluding extraordinary income net of tax). The number of shares used in computing Basic & Diluted EPS is the weighted average number of shares outstanding during the year.

2.16 Segment Reporting

There is only one primary segment which is provision of long distance service i.e. provision of bandwidth on sharing basis through BharatNet.

3. SHARE CAPITAL

(a) Authorized (Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
100,00,00,000 (P.Y. 100,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
	10,00,00,00,000	**10,00,00,00,000**
Issued, Subscribed and Fully Paid Up		
6,00,00,003 (P.Y. 6,00,00,003) Equity Shares of ₹ 10/- each	60,00,00,030	60,00,00,030
Total of issued, subscribed and Fully Paid up Share	**60,00,00,030**	**60,00,00,030**

(b) Reconciliation of number of shares

Particulars	As at 31st March 2017		As at 31st March 2016	
	Number of shares	Amount in ₹	Number of shares	Amount in ₹
Balance at the beginning of the year	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030
Add: Issued during the year	0	0	0	0
Balance at the end of the year	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030

(c) Details of shares held by shareholders having more than 5% shares in the Company

	Percentage of holding	As at 31st March, 2017	Percentage of holding	As at 31st March, 2016
Central Government	99.99 %	6,00,00,000	99.99 %	6,00,00,000

- BSNL, PGCIL & RailTel hold one equity share each of ₹ 10/-
- The Company has only one class of equity shares having at par value of ₹ 10/- per share.
- **Vote of members :** Every member present in person and being a holder of Equity Share shall have one vote and every person either as a General Proxy on behalf of a holder of Equity Share, shall have one vote and upon a poll every member shall have one vote for every share held by him. On poll the voting rights of holder of Equity Share are specified in Section 47 of the Companies Act 2013.

4. RESERVE AND SURPLUS

(Amount in ₹)

Sr. No.	Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
(a)	**General Reserve**		
	Balance at the beginning of the financial year	3,46,81,834	3,46,81,834
	Add : Transfer from Profit & Loss	5,00,00,000	-
	Balance at the end of the financial year	**8,46,81,834**	**3,46,81,834**
(b)	**Surplus/(Deficit) in Statement of Profit and Loss**		
	Balance at the beginning of the financial year	(8,71,68,160)	(28,56,272)
	Add : Profit / (Loss) for the financial year	22,84,80,486	(8,43,11,888)
	Less : Transferred to General Reserve	5,00,00,000	-
	Balance at the end of the financial year – Surplus/(Deficit)	9,13,12,326	(8,71,68,160)
	Total Reserve and Surplus	**17,59,94,160**	**(5,24,86,326)**

5. DEFERRED TAX LIABILITIES / ASSETS (NET)

(Amount in ₹)

	Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
(a)	**Deferred Tax Liabilities:**		
	Depreciation on fixed assets	-	2,67,67,120
	Others	-	-
	Total (A)	**-**	**2,67,67,120**
(b)	**Deferred Tax Assets:**		
	Provision for Gratuity	3,70,003	12,259
	Leave Encashment	8,46,569	1,11,763
	Superannuation	84,593	1,34,014
	TOTAL (B)	**(13,01,165)**	**2,58,036**
	Net deferred Tax Liabilities (A) - (B)	**(13,01,165)***	**2,65,09,084**

* The deferred tax assets are not recognized as there is no virtual certainty of taxable income.

The Company had earlier followed the accounting policy to consider the grant over a life period of assets and charge depreciation each year but due to change in accounting policy of accounting of tangible and intangible assets, the depreciation is nil in the accounts of the company which is same as under the Income Tax Act. Consequently, now there is no timing difference in depreciation. The net balance of deferred tax liabilities pertaining to depreciation has been reversed and written back in profit and loss account.

6. LONG TERM LIABILITIES

(Amount IN ₹)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
Deferred Capital Subsidy	-	29,54,68,873
Post-employment benefits of own employee	22,54,280	9,53,115
TOTAL	**22,54,280**	**29,64,21,988**

7 TRADE PAYABLE

(Amount IN ₹)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
Due towards micro and small enterprises	-	-
Due towards related parties	-	-
Due towards others	1,89,60,01,551	1,82,81,51,575
Total Trade Payable	**1,89,60,01,551**	**1,82,81,51,575**

8. OTHER CURRENT LIABILITIES

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
Subsidy received from Universal Service Obligation Fund for BharatNet Project[3]	77,55,09,52,028	46,43,14,39,339
TDS & Other Statutory Dues[1]	12,79,59,675	2,99,54,048
Liabilities towards Employees	57,45,673	42,96,458
Payable to Government Departments[2]	5,46,29,897	2,63,87,604
Liability for AGR Based License Fee	4,17,129	21,37,981
Liabilities towards Directors	94,972	70,801
Payable to Others	28,13,666	17,26,032
EMD and Performance Security Deposit	16,73,718	28,31,882
Total Other Current Liabilities	**77,74,42,86,758**	**46,49,88,44,145**

(1) The Executing Agencies have deducted tax at source and payment of service tax, etc under reverse charge mechanism. The company has detail of regular tax compliance made on behalf of BBNL.

(2) Payable to Government Departments" includes amount payable on account of Pension Contribution, Leave Salary Contribution & other recoveries in respect of officers of DOT and absorbed employees of BSNL & MTNL who are on deputation to the Company, to (i) Government Departments ₹4,95,19,780 (P.Y. ₹ 2,29,47,066), (ii) DOT through BSNL ₹ 2,49,011 (P.Y. ₹ 3,79,166) (iii) DOT through MTNL ₹52,188 (P.Y. ₹ 1,813).

(3) The amount of ₹3538,09,57,626 utilized i.e. advances to executing agencies and for purchase of inventory, have not been adjusted from the liability till the capitalization.

(4) The Cenvat credit in respect of excise duty and service tax on procurement by BBNL and through its executing agencies up to 31.03.2017 is ₹ 952,24,79,144/-. This amount is adjustable from the Grant / Subsidy from USOF as the value of assets/CWIP are recognized net of Cenvat credit. The adjustment of this amount will be made in the year of utilization of the Cenvat credit.

(5) The surplus funds of grant / subsidy received from USOF has been kept in short term fixed deposit with bank. The interest earned thereon has been credited to Grant / Subsidy received from USOF as per Significant Accounting Policy followed by the Company. The details of interest are mentioned in Note-10(iv).

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

(Amount in ₹)

Particulars	Opening Balance as at 1st April 2016	Additions	Deletions/ Adjustments	Closing Balance as at 31st March 2017	Grant utilized against Assets created as on 31-03-2017	Assets Valued at Nominal Value*
Property, Plant and Equipment		**During the Year**				
Telecommunication assets	7,62,96,214	18,714		7,63,14,928	7,63,14,927	1
Optical Fibre Cable	0	2586,83,46,543	0	25,86,83,46,543	25,86,82,86,988	59,555
GPON	0	50,49,93,956	0	50,49,93,956	50,49,86,068	7,888
Office Equipment	41,51,898	84,10,232	11,35,400	1,14,26,730	1,14,26,402	328
Electrical Installations & Equipment	26,73,640	10,79,25,000	-	11,05,98,640	11,05,98,477	163
Furniture and Fittings	2,54,54,786	8,23,25,707	3,90,095	10,73,90,398	10,73,89,222	1,176
Computers and Data processing units	20,06,04,400	1,67,60,399	53,43,553	21,20,21,246	21,20,20,319	927
Books	2,22,40,641	-		2,22,40,641	2,22,40,638	3
Total of Property, Plant and Equipment	**33,14,21,579**	**26,58,87,80,551**	**68,69,048**	**26,91,33,33,082**	**26,91,32,63,041**	**70,041**

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (Continued)

(Amount in ₹)

INTANGIBLE ASSETS						
Software	8,90,73,058	29,43,92,758	13,999	38,34,51,817	38,34,51,590	227
Video Film	30,00,000	-	-	30,00,000	29,99,999	1
Website	7,79,840	-	-	7,79,840	7,79,839	1
Trademark	1,12,000	-	-	1,12,000	1,11,999	1
Entry fee for NLD License	2,50,00,000	-	-	2,50,00,000	2,49,99,999	1
Entry fee for ISP License	30,00,000	-	-	30,00,000	29,99,999	1
Total of Intangible Assets	**12,09,64,898**	**29,43,92,758**	**13,999**	**41,53,43,657**	**41,53,43,425**	**232**

(i) The addition to the fixed assets during the year has been arrived based on OFC kms and GPON works completed up to 31.03.2017.

(ii) The final bills are not received from executing agencies and the capitalization is done on the basis of information available with the company. In case of any variation, the same shall be adjusted in the year of final settlement.

10. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

(Amount in ₹)

SR. No.	Particulars	As at 1st April, 2016	Additions during the year	Capitalized During the year	Adjustments	As at 31st March, 2017
1	PLB ducts, Trenching, laying, works	11,82,56,02,227	20,72,65,16,069	22,25,07,62,208	0	10,30,13,56,088
2	OFC & GPON issued to CPSU and BharatNet	9,12,36,19,637	1,87,21,92,986	3,74,94,64,626		7,24,63,47,997
3	NMS/NOC (NMS SW)	12,83,78,978	15,28,00,000	28,11,78,978	0	0
4	Expense on Remuneration of Employee & Establishment Charges related to installation of NOFN	1,07,93,84,492	52,26,61,902	78,26,97,974	0	81,93,48,420
5	Other cost of Inventory	29,51,59,006	31,55,14,193		29,66,80,632	31,39,92,567
6	GPON Equipments					
7	Credit on a/c of					
	(I) Interest earned on amount of Capex subsidy,	(1,04,58,17,961)	(97,87,06,635)	(2,02,45,24,596)		0
	(II) liquidated damage levied on inventory for NOFN Project	(35,05,84,796)	(19,56,99,889)			(54,62,84,685)
	Total	**21,05,57,41,583**	**22,41,52,78,626**	**25,03,95,79,190**	**29,66,80,632**	**18,13,47,60,387**

i. The value of BharatNet assets under construction (Capital Work in Progress - CWIP) is as per the significant accounting policy. The value of the Optical Fibre Cable and GPON equipment procured by BBNL but received by CPSUs as consignees for the project is shown as CWIP at the cost of purchase. The other items directly purchased by CPSUs such as PLB Ducts and payment by CPSUs towards work orders for trenching and laying is transferred to CWIP as per the monthly fund utilization report (Appendix-IV) submitted by 3 CPSUs.

ii. Liquidated damages include ₹21,28,00,000/- received from encashment of Performance Bank Guarantee (PBG). However, this amount has been kept separately till the final decision of the Hon'ble Court.

iii. The percentage of overhead cost taken towards capitalization of assets is taken as 3% of capex based on current trend of expenditure and also taking into account the future increase in Salary and Administrative Expenditure.

iv. The company hitherto was deducting interest on surplus funds received from USOF / DOT from the CWIP, however, it is now being treated as subsidy/grant from USOF/DOT in accordance with the revised accounting policy. Accordingly, the interest of ₹ 220.18 Crores up to 2016-17 including ₹104.58 Crores up to 2015-16 has not been reduced from CWIP and added to the capital subsidy received.

v. In accordance with the significant accounting policy, the value of Optical Fibre Cable and the GPON equipment procured by BBNL and supplied to the executing agencies have been considered as CWIP. Accordingly, the value of inventories as on 31.03.2016 have also been transferred to the CWIP.

11. LONG TERM LOANS AND ADVANCES

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
(A) Capital Advance		
i) To BSNL for Installation of BharatNet	24,31,32,97,019	13,47,35,36,222
ii) To PGCIL for Installation of BharatNet	1,86,62,55,673	2,70,79,61,783
iii) To RailTel for Installation of BharatNet	1,95,50,56,937	2,17,56,28,122
iv) To Centre for Development of Telematics (C-DOT)	13,64,31,768	12,26,00,000
v) To National Informatics Centre (NIC) for GIS	17,45,88,893	3,49,61,992
vi) To MoUD / NBCC for Office/Residential Space	1,12,34,58,103	1,15,58,39,793
vii) To State agencies for Phase-II Survey	15,31,01,460	-
viii) OF cable issued to BSNL on loan basis	18,43,20,197	18,43,20,197
(B) Security Deposit	9,65,01,535	4,58,31,567
Total of Long Term Loans & Advances (A) + (B)	**30,00,30,11,585**	**19,90,06,79,676**

12. OTHER NON CURRENT ASSETS

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
Un-amortized Preliminary Expense	-	50,01,242
Total Other Non-Current Assets	**-**	**50,01,242**

13. TRADE RECEIVABLES

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
Outstanding for a period exceeding six months from the date they were due for payment		
Secured, considered good	-	-
Unsecured, considered good	47,19,816	1,40,08,290
Doubtful	-	-
Total Trade Receivable	**47,19,816**	**1,40,08,290**

The trade receivable is for providing circuits / bandwidth through BSNL.

14. CASH AND BANK BALANCES

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
1) Cash and Cash Equivalents		
Cash in Hand	-	5,343
Imprest Account of Employees	2,07,454	3,69,968
Balance with Bank		
Balance in Current Account	**22,90,12,182**	**1,85,58,95,821**

CASH AND BANK BALANCES (Continued)

Terms Deposits having maturity less than 3 months	-	-
Fixed Deposit - Others	-	61,92,349
TOTAL(A)	**22,92,19,636**	**1,86,24,63,481**
2) Other Bank balances		
Terms Deposits having maturity less than 3 months	3,91,83,00,000	-
Terms Deposits having maturity more than 3 months less than 12 months	15,46,37,53,461	3,86,45,76,856
Terms Deposits having maturity more than 12 months	6,50,000	6,50,000
Cheques, Drafts & Postal Order in hand	-	74,140
TOTAL(B)	**19,38,27,03,461**	**3,86,53,00,996**
Total (A+B)	**19,61,19,23,097**	**5,72,77,64,476**
i. Out of the above bank balance, amount received from encashment of bank guarantee as per the court order the same cannot be utilized till the final order.	21,28,00,000	-
ii. Amount held as margin money of bank guarantees	33,10,18,378	2,87,36,858

15. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
A. Loans and Advances to Employees - Unsecured, considered good		
Advances to Employees	52,41,370	10,05,930
Temporary Advance	9,309	1,120
Total Loans & Advances to Employees	**52,50,679**	**10,07,050**
B. Advances to Others - Unsecured, considered good		
Advance to Government Departments	3,17,55,885	53,29,294
Advance Tax – Others (VAT)	23,955	23,955
Advance to PSUs	1,45,95,02,412	20,91,22,011
Advance for hiring of Manpower	2,55,51,174	3,25,91,158
Advance to Vendors, Contractors, etc.	1,71,918	2,00,315
Total Advances to Others	**1,51,70,05,344**	**24,72,66,733**
C. Income Tax Paid		
Income tax refundable	8,91,17,242	-
Advance Tax - TDS	10,28,79,049	9,33,42,357
Less: Provision for Income Tax	(7,91,15,040)	(42,25,115)
Total - Short Term Loans & Advances (A+B+C)	**1,63,51,37,274**	**33,73,91,025**

16. OTHER CURRENT ASSETS

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
Interest Accrued on FDR	**47,95,77,083**	**4,97,50,421**
Cenvat Credit Receivable	**9,52,24,79,144**	**1,76,78,90,363**
Others		
- Recoverable from Govt. Departments	1,90,90,740	1,82,24,501
- Recoverable from PSUs	17,91,096	25,08,309
- Recoverable from Employees	0	1,04,353
- Recoverable from Others	17,22,138	4,66,421
- Prepaid Expense	72,253	1,83,513
- Amount receivable from USOF*	1,00,41,81,893	0
Total Other Current Assets	**11,02,89,14,347**	**1,83,91,27,881**

* The due Operating expenditure (Net Opex) amounting to ₹ 100.41 Crores since inception is taken as other income and corresponding amount is shown as receivable from USOF.

17. REVENUE FROM OPERATIONS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Bandwidth Charges	32,24,500	41,33,354
Total Revenue from Operation	**32,24,500**	**41,33,354**

BBNL has also entered into a revenue sharing arrangement (RSA) with BSNL for better utilization of its network. The BBNL revenue share is presently not determinable as the appropriate codes in the billing software of BSNL are yet to be created. This revenue will be recognized in the year of settlement / receipt.

18. OTHER INCOME

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Interest on FDRs	1,02,88,56,523	23,10,20,437
Less: Related to USOF funds transferred to CWIP/subsidy	97,87,06,635	17,58,91,979
Interest recognized in Profit and Loss Account	**5,01,49,888**	**5,51,28,458**
Interest – Others	-	45,782
Other Income	57,29,762	1,19,805
Subsidy from USOF on account of OPEX	1,00,41,81,893	-
Amount transferred from Deferred Capital Subsidy to the extent of depreciation	-	7,36,51,112
Total Other Income	**1,06,00,61,543**	**12,89,45,157**

The company has recognized other income amounting to ₹ 100.41 Crores since inception (₹ 21.46 crores upto 31.03.2016 and ₹ 78.95 crores for financial year 2016-17) which represents the entire operating expenditure (Net Opex) net of revenue as per the modified implementation strategy of BharatNet approved by the Union Cabinet on 19.07.2017.

19. EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Salaries, Wages, Allowances and Benefits	26,49,44,450	23,50,93,194
Leave Salary Contribution	2,04,89,888	91,37,380
Pension Contribution	3,27,39,744	1,39,57,397
Contribution to Employees' Provident Fund & Gratuity	25,82,332	17,16,326
Medical Benefits	1,43,82,086	1,22,29,674
Gross Employees' Remuneration & Benefits	**33,51,38,500**	**27,21,33,971**
Less: Employees' Benefit Expenses allocated to Capital Work In Progress	28,86,51,746	24,78,91,483
Net Employees' Remuneration & Benefits taken to Statement of Profit & Loss	**4,64,86,754**	**2,42,42,488**

i. The entire expense on remuneration and benefits pertaining to employees of (i) Planning Branch (ii) Zone offices and (iii) Project Monitoring Unit; and proportionate expense of Finance Wing of Corporate Office have been allocated to CWIP.

ii. For all 36 E9 and 81 E7 posts sanctioned by the Board of Directors, the approval of the President of India has been received as per Article 89 of Articles of Association of the Company.

iii. All employees (except 27 directly recruited employees of the Company), are on deputation from Central Government / BSNL / MTNL and their remuneration are guided by Foreign Service Deputation Rules.

iv. The Company has not yet been classified by the Department of Public Enterprises (DPE). The Company has taken up the case of its categorization as a Schedule 'A' company with its Administrative Ministry. The Company is however, extending the facility of Schedule 'A' company to its employees at Board Level and below Board Level.

20. FINANCE COSTS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Bank Charges	43,03,272	28,64,606
interest by Bank	-	7,546
Interest on statutory dues	3,894	41,167
Other Financial Charges	-	7,442
Total Finance Cost	**43,07,166**	**29,20,761**

21. ADMINISTRATIVE, OPERATIVE AND OTHER EXPENSES

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Power & Fuel	49,00,150	45,62,967
Rent	7,93,18,334	6,68,24,023
Repair & Maintenance - Others	63,95,44,057	5,93,976
Rates & Taxes	80,926	1,30,772

ADMINISTRATIVE, OPERATIVE AND OTHER EXPENSES (CONTINUED)

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Advertisement Expense	21,80,920	11,38,132
Payment to Auditors - Audit Fee	4,62,500	4,25,000
-Other Matters	16,000	22,615
Professional & Consultancy Charge	4,42,80,571	4,49,94,193
Expenditure on Services & Other Expense	6,41,74,180	5,08,77,877
General Expense	39,82,198	48,07,760
Travelling & Conveyance	1,02,64,045	1,27,26,421
Printing & Stationery	23,24,221	32,12,763
AGR Based License Fee	1,24,35,547	1,07,23,747
Communication Expense	38,26,317	35,99,950
Books & Periodicals	10,715	14,409
Security Service	16,49,380	8,65,013
Training Expense	6,26,243	8,85,904
Hiring of Manpower	3,60,20,343	3,19,80,850
Vehicle hiring Expense	2,93,42,608	3,17,07,684
Hosting charge for Software	-	72,760
Write Off Current Asset (Other Than Service Provided)	1,29,576	50,01,242
Loss others	1,04,160	6,53,160
Gross Administrative, Operative & Other Expenses	**93,56,72,991**	**27,58,21,218**
Less: Administrative, Operative & Other Expenses Allocated to Capital Work In Progress	21,27,00,437	19,02,77,315
Net Administrative, Operative & Other Expenses taken to Statement of Profit & Loss	**72,29,72,554**	**8,55,43,903**

22. PRIOR PERIOD ITEMS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Income (A)		
Sale of Tender Documents	-	-
Total (A)	**-**	**-**
Expenditure (B)		
Employees Benefits (B1)		
Salary & Allowances	47,400	4,40,162
Employees' Benefit – others	-	63,594
Total B1	**47,400**	**5,03,756**
Administrative, Operative & Other Expense (B2)		
Communication Expense	65,650	3,52,522

PRIOR PERIOD ITEMS (CONTINUED)

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the Year ended 31st March 2016
Expenditure on Service	-	46,850
General Expense	38,700	87,126
Power & Fuel	1,63,369	8,14,987
Professional & Consultancy Charge	1,01,836	6,04,633
Rates & Taxes	488	6,212
Rent	34,38,706	58,75,120
Repair & Maintenance – Building	37,239	3,55,764
Repair & Maintenance – Others	22,178	4,370
Travelling & Conveyance	15,605	20,027
Printing & Stationery	6,952	35,401
Hiring of Manpower	2,07,05,410	1,74,29,843
Vehicle hiring Expense	96,547	1,66,430
Books & Periodicals	1,524	7,736
Depreciation of Tangible Asset	-	1,74,71,426
Amortization of Intangible Asset	-	5,67,584
Total of B2	**2,46,94,204**	**4,38,46,031**
Gross Prior Period Items (A) - (B1) - (B2)	**(2,47,41,604)**	**(4,43,49,787)**
C1 Less: Prior Period Employees' Benefit Expense allocated to Capital Work In Progress	40,825	4,58,880
C2 Less: Prior Period Administrative, Operative & Other Expenses Allocated to Capital Work In Progress	2,12,68,894	2,39,34,495
Net Prior Period Items (Net) - (B2+C1+C2) taken to Statement of Profit & Loss	**(34,31,885)**	**(1,99,56,412)**

OTHER NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

23 EFFECT OF CHANGE IN ACCOUNTING POLICY

The company hitherto was recognizing the government grant/subsidy on depreciable assets as deferred income which was taken to the income in the statement of profit and loss over a period of useful life of the assets. The company has revised the accounting policy and the grant is shown as deduction from the gross value of assets concerned in arriving at the book value. Consequent upon the change, the accumulated depreciation is reduced by ₹ 6,08,23,53,300/- and the deferred capital subsidy is reduced by the same amount and depreciation for current year is lowered by ₹ 5,94,76,93,147/- . As a result, fixed assets/Deferred capital subsidy is lowered by ₹ 6,08,23,53,300/-.

The company hitherto was deducting interest received from bank on subsidy received from the cost of the fixed assets (CWIP) and now the company has revised the accounting policy to treat the interest income as part of subsidy.

The effect of the change of the accounting policy during the year is that CWIP is reduced by ₹ 97,87,06,635/- and subsidy is increased by the same amount. As a result, the total amount of interest of ₹ 2,02,45,24,596/- is taken to subsidy received and CWIP is reduced by the same amount.

24. CAPITAL SUBSIDY RECEIVED

(Amount in ₹)

Year	Opening	Grant Received	Interest on surplus funds	Total	Utilization	Balance
2012-13	-	4,05,00,00,000	-	4,05,00,00,000		4,05,00,00,000
2013-14	4,05,00,00,000	5,14,00,00,000	-	9,19,00,00,000		9,19,00,00,000
2014-15	9,19,00,00,000	13,51,86,45,971	-	22,70,86,45,971		22,70,86,45,971
2015-16	22,70,86,45,971	24,15,10,27,980	-	46,85,96,73,951		46,85,96,73,951
2016-17	46,85,96,73,951	56,00,00,00,000	2,02,45,24,596	1,04,88,41,98,547	27,33,32,46,519	77,55,09,52,028

25. RELATED PARTY DISCLOSURE

a) Key Management Personnel

Designation	Name	Period of occupancy with effect
CMD	Shri Sanjay Singh*	From 18.03.2016
Director (F)	Mrs. Arundati Panda	From 26.07.2012 to 25.07.2016
Director (F)	Shri Manoj Anand	From 29.07.2016
Director (O)	Shri B.K. Mittal	From 29.07.2015
Director (P)	Shri B.K. Mittal	From 01.01.2016
Govt. Director	Shri I.S. Sastry	From 25.02.2012 to 16.12.2016
Govt. Director	Shri Mahmood Ahmed	From 16.12.2016
Govt. Director	Shri Shashi Ranjan Kumar	From 06.11.2015

* The Administrator - USOF is also holding the post of Chairman and Managing Director of the Company. Up to 31.03.2017 the Company has received subsidy of ₹ 10,488.41 crores including interest earned on surplus: ₹ 202.45 (₹ 4685.96 crores up to 2015-16) from USOF towards Capex for execution of BharatNet Project.

26. MANAGEMENT REMUNERATION

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the period ended 31st March 2016
Salaries & Allowances *	38,62,999	51,22,924
Perquisites*	2,32,793	1,11,052
EPF Contribution	-	-
Sitting Fees	-	-
Total of Management Remuneration	**40,95,792**	**52,33,976**

* Managerial remuneration relates to Director (Planning) / (Finance), BBNL.

27. ADVANCES TO DIRECTORS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the period ended 31st March 2016
Amount due at the end of the year	-	2
Maximum amount due during the year	-	9,64,715
Total of Advances to Directors	**-**	**9,64,715**

28. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

28.1 Contingent Liabilities

(i) Claims not acknowledged as debts are follows :

Particulars	As at 31.03.2017		As at 31.03.2016	
	No. of cases	Amount in (₹)	No. of cases	Amount in (₹)
Service Tax on construction linked installments paid to NBCC/ MOUD for built up leased space in the proposed complex at Kidwai Nagar *	1	4,96,00,000	1	4,96,00,000
Excise Duty on Optical Fibre Cable **	12	5,54,00,000	12	5,54,00,000
Arbitration cases***	2	5,75,63,52,092	-	-

* As intimated by NBCC letter No. NBCC / GM-REM/ Kidwai Nagar/ 2013/ 908 dated 20.12.2013 the issue of charging service tax on long leased property is pending with the Hon'ble Tribunal of Delhi in such similar case. The Advocates & Legal Consultants of NBCC is of the opinion that service tax is not applicable on such lease sale since the owner of the project is Ministry of Urban Development, Government of India. However, NBCC has intimated that in case at any stage the service tax is applicable on such lease sale, BBNL is to bear the same.

** On the question arisen regarding classification of 24 Fibre Metal Free optical fibre cable with double HDPE Sheath Central Board of Excise & Customs (CBEC) has clarified that the assessment of Central Excise Duty be done on case to case basis based on detailed specification of the goods by the Central Excise Officer under whose jurisdiction the manufacturer is located. The individual cases are yet to be decided. As such claim for difference in Excise duty has not been acknowledged as debt.

*** United Telecom Limited (UTL) – a supplier of GPON equipment had failed to supply part of the quantity in one Purchase Order (PO1) and entire quantity in another purchase order (PO2) of the company. The company has encashed performance bank guarantee (PBG) for PO1 amounting to ₹ 21.28 Cr, but has kept that amount separately as per directions of Hon'ble High Court Delhi. The Court has also stayed encashment of PBG of PO2. The matter is under Arbitration proceedings. UTL has filed claims of ₹368.43 Cr and ₹207.19 Cr in respect of PO1 & PO2 respectively. The company denied these claims in Arbitration proceedings and filed claims of ₹301.55 Cr and ₹205.43 Cr in respect of PO1 & PO2 respectively. The arbitration proceedings have not yet concluded.

(ii) Bank Guarantees given by the Company

(Amount in ₹)

Item	As at 31.03.2017		As at 31.03.2016	
	With Cash Margin	Without cash margin	With Cash Margin	Without cash margin
No of cases	147	-	5	-
Amount	33,10,18,378	-	2,87,36,858	-

28.2 COMMITMENTS

Capital Commitments:

(Amount in ₹)

S. N.	Particulars	PO value/Cost of project	Value of supply received/Work done	Balance commitment
1.	Optical Fibre Cable Supply	10,39,05,86,155	9,53,06,98,149	85,98,88,006
2.	GPON Equipment	8,09,92,00,121	62,79,13,939	7,47,12,86,182
3.	GIS	38,48,00,000	19,32,00,000	19,16,00,000
4.	For Building Space	1,30,47,96,156	96,22,81,128	34,25,15,028

29. LEASE

The company has taken various premises and vehicles on lease.

(Amount in ₹)

Particulars	Not Later than one year	Later than one year and not later than five years	Later than five years
For Space	10,61,57,915	19,90,51,906	8,57,04,749
For Vehicle	49,71,989	52,47,178	-

30. EXPENDITURE ON FOREIGN CURRENCY

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the period ended 31st March 2016
Travelling	1,45,516	4,26,924
Others	4,49,394	5,78,089
Total	**5,94,910**	**10,05,013**

31. EARNINGS PER SHARE

Description		For the year ended 31st March 2017	For the period ended 31st March 2016
Profit After Tax	Amount (IN INR)	22,84,80,486	(8,43,11,888)
Less: Preference Dividend including Tax*	Amount (IN INR)	-	-
Balance available for Equity Shareholders	Amount (IN INR)	22,84,80,486	(8,43,11,888)
Weighted average number of Equity Share outstanding	(In number)	6,00,00,003	6,00,00,003
Face Value of shares	Amount (IN INR)	10	10
Basic & diluted earnings per share	Amount (IN INR)	3.81	(1.41)

32. In the opinion of the Board of Directors, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of the Company's business, which is at least to the amount at which they are stated in the balance sheet.

33. On the basis of information available with the company, it has not procured any item from SSI Units and firms registered under MSME Act during the year.

34. SPECIFIED BANK NOTES

Particulars	SBN's	Others	Total
Closing Cash in Hand as on 08.11.2016	-	-	-
(+) Permitted Receipts From Banks	-	-	-
(+) Permitted Receipts From Others	-	-	-
(-) Permitted Payments	-	-	-
(-) Amount deposited in Banks	-	-	-
Closing Cash in Hand as on 30.12.2016	-	-	-

35. Balances under the various heads trade receivable, trade payable, deposits, loans and advances payable to or by third parties are subject to confirmation and reconciliation.

36. Previous year figures are regrouped or rearranged wherever required.

As per our report of even date

For Rawla and Company
Chartered Accountants
FRN 001661N

Raja Ram Gupta
Partner
M. No:081279

Place : New Delhi
Date: 15.11.2017

For and on behalf of **Bharat Broadband Network Limited**

Sanjay Singh
Chairman & Managing Director
DIN 07484614

Manoj Anand
Director (Finance)
DIN: 07583289

Vinod Kumar
Chief General Manager (Accounts)

Avinash Chandra Upadhyay
Company Secretary & Head Legal
M.No. F4324

Bharat Boardband Network Limited

Cash Flow Statements (Amount in ₹)

Cash flow for the finanical Year 2016-2017	Year ended 31st March, 2017	Year ended 31st March, 2016
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Profit before tax	28,10,86,442	(5,65,97,155)
Adjustments to reconcile profit before tax to net cash flows		
Depreciation and amortisation Expenses	50,01,242	7,50,51,112
Loss / (profit) on sale of Fixed assets (net)	-	6,19,629
Unrealised foreign exchange (gain)/loss (net)	-	-
Provision for doubtful trade receivables	-	-
Interest income	(5,01,49,888)	(5,51,74,240)
other non operating income	(1,00,99,11,655)	(1,19,805)
Deffered Capital Subsidy	-	(7,36,51,112)
Interest Expenses	3,894	
Excess provisions no longer required written back	-	
Provision for doubtful receivables written back	-	
Operating Profit before working capital changes	**(77,39,69,965)**	**(10,98,71,571)**
Movement in working capital		
(Increase) / Decrease in trade receivables	92,88,474	(47,19,816)
(Increase) / Decrease in loan and advances	(1,29,77,46,249)	(4,66,23,831)
(Increase) / Decrease in other current assets	(9,18,97,86,466)	(65,79,07,843)
(Increase) / Decrease in inventories	-	(1,84,80,57,903)
Increase / (Decrease) in other current liabilities	6,78,49,976	(1,78,79,03,221)
Increase / (Decrease) in other liabilities and provisions	31,24,54,42,613	32,18,45,579
Cash generated from/(Used) in operations	**20,83,50,48,348**	**(4,13,32,38,606)**
Direct taxes paid (net of refunds)	(7,91,15,040)	0
Net Cash flow from/(used) in Operating Activities	**19,98,19,63,343**	**(4,13,32,38,606)**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of fixed assets including capital work in progress	3,23,86,37,246	(10,90,89,21,066)
Capital advances(net of capital creditors)		
Long Term Advances	**(10,10,23,31,909)**	**(10,39,27,02,809)**

(Amount in ₹)

Cash flow for the finanical Year 2016-2017	Year ended 31st March, 2017	Year ended 31st March, 2016
Maturity of Bank deposits (having original maturity of more than three months)		
Investment in shares of subsidiary companies		
Income from others operation	1,00,99,11,655	1,19,805
Proceeds from sale of fixed assets	0	1,67,550
Interest income received	5,01,49,888	34,63,12,715
Net cash flow/(used) in Investing Activities (B)	**(5,80,36,33,120)**	**(20,95,50,23,805)**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceed from share capital Issued under ESOP Scheme	0	0
Proceed from security premium received under ESOP Scheme	0	0
Subsidy received from USOF		24,15,10,27,980
Repayment of long tem borrowings		
Repayment of short tem borrowings	(29,41,67,708)	
Proceed from short tem borrowings		
Interest paid	(3,894)	(48,609)
Dividends paid on equity shares (Including Corporate Dividend Tax)		
Net cash flow/(used) in Financing Activities (C)	**(29,41,71,602)**	**24,15,09,79,371**
Net Increase/ Decrease in cash and cash equivalents (A+B+C)	**13,88,41,58,621**	**(93,72,83,040)**
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	5,72,77,64,476	6,66,50,47,516
Effect of Exchange differences on cash and cash equivalents held in foreign currency		
Cash and Cash equivalents at the end of the year	**19,61,19,23,097**	**5,72,77,64,476**

As per our Report of even date attached.
For Rawla & Company
Chartered Accountants
FRN 01661N

Raja Ram Gupta
Partner
M.No. 081279

Date : 15th November, 2017
Place : New Delhi

For and On Behalf of Bharat Broadband Network Limited

Sanjay Singh
Chairman & Managing Director
Din : 07484614

Vinod Kumar
Chief General Manager (Accounts)

Manoj Anand
Director (Finance)
DIN: 07583289

Avinash Chandra Upadhyay
Company Secretary & Head Legal
M.No. F4324

Management's Reply to the Comments of the Statutory Auditors for the Financial Year 2016-17

S.No.	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
1.	Other Matter (Page 4 & Para 3 of Annexure-2) The Inventories procured by the company for the purpose of creation for BharatNet assets, has been delivered to the CPSU's. The details of the consumption/ utilization/ custody report/ certificates from the Executing Agencies CPSU's have not been obtained. Details of Purchases made by the Implementing Agencies have not been provided.	BBNL has taken up the matter of settlement of advance (including Inventories) at the highest level with the CPSU's. The phase-I of the BBNL project is in final stage and it is expected that the necessary documents for settlement of advances including inventories may be received in due course. BBNL has provided advances against the purchase orders issued by CPSUs. These are reflected as advances in BBNL books of accounts. These will be adjusted at the time of final settlement with CPSUs.
2.	**Report on other Legal & Regulatory Requirements (Para f, Page 5)** With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, according to the information and explanation given to us, the company has not yet established its internal financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated on the guidance note on Audit of Internal Financial Controls over Financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Because of this reason. we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis of our opinion whether the company had adequate internal financial controls over financial reporting and whether such internal financial controls were operating effectively as at March 31st, 2017. However the company has a system of checks and balances on pattern of government system of accounting and financial reporting.	BBNL has a system of internal checks and balances on pattern of Government system of accounting and financial reporting. BBNL may comply with the Internal Financial Controls over financial reporting as pointed out by auditor from an early date. The majority of payments and accounting is carried out at the corporate office. Considering the current volume of work, the present system is considered sufficient. BBNL has engaged IIM Ahmedabad for organization restructuring and process re-engineering BBNL may update the systems & controls in accordance with the report.

S.No.	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
3	**Para b of Annexure I of Independent Auditor's Report** Physical verification of the assets has not been carried out during the year. However, it is informed that the officers of DOT (Controllers of Communication Accounts) are the designated monitoring authority for BharatNet. They are carrying out the regular physical verification of 10% of the BharatNet assets. However, the impact of verification of the assets has not been considered in the accounts by the management of the company. For corporate office, a periodic system of physical verification of assets is being followed but no policy document is made available to us.	1) The equipments such as OLTs and ONTs are installed in BSNL exchange and Gram Panchayat Bhawan. 2) The Physical monitoring of BharatNet including verification is being done by Office of CCAs located in various states, which are the designated monitoring authority (DMA) for BharatNet. 3) The PMUs of BBNL also visit the sites where equipments are installed. 4) The working status of the network is also monitored through Network Operation Centre. The system alerts for faults is being monitored from remote management control. This is being further strengthen through a video wall.

सत्यमेव जयते

कार्यालय
महानिदेशक लेखापरीक्षा (डाक व दूरसंचार)
शाम नाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय), दिल्ली–110 054

Office of the
Director General of Audit (Post & Telecommunications)
Sham Nath marg, (Near Old Secretariat), Delhi 110 054

No. Rep-PSU A/cs./F-146/Ann Acct./BBNL/2016-17/41

Date : 18/12/2017

To,

The Chairman and Managing Director,
Bharat Broadband Network Limited,
Delhi

Subject : Nil Comments of the Controller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) for the year 31st March, 2017.

Sir,

I am to forward herewith the Nil comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the annual accounts of BBNL for the year ended 31st March, 2017 for information and necessary action.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Encl. : As above.

(P. K. Tiwari)
Director General of Audit (P&T)

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

The preparation of financial statements of Bharat Broadband Network Limited for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15th November, 2017.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conduct a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Bharat Broadband Network Limited for the year ended 31 March 2017. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on the behalf of the

Comptroller & Auditor General of India

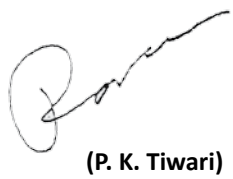

(P. K. Tiwari)
Director General of Audit
Post and Telecommunication

Place: Delhi
Date: 18.12.2017

एक्सेस एक्रॉस इंडिया
Access Across India

भारत ब्रॉडबैन्ड नेटवर्क लिमिटेड
BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)
CIN : U64100DL2012GOI232070
पंजीकृत कार्यालय : कमरा नं. 306, तृतीय तल, सी–डॉट कैम्पस, माँडी गाँव मार्ग, महरौली, नई दिल्ली – 110030
Regd. Office: Room No. 306, 3rd Floor, C-DOT Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli, New Delhi-110030
फोन / Phone: 011-26806100 फैक्स / Fax: 011-26806122 वेबसाईट / Visit us at: www.bbnl.nic.in